PDF Compressor Free Version

इग्नू
जन-जन का
विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
शिक्षा विद्यापीठ

बीईएस-129
जेण्डर, विद्यालय और समाज

खंड

1

विद्यालय और समाज में जेण्डर मुद्दे

इकाई 1
मूलभूत जेण्डर संकल्पनाओं की समझ 7

इकाई 2
भारतीय परिप्रेक्ष्य में जेण्डर भूमिकाएँ और पितृसत्ता 27

इकाई 3
अन्य सामाजिक संरचनाओं और अस्मिताओं के साथ अंतःक्रिया में पितृसत्ताएँ 55

इकाई 4
विद्यालय में जेण्डर सम्बन्ध 75

PDF Compressor Free Version

विशेषज्ञ समिति

प्रो. आई. के. बंसल (अध्यक्ष)
पूर्व अध्यक्ष, प्रारम्भिक शिक्षा
विभाग, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली

प्रो. श्रीधर वशिष्ठ
पूर्व कुलपति, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत
विद्यापीठ, नई दिल्ली

प्रो. परवीन सिंक्लेयर
पूर्व निदेशक, एन सी ई आर टी
विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. ऐजाज मशीह
फैकल्टी ऑफ एजुकेशन
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

प्रो. प्रत्युष कुमार मण्डल
डी ई एस एस एच, एन सी ई आर टी, नई दिल्ली

प्रो. अंजु सहगल गुप्ता
मानविकी विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एन. के. दाश
शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

प्रो. एम. सी. शर्मा
शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

डॉ. गौरव सिंह
शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

विशिष्ट आमंत्रित सदस्य (शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली)

प्रो. डी. वेंकटेश्वरलु
प्रो. अमिताव मिश्रा
सुश्री पूनम भूषण
डॉ. आईशा कन्नाडी
डॉ. एम. वी. लक्ष्मी रेड्डी
डॉ. भारती डोगरा
डॉ. वन्दना सिंह
डॉ. एलिजाबेथ कुरुविल्ला
डॉ. निराधार डे

कार्यक्रम समन्वयक: प्रो. सरोज पाण्डेय एवं डॉ. गौरव सिंह, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम समन्वयक : प्रो. डी. वेंकटेश्वरलु, शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम निर्माण दल

पाठ्यक्रम लेखक

इकाई–1 **डॉ. सुनीता दल**
सहायक प्रोफेसर
एस ओ जी डी एस
इग्नू, नई दिल्ली

इकाई–2 **प्रो. अनीता नुना**
जेण्डर अध्ययन विभाग
एनसीईआरटी, नई दिल्ली

इकाई–3 **डॉ. सुनीता दल**
सहायक प्रोफेसर
एस ओ जी डी एस, इग्नू, नई दिल्ली

इकाई–4 **डॉ. जी उमा**
सहायक प्रोफेसर
एस ओ जी डी एस, इग्नू, नई दिल्ली

विषयवस्तु संपादन

प्रो. गौरी श्रीवास्तव
जेण्डर अध्ययन विभाग
एन सी ई आर टी, नई दिल्ली

प्रो. सविता सिंह
एस ओ जी डी एस, इग्नू, नई दिल्ली

प्रारूप संपादन
प्रो. डी. वेंकटेश्वरलु
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

हिन्दी रूपांतरण दल

अनुवादक
श्री प्रांजल धर
मीडिया विश्लेषक, अनुवादक
न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली

भाषा पुनरीक्षण
प्रो. सविता सिंह
एस ओ जी डी एस,
इग्नू, नई दिल्ली

प्रूफ रीडिंग
श्री चन्द्रशेखर
पूर्व रिसर्च असिस्टेन्ट
शिक्षा विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली

सामग्री उत्पादन

प्रो. सरोज पाण्डेय
निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ
इग्नू, नई दिल्ली

श्री.एस.एस. वेंकटाचलम
सहायक कुलसचिव (प्रकाशन)
इग्नू, नई दिल्ली

जनवरी, 2018 (संशोधित)

©इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय; 2018

ISBN :

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के विषय में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक, शिक्षा विद्यापीठ द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर टाइप सेटिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, वी–166ए, भगवती विहार, उत्तम नगर, (नजदीक सेक्टर 2 द्वारका), नई दिल्ली–110059

PDF Compressor Free Version

बीईएस-129 : जेण्डर, विद्यालय और समाज

खंड 1 विद्यालय और समाज में जेण्डर मुद्दे

इकाई 1 मूलभूत जेण्डर संकल्पनाओं की समझ

इकाई 2 भारतीय परिप्रेक्ष्य में जेण्डर भूमिकाएँ और पितृसत्ता

इकाई 3 अन्य सामाजिक संरचनाओं और अस्मिताओं के साथ अंतःक्रिया में पितृसत्ताएँ

इकाई 4 विद्यालय में जेण्डर सम्बन्ध

खण्ड 2 जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय व्यवहार

इकाई 5 सक्रियतावाद के रूप में शिक्षण

इकाई 6 दृष्टिकोण सिद्धान्त और ज्ञान की अवस्थिति

इकाई 7 सहभागितापूर्ण कक्षा–कक्ष

इकाई 8 कक्षा–कक्ष में जेण्डर समानता के प्रोत्साहन की रणनीतियाँ

PDF Compressor Free Version

बी ई एस–129 जेण्डर, विद्यालय और समाज

पाठ्यक्रम की प्रस्तावना

यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच जेण्डर संवेदनशीलता की आवश्यकता पर बल देता है। जेण्डर असमानता की जड़ें बहुत गहरी हैं और समाज में सभी स्तरों पर व्याप्त भेदभाव और अन्याय को सम्बोधित किए जाने की जरूरत है। इसके लिए न सिर्फ अध्यापन सम्बन्धी एक विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है, बल्कि महिलाओं के प्रति आदर में वृद्धि करने और जेण्डर समता तक पहुँचने के लिए सिद्धान्त और वास्तविक जीवन–स्थितियों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने की भी जरूरत है। यह पाठ्यक्रम जेण्डर असमानताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन करता है और इन असमानताओं को चुनौती देता है। इसके अतिरिक्त यह जेण्डर समरूपता लाने में विद्यालय, अध्यापकों और व्यापक स्तर पर समाज की भूमिकाओं का अन्वेषण करता है।

इस पाठ्यक्रम में दो खण्ड और आठ इकाइयाँ शामिल हैं। दोनों खण्ड इस प्रकार हैं –

खण्ड – 1 : विद्यालय और समाज में जेण्डर मुद्दे

खण्ड – 2 : जेण्डर और शिक्षणशास्त्रीय व्यवहार

पाठ्यक्रम का खण्ड – 1 विद्यालय और समाज में जेण्डर मुद्दों का वर्णन करता है। यह खण्ड विद्यालय और समाज में जेण्डर मुद्दों के अवबोधन में तथा विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच संवेदनशीलता उत्पन्न करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। यह खण्ड मानवाधिकारों और नारी–अधिकारों के सम्बन्ध में सांविधानिक प्रावधानों को समझने में भी शिक्षार्थियों की सहायता करेगा। इसके अलावा यह जेण्डर सम्बन्धी मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए दक्षता और कौशलों को प्रदर्शित करने में भी शिक्षार्थियों की मदद करेगा।

खण्ड – 2 जेण्डर और शिक्षणशास्त्र सम्बन्धी व्यवहारों पर केन्द्रित है। यह विद्यार्थियों को जेण्डर से जुड़े विभिन्न अध्यापन–व्यवहारों से परिचित कराता है; जेण्डर असमानताओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन करने और उन असमानताओं को चुनौती देने में विद्यार्थियों की मदद करता है तथा परिवार, जाति, धर्म, संस्कृति, विधि, राज्य और मीडिया की भूमिकाओं का अन्वेषण करने में उनकी सहायता करता है।

PDF Compressor Free Version

खण्ड 1 विद्यालय और समाज में जेण्डर मुद्दे

खण्ड की प्रस्तावना

यह खण्ड जेण्डर मुद्दों को समझने, जेण्डर संवेदनशीलता उत्पन्न करने और जेण्डर सम्बन्धी मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए दक्षता और कौशलों को प्रदर्शित करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। इस खण्ड में चार इकाइयाँ हैं, जिन पर यहाँ संक्षिप्त चर्चा की गई है –

इकाई – 1 : मूलभूत जेण्डर संकल्पनाओं की समझ – इसमें हम ट्रांसजेण्डर समेत जेण्डर से जुड़ी विभिन्न संकल्पनाओं पर चर्चा करेंगे।

इकाई – 2 : भारतीय परिप्रेक्ष्य में जेण्डर भूमिकाएँ और पितृसत्ता – इसमें हम जेण्डर भूमिकाओं, प्रकारों, सम्बन्ध आव्यूह, पितृसत्ता और मातृसत्ता की संकल्पना, भारतीय पितृसत्ता के सिद्धान्त और अभिलक्षणों, दमन, हिंसा, पितृसत्ता और राजनीतिक अर्थव्यवस्था, घरेलू श्रम और इसके अत्याचार तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति में महिलाओं के योगदान के मूल्य पर चर्चा करेंगे।

इकाई – 3 : अन्य सामाजिक संरचनाओं और अस्मिताओं के साथ अन्योन्यक्रिया में पितृसत्ताएँ – इसमें हम परिवार, जाति, वर्ग, समुदायों, राज्य, कानून और मीडिया के समकालीन विमर्शों, समाज के एक लघु–रूप में विद्यालय, कक्षा–कक्षों में अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच की अन्तःक्रियाओं तथा शिक्षा–दीक्षा में जेण्डर असमानता के निहितार्थों पर चर्चा करेंगे।

इकाई – 4 : विद्यालय में जेण्डर सम्बन्ध – इसमें हम पाठ्यपुस्तकों, कक्षा–कक्ष की प्रक्रियाओं तथा अध्यापक–विद्यार्थी अन्तःक्रियाओं में पितृसत्तात्मक सम्बन्धों के सांस्कृतिक पुनरुत्पादन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम इसमें विद्यालय में जेण्डर संघर्षों के समाधान पर, विद्यालय और समाज में जेण्डर सम्बन्धों के पुनरुत्पादन से सम्बन्धित केस अध्ययनों पर तथा अनुसन्धान के परिणामों को साझा करने और मीडिया व फिल्मों से लेकर किए जाने वाले अनुसन्धान पर भी चर्चा करेंगे।

PDF Compressor Free Version

PDF Compressor Free Version

इकाई 1 मूलभूत जेण्डर संकल्पनाओं की समझ

संरचना

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 जेण्डर और लिंग

1.4 जेण्डर भेदभाव

1.5 जेण्डर गतिकी

1.6 जेण्डर आवश्यकताएँ

1.7 जेण्डर विश्लेषण

1.7.1 जेण्डर विश्लेषण ढाँचा

1.8 जेण्डर समानता और समता

1.8.1 जेण्डर ढाँचे में नीति का वर्गीकरण

1.9 नारीवाद की धाराएँ

1.10 दृष्टिकोण सिद्धान्त (Stand Point Theory))

1.11 सारांश

1.12 चिन्तन के लिए प्रश्न

1.13 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

1.14 सन्दर्भ ग्रंथ

1.1 प्रस्तावना

यह इकाई उदाहरणों और केस अध्ययनों की सहायता से मूलभूत जेण्डर संकल्पनाओं पर चर्चा करेगी। यह जेण्डर की सामाजिक रचना की व्याख्या करने पर केन्द्रित है और यह बताती है कि जेण्डर भेदभाव के समस्त स्वरूप मात्र सामाजिक रचना की इस अकेली धारणा (Notion) से किस प्रकार शुरू होते हैं। यह इकाई जेण्डर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं से हमारा परिचय कराती है। इन संकल्पनाओं में शामिल हैं – जेण्डर और लिंग में अन्तर, जेण्डर गतिकी, जेण्डर आवश्यकताएँ, जेण्डर विश्लेषण तथा समता और समानता के बीच बहस की धारणा। ये सारी संकल्पनाएँ एक–दूसरे से जुड़ी हुई हैं और वर्ग, जाति, समुदाय, शिक्षा, अर्थशास्त्र, राजव्यवस्था आदि समेत समाज की अन्य संरचनाओं को प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए इन मूलभूत संकल्पनाओं को भलीभाँति समझ लेने पर शिक्षार्थी न सिर्फ जेण्डर को लेकर कुछ भेदभावमूलक व्यवहारों को समझने में सक्षम हो जाएँगे, बल्कि वे एक जेण्डर–समावेशी समाज की रचना करने की दिशा में कुछ सकारात्मक कार्य करने में भी समर्थ हो जाएँगे। आइए, जेण्डर–अध्ययनों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं पर सवाल उठाते हैं जो प्राथमिक रूप से यह तर्क देती हैं कि जेण्डर कोई जीव–वैज्ञानिक रचना नहीं है, बल्कि इसका मूल समाज और संस्कृति में निहित है।

PDF Compressor Free Version

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- जेण्डर के तात्पर्य को समझ सकेंगे;
- लिंग और जेण्डर के अन्तर की व्याख्या कर सकेंगे; तथा
- जेण्डर–अध्ययनों की कुछ संकल्पनाओं जो आलोचनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहित करती हैं को समझ सकेंगे।

1.3 जेण्डर और लिंग

जेण्डर कोई जीव–वैज्ञानिक श्रेणी नहीं है, बल्कि समाज में व्यक्तियों के कार्य–व्यवहार से उत्पन्न होता है। इसलिए जेण्डर को एक सामाजिक रचना के रूप में समझा जाता है, जबकि लिंग की श्रेणी इसके विपरीत है। लिंग एक जीव–वैज्ञानिक रचना है। व्यक्तियों को उनके जीव–वैज्ञानिक अभिलक्षणों के आधार पर पुरुष और महिला में बाँटा गया है। उदाहरण के लिए, महिलाओं के पास स्तन होते हैं, जबकि पुरुषों के पास दाढ़ी (लिप्स, 2014)। स्त्रीत्व और पुरुषत्व की धारणाएँ समाज द्वारा रची गयीं हैं लेकिन कोई मनुष्य यह सवाल कर सकता है कि यहाँ तक कि व्यष्टि रूप से पुरुष या महिला की श्रेणी के अन्तर्गत भी, किस प्रकार वह पुरुष या महिला पुरुषत्व या स्त्रीत्व की समाज द्वारा निर्मित धारणाओं से निकटतापूर्वक सम्बद्ध है? इसलिए जेण्डर का सवाल जटिल है और एक समाज या संस्कृति से दूसरे समाज या संस्कृति में जाने पर इसकी समझ बदल जाती है। हिलेरी एम. लिप्स (2014) का तर्क है कि कुछ मामलों में लिंग और जेण्डर आपस में गुंथे होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मामलों में स्त्रीत्व की सामाजिक स्वीकृति जीव–वैज्ञानिक रचना के कारण रचित होती है। दूसरे शब्दों में, एक स्त्री गर्भ धारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। यह एक पुनरुत्पादनमूलक कार्य है जो महिला के शरीर की जीव–वैज्ञानिक धारणा से सम्बद्ध है। इसलिए लिंग और जेण्डर को अलग करना हमेशा सम्भव नहीं है। अपनी प्रकृति में जेण्डर बहुआयामी होता है। इसका एक आयाम लिंग–पहचान या अस्मिता है, जिसका तात्पर्य व्यक्ति रूप में किसी की पहचान पुरुष या स्त्री के रूप में होने से है। एक अन्य आयाम जेण्डर–भूमिका का है। इसका अर्थ यह है कि महिलाएँ और पुरुष उस खास तरीके से अपना कार्य या प्रदर्शन करते हैं, जो सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो। तीसरा आयाम लैंगिक अभिमुखीकरण का है : यानी क्या वे अपने ही जेण्डर के प्रति आकर्षित होते हैं और/अथवा दूसरे जेण्डर के प्रति भी आकर्षित होते हैं (लिप्स, पृ. 3)। आइए, ट्रांस–जेण्डर पहचान पर विशेष ध्यान देते हुए, जेण्डर के इन आयामों को समझें।

लिंग-जेण्डर बहस के कारण अन्ततः जेण्डर आधारित (gendered) लैंगिकता (sexuality) पर प्रचुर अनुसन्धान शुरू हुआ और तमाम देशों में ट्रांस–जेण्डर अध्ययनों के क्षेत्र का उदय हुआ। 'ट्रांस–जेण्डर' एक अत्यन्त व्यापक शब्द है। यह ऐसे लोगों का सूचक है जो अपने जीव–वैज्ञानिक लिंग से सम्बद्ध सांस्कृतिक रूप से परिभाषित पारम्परिक जेण्डर भूमिकाओं के अनुरूप खरे नहीं उतरते (लिण्डसे, 2015 : 38)। ऐतिहासिक रूप से ट्रांस–सेक्सुअल शब्द का प्रयोग मनोचिकित्सकों द्वारा एक ऐसे समुदाय के लिए किया गया था जो यह अनुभव करता है कि उनका जीव–वैज्ञानिक शरीर उनके स्वयं के अहसास से या उनकी जेण्डर पहचान से मेल नहीं खाता। ट्रांस–सेक्सुअल लोग आनुवंशिक रूप से पुरुष या महिला होते हैं लेकिन इनका विश्वास होता है कि ये दूसरे लिंग (सेक्स) के लोग हैं। वे एक गलत शरीर में खुद को 'फँसा हुआ' पाते हैं और इसलिए

PDF Compressor Free Version

सम्भव है कि उन्हें उनकी जेण्डर–पहचान के अनुरूप बनाने के लिए लिंग पुनर्रचना की शल्य चिकित्सा (SRS : Sex Reassignment Surgery) से गुजरना पड़े। ट्रांस–जेण्डर एक अधिक समावेशी शब्द है। यह उन लोगों का वर्णन करता है जो अपनी जेण्डर–पहचानों को अभिव्यक्त या वर्णित करने का एक विशिष्ट तरीका रखते हैं। "ट्रांस–जेण्डर शब्द की संकल्पना एक बहुत व्यापक शब्द के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यह शब्द ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिनकी जेण्डर–पहचान या जेण्डर–अभिव्यक्ति पुरुषत्व या स्त्रीत्व की पारम्परिक उम्मीदों के अनुरूप खरी नहीं उतरती (सैबाटेलो 2011 : 45)।" इसलिए ट्रांसजेण्डर शब्द में ट्रांस–सेक्सुअल पहचान के शारीरिक/मनोवैज्ञानिक पहलू शामिल होते हैं और इसमें विभिन्न लैंगिक अभिमुखीकरणों का समावेश होता है। जैसा कि सुजैन स्ट्राइकर का इशारा है कि "ट्रांस–जेण्डर का तात्पर्य ऐसी सभी पहचानों या व्यवहारों से है जो सामाजिक रूप से निर्मित सेक्स/जेण्डर सीमाओं से परे होते हैं, इन सीमाओं को प्रतिच्छेदित करते हैं या इन सीमाओं के बीच किसी विचित्र या अनोखे रूप में होते हैं" (सैबाटेलो 2011 : 45)। ट्रांसजेण्डर लोग विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट सामाजिक संस्कारों और प्रकार्यों को निष्पादित करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में हिजड़ा समुदाय, ओमान के अरब राज्य में जैनिथ (Xanith) और ताहिती के माहूज (Mahus)। भारत में हिजड़ा समुदाय कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक भूमिकाओं का निर्वहन करता है और ये लोग स्वयं को प्रायः महिला के रूप में अधिक देखते हैं। हालाँकि भारतीय संस्कृति में हिजड़ों की जेण्डर भूमिकाएँ सुपरिभाषित हैं और इससे हिजड़ों को, संस्कारों को निष्पादित करने वाले लोगों के रूप में वैधता भी हासिल होती है, फिर भी भारत में हिजड़े उन समुदायों में शामिल हैं जो अत्यधिक हाशियाकृत हैं। हिजड़ों को अक्सर प्रताड़ित किया जाता है, उनका उपहास उड़ाया जाता है तथा शिक्षा या रोजगार तक उनकी पहुँच नहीं होती है। भारत में नीतिगत हस्तक्षेप के कारण ट्रांसजेण्डर समुदाय के प्रति लोगों का नजरिया धीमे–धीमे बदल रहा है और शिक्षा या सभ्य कहे जाने वाले कामों तक उनकी पहुँच के सम्बन्ध में कुछ बदलाव भी दिख रहे हैं। आइए, संक्षेप में मानोबी बन्धोपाध्याय की कहानी पढ़ते हैं। मानोबी बन्धोपाध्याय ट्रांसजेण्डर समुदाय की प्रथम व्यक्ति हैं, जो पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर महिला कॉलेज की प्रधानाचार्य बनीं। उन्होंने अपनी कहानी इस प्रकार लिखी है

> *"जब बन्धोपाध्याय परिवार में दो लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ, तो हर कोई बहुत खुश था। हालाँकि ज्यादा दिन नहीं बीते जब वह लड़का स्वयं को अपने शरीर के हिसाब से अनुपयुक्त पाने लगा और अपनी पहचान पर सवाल उठाने लगा। ऐसा क्यों था, कि जबकि उसके पास पुरुषों जैसे शारीरिक अंग मौजूद थे, फिर भी वह लगातार अपने बारे में एक लड़की की तरह सोचता चला जा रहा था. .. अपने अहसास के इस अधूरेपन के सन्दर्भ में वह क्या कर सकता था? यह नियति का ऐसा क्रूर मजाक था, जिसे स्वीकार करने से परिवार ने भी इनकार कर दिया था। लेकिन परिवार के लोगों की गैर–जानकारी में लड़के ने मानोबी बनने की अपनी साहसिक यात्रा प्रारम्भ की..।" मानोबी बन्धोपाध्याय, अपनी 'ए गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी' शीर्षक वाली एक किताब में, एक पुरुष से एक स्त्री में अपने रूपान्तरण की कहानी बताती हैं (झिलमिल मुखर्जी पाण्डेय 2017)। यह किताब बताती है कि अपनी जेण्डर–पहचान खोजने के लिए अपने स्वत्व (सेल्फ) के प्रति किसी व्यक्ति की गहरी समझ कितनी जरूरी है और इस संघर्ष को जीतने में शिक्षा तक पहुँच की कितनी बड़ी भूमिका होती है।*

एक संकल्पना के रूप में ट्रांसजेण्डर के अध्यापन से हमें इस चीज में मदद मिलेगी कि हम पुरुष/स्त्री के द्विश्रेणीय वर्गीकरण से परे जाकर जेण्डर रचनाओं (रचनाओं) का अन्वेषण कर सकें। अन्य सामाजिक श्रेणियों की ही तरह ट्रांसजेण्डर समुदाय और उनका

PDF Compressor Free Version

जीवन भी बहुत विविध और विषमांगी विजातीय (heterogeneous) होता है। ट्रांसजेण्डर की विषयवस्तु से विद्यार्थियों का परिचय कराने के कारण अनेक प्रकार के सवाल खड़े होंगे; इसलिए ऐसे मुद्दों को समझने के लिए कक्षा–कक्ष के वातावरण को बहुत संवेदनशील और सहज होना चाहिए। समाजशास्त्र में और जेण्डर–अध्ययनों में बहुत सारे विषय ऐसे हैं, जिन्हें ट्रांसजेण्डर समुदाय के परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जा सकता है; जैसे – उपसंस्कृतियाँ/प्रतिसंस्कृतियाँ, सामाजिक असमानता, रोजगार में भेदभाव, सामाजिक संस्थाएँ और स्वास्थ्य देखभाल (विंटलिंग एट. आल 2008)। अध्यापन करने वाले निर्देशक वेबसाइटों, ऑनलाइन फोरमों, व्याख्यानों और ट्रांसजेण्डर का समर्थन करने वाले संगठनों का उपयोग कर सकते हैं ताकि ट्रांसजेण्डर समुदायों और उनके जीवन के प्रति शिक्षार्थियों की समझ बनने में सुविधा हो सके।

जेण्डर एक सीखा हुआ व्यवहार है, इसलिए इस जेण्डर समाजीकरण का नाम दिया जा सकता है। जेण्डर समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ निर्धारित जेण्डर मानकों, व्यवहारों और पहचान को सीखता है। आइए, कुछ परिकल्पित प्रश्नों पर निगाह डालते हुए अपने दैनिक जीवन में होने वाले जेण्डर–समाजीकरण के बारे में चिन्तन करें; जैसे :

- जब एक बच्चा एक लड़का या लड़की के रूप में पैदा होता है, तो उसके माता–पिता की प्रतिक्रिया क्या होती है?
- बच्चे के कमरे को सजाने के लिए माता–पिता किन रंगों का प्रयोग करेंगे?
- एक शिशु बालक या बालिका का नाम रखने के लिए विभिन्न नामों पर कैसे सोचा जाता है?
- एक शिशु बालक या बालिका के लिए कोई व्यक्ति किस तरीके के खिलौने लाता है?
- विद्यालय में लड़कों और लड़कियों के लिए अध्यापक किस प्रकार अलग–अलग सोचते हैं?
- परिवार और विद्यालय किस प्रकार लड़कों और लड़कियों को अलग–अलग प्रकृति वाले काम सौंपते हैं?

इन प्रश्नों पर विचार करें और जेण्डर अन्तरों की उस धारणा को आत्मसात करें, जिसका अनुभव लोगों को उनके दैनिक जीवन में होता है। अपनी पुस्तक 'सेक्स, जेण्डर एण्ड सोसायटी (1972)' में ओकले ने लिंग और जेण्डर के बीच स्पष्ट विभेद किया है, जिसके अनुसार :

'सेक्स' (लिंग) शब्द पुरुषों और महिलाओं के जीव–वैज्ञानिक अन्तरों की तरफ निर्देश करता है; जैसे – साफ–साफ दिखने वाले उनके प्रजनन सम्बन्धी अन्तर और इसी से सम्बद्ध जन्म देने वाले प्रकार्यों का अन्तर। जबकि 'जेण्डर' संस्कृति का एक विषय है। यह 'पुल्लिंग' और 'स्त्रीलिंग' के सामाजिक वर्गीकरण की तरफ निर्देश करता है (फ्रीडमैन 2002 से ग्रहीत, पृ. 15)। जेण्डर में सामाजिक रिश्ते, श्रम, शक्ति, भावना और भाषा शामिल होती है। जेण्डर को अलग–अलग समाजों और अलग–अलग संस्कृतियों में अलग–अलग तरीके से व्याख्यायित किया जाता है। जेण्डर को समझने के लिए, आइए एक प्रामाणिक वाक्य पर निगाह डालें :

"सारी महिलाएँ गरीब ही नहीं होती हैं और न ही सारे गरीब लोग महिलाएँ ही होते हैं,

PDF Compressor Free Version

लेकिन सारी महिलाओं के लिए इस बात की आशंका बनी रहती है कि वे भेदभाव का शिकार होंगी।" (कबीर और सुब्रह्मणियन, 1996), देखें होम्स एण्ड जोन्स, 2013, पृ. 17।

अपनी प्रगति को जाँचिए I

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

1) क्या जेण्डर की रचना सामाजिक रूप से होती है? एक उदाहरण के साथ वर्णन कीजिए।

....

....

....

1.4 जेण्डर भेदभाव

जेण्डर भेदभाव व्यक्तियों की उन सुभेद्यताओं (vulnerabilities) की व्याख्या करता है जो उनकी जेण्डर पहचानों पर आधारित होते हैं। लोगों के साथ जेण्डर के आधार पर किये जाने वाले व्यवस्थित बहिष्करण और विभेदमूलक वाले व्यवहार को जेण्डर भेदभाव कहा जाता है। यह जेण्डर पहचानों को आधार बनाते हुए लोगों को उनके अधिकारों और अवसरों से वंचित रखता है। यह संसाधनों और उन पर नियन्त्रण तक लोगों की पहुँच से इनकार करता है। उदाहरण के लिए अनेक समाजों में मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य/देखभाल, राजनीतिक सहभागिता और सम्पत्ति के अधिकारों तक महिलाओं की पहुँच को रोक दिया जाता है। शक्ति और संसाधनों पर नियन्त्रण तक महिलाओं की विभेदकारी पहुँच भेदभाव का केन्द्रीय प्रश्न है जो विभिन्न संस्थाओं; जैसे – परिवार, बाजार, समुदाय, विद्यालय, वैज्ञानिक प्रतिष्ठान आदि में प्रतिबिम्बित होता है। परिवार के भीतर महिलाओं और लड़कियों को संसाधनों के वितरण के मामले में भेदभाव के अनेक रूपों का सामना करना पड़ता है। ये संसाधन खाद्य पदार्थों से, जेण्डर भूमिकाओं के आबंटन से और सम्पत्ति के स्वामित्व आदि से जुड़े होते हैं। खाद्य सामग्रियों के असमान वितरण के परिणाम लड़कियों में अत्यधिक कुपोषण और रक्ताल्पता के रूप में सामने आता है। इसी प्रकार भारत में पुत्रों को वरीयता देने का दुष्परिणाम जेण्डर–भेदभावकारी कार्यों और व्यवहारों के रूप में सामने आता है; जैसे – चयनात्मक गर्भपात, कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या। श्रम बाजार में आप जेण्डर आधारित भेदभाव देख सकते हैं; जैसे – महिलाओं को कम वेतन वाले और ठेके वाले कामों में लगाया जाता है और ये जेण्डर–भेदभावकारी मजदूरी के उदाहरण हैं। इसी तरह, अगर निर्णय–निर्माण निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होता तो जेण्डर के आधार पर भेदभाव की यह प्रक्रिया लड़कियों की विद्यालय तक, स्वास्थ्य–देखभाल और कानून तक उनकी पहुँच में और अधिक बाधा उत्पन्न करती है। जेण्डर आधारित भेदभाव का यह रूप महिलाओं के अधिकारों को प्राथमिक रूप से मानवाधिकार का एक मुद्दा नहीं मानता है। इसलिए सन् 1979 ई. में महिलाओं के विरुद्ध समस्त प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEWAD : Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) ने समस्त प्रकार के भेदभावों से मुक्त रहने के महिलाओं के अधिकार के आयाम पर विशेष ध्यान दिया। जेण्डर भेदभाव पितृसत्ता और गहरी सामाजिक असमानताओं का अन्तिम परिणाम है। इस बात को लेकर बहसें जारी हैं कि महिलाओं की गरीबी को दूर करके समाजों में

PDF Compressor Free Version

जेण्डर–असमानताओं को किस सीमा तक समाप्त किया जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत जटिल है क्योंकि महिलाओं की गरीबी में बहुत सारी चीजें शामिल हैं; जैसे – भूमि तक या निर्णय–निर्माण में अभिकरण तक उनकी पहुँच, परिवार में कानूनी अधिकार, हिंसा के प्रति सुभेद्यता, आत्मसम्मान, अत्यधिक कार्य का बोझ, समय का अभाव, पर–निर्भरता और शक्तिहीनता (जॉनसन–लैथम 2004, चौण्ट, 1997, कबीर, 1997 और सेन, 1997)। महज आय अर्जन करने वाली गतिविधियों के ही जरिये भेदभाव के इन रूपों को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके लिए पितृसत्तात्मक संरचना और सामाजिक–सांस्कृतिक मानकों के भीतर भी गहराई से देखना होगा। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक संवृद्धि और उसके विकास पर जेण्डर भेदभाव का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। आइए, संक्षेप में जेण्डर भेदभाव और आर्थिक विकास के आपसी सम्बन्ध पर एक दृष्टि डालें :

आर्थिक संवृद्धि पर जेण्डर भेदभाव का प्रभाव

- जेण्डर असमानता के निदान और महिला सशक्तिकरण के लिए निवेश करने से उत्पादकता बढ़ सकती है और उच्च सामाजिक विकास हो सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ का आँकलन है कि श्रमबल में महिलाओं की सहभागिता के अभाव के कारण अकेले एशियाई क्षेत्र में ही प्रतिवर्ष 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है।
- कुछ विशिष्ट व्यवसायों में सहभागिता करने से महिलाओं को रोकने वाली बाधाओं को समाप्त करके उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। इससे पुरुषों और महिलाओं के बीच के उत्पादकता अन्तराल को कम किया जा सकता है और प्रति श्रमिक अन्तिम निष्पादन को 3 से 25 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
- ऐसे राष्ट्रों की आर्थिक संवृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक हो सकती है, जहाँ की महिलाएँ शिक्षित और सशक्तिकृत हों।
- महिलाओं को अधिकारों, अवसरों और अभिकरण से युक्त करने से उनकी अगली पीढ़ी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है।
- घरेलू संसाधनों और आय पर महिलाओं का नियन्त्रण बढ़ने से परिवार के खर्च का प्रतिमान बदल रहा है। इसका उनके बच्चों पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। चीन में महिलाओं की आय दस प्रतिशत बढ़ने का परिणाम यह हुआ कि उनके परिवार की औसत आय बढ़ गयी और इसका लड़कियों और लड़कों, दोनों के विद्यालय जाने की प्रक्रिया पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा।
- जब लड़कियों को शिक्षित किया जाता है तो इससे जीवन–चक्र दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, लड़कियों की शिक्षा का परिणाम यह हो सकता है कि उनका विवाह देर से हो और वे देर से माँ बनें, एचआईवी और एड्स के खतरे कम हों, परिवार की आय बढ़े, कम बच्चे पैदा हों, उनका अस्तित्व बेहतर हो, अगली पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणाम बेहतर हों, घर–परिवार और समुदाय में निर्णय–निर्माण का स्तर ऊँचा उठे तथा जेण्डर आधारित हिंसा की दरें कम हों (होम्स एण्ड जोन्स, 2013, पृ. 18–19)।

PDF Compressor Free Version

जेण्डर भेदभाव अपनी प्रकृति में बहुआयामी हो सकता है तथा इसके प्रभाव को सिर्फ आय या महिलाओं में गरीबी जैसे किसी एक सूचक मात्र से नहीं मापा जा सकता। नीतियों में जेण्डर समानता और जेण्डर समता हासिल करके और तृणमूल स्तर पर इन नीतियों के उपयुक्त प्रवर्तन से जेण्डर भेदभाव को सम्बोधित किया जा सकता है। जेण्डर भेदभाव के बारे में विद्यालयों में बातचीत करने के लिए शिक्षा एक मूलभूत उपकरण है और इससे व्यक्ति के जीवन–चक्र दृष्टिकोण में एक सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है।

1.5 जेण्डर गतिकी

जेण्डर गतिकी महिलाओं और पुरुषों के बीच विद्यमान शक्ति के अन्तर की व्याख्या करता है। आइए एक परिवार का उदाहरण लेते हैं जिसमें पिता/पति/भाई परिवार का मुखिया है। वित्त, संसाधनों के आवंटन और वितरण से जुड़े अधिकांश निर्णय परिवार में पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। दूसरी तरफ, परिवार में महिलाएँ अधीनस्थ वर्गीय स्थिति में होती हैं जहाँ पर वे कार्यों को करने के लिए तो जिम्मेदार हैं लेकिन यह जरूरी नहीं है कि निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी हो। जेण्डर गतिकी परिवार के भीतर और बाहर जेण्डर सम्बन्धों (पुरुषों और महिलाओं के बीच के शक्ति सम्बन्धों) को समझने में हमारी मदद करता है। आइए, श्रम के लैंगिक विभाजन का एक साधारण–सा उदाहरण लेते हैं। यह संकल्पना व्याख्या करती है कि परिवार चलाने के लिए महिलाओं और पुरुषों द्वारा जिम्मेदारियाँ उठाने में साफ और दृश्यमान अन्तर होता है। यह संकल्पना औद्योगीकरण के दौरान पैदा हुई थी जिसमें परिवार से सम्बन्धित वित्तीय मामलों के प्रबन्धन के लिए और मजदूरी कमाने हेतु घर से बाहर काम करने के लिए प्राथमिक रूप से पुरुष जिम्मेदार थे। महिलाएँ घर के भीतर के कामों; जैसे – कपड़े धोना, साफ–सफाई करना, खरीददारी करना, खाना पकाना और बच्चों और वृद्धजनों की देखभाल करना आदि के प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार थीं। देखभाल सम्बन्धी कामकाज और घरेलू कार्य महिलाएँ बिना किसी मजदूरी के ही करती चली आ रही हैं और यह घरेलू श्रम बिना किसी भुगतान का ही रह जाया करता है। यह कार्य न तो दिखता है और न ही परिवार के भीतर या उसके बाहर भी इसका कोई संज्ञान लिया जाता है। यह श्रम के लैंगिक विभाजन का एक उदाहरण है जो परिवार में महिलाओं और पुरुषों के बीच विद्यमान शक्ति की गतिकी की व्याख्या करता है।

जेण्डर गतिकी की व्याख्या जेण्डर सम्बन्ध की संकल्पना की मदद से भी की जा सकती है। जेण्डर सम्बन्धों से तात्पर्य महिलाओं और पुरुषों के बीच के सामाजिक सम्बन्धों से है जिनका उद्भव, प्राथमिक रूप से, जीव–वैज्ञानिक रूप से भिन्न–भिन्न लिंगों से होता है। जेण्डर सम्बन्ध सहयोग, संघर्ष, पारस्परिक समर्थन, प्रतिस्पर्द्धा, अन्तर और असमानता के सम्बन्ध हो सकते हैं। समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति का वितरण किस प्रकार हुआ है, इसे समझने में यह हमारी मदद करता है। इन दोनों लिंगों में अन्तर के कारण महिलाओं, पुरुषों और अन्य जेण्डर पहचानों के बीच, उनकी सामाजिक स्थितियों और दशाओं के सम्बन्ध में व्यवस्थित असमानता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि परिवार के भीतर जेण्डर के आधार पर किस प्रकार कुछ विशिष्ट जिम्मेदारियों का आवंटन कर दिया जाता है और इसी तरह किस प्रकार महिलाओं के कार्यों तथा पुरुषों के कार्यों के साथ–साथ अलग–अलग सामाजिक मूल्य जोड़ दिए जाते हैं। महिलाएँ बच्चों की देखभाल और घरेलू कामकाज के लिए जिम्मेदार होती हैं, जिसे पुनरुत्पादक श्रम कहा जाता है। दूसरी तरफ पुरुष वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से सम्बद्ध होते हैं, जिसे उत्पादक श्रम कहा जाता है। अब जबकि अधिकाधिक महिलाएँ

PDF Compressor Free Version

भुगतान वाले श्रम के क्षेत्र में प्रविष्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी श्रम बाजार और घर में गम्भीर असमानताएँ विद्यमान हैं। आइए, स्वस्ति मिटर (2002) के अध्ययन से महिलाओं के न दिखने वाले कार्यों का उदाहरण लेते हैं। महिलाओं के कार्य को उपयुक्त तरीके से प्रेम से या प्रेम में किए गए कार्य (Labour of Love) या बिना भुगतान वाले श्रम के रूप में ग्रहण किया जाता है और समाज भी महिलाओं से यही उम्मीद करता है कि वे बिना भुगतान वाले श्रम के कार्य के विचार पर ही अपना कामकाज करती रहें, चाहे यह कामकाज घर से बाहर का ही क्यों न हो! चाहे बाजार केन्द्रित अर्थव्यवस्था की बात हो या समाजवादी अर्थव्यवस्था की, भुगतान वाले रोजगार तक महिलाओं की पहुँच के बढ़ने का सहज मतलब ही यह है कि उनके ऊपर दो तरीके के कामकाज का बोझ डाला जा रहा है।

प्रेम से या प्रेम में किया गया कार्य

चिकित्सक ने पूछा, "क्या तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चे हैं?"

उस पुरुष ने उत्तर दिया कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जन्म लेने वाले मेरे पन्द्रह बच्चों में से केवल नौ ही जीवित हैं।

क्या आपकी पत्नी कार्य करती हैं?

नहीं, वह घर पर ही रहती हैं।

अच्छा! फिर वह अपना दिन किस तरह बिताती हैं?

वह सुबह चार बजे सोकर उठती हैं, जाकर पानी और लकड़ियाँ लाती हैं, आग जलाती हैं और नाश्ता तैयार करती हैं। इसके बाद वो नदी के किनारे जाती हैं और कपड़े धोती हैं। इसके बाद वो कस्बे तक जाती हैं और बाजार से हमारी जरूरत की चीजें लाती हैं। इसके बाद वो दोपहर का खाना पकाती हैं।

आप दोपहर में घर आते हैं?

नहीं, नहीं! वो भोजन को खेत तक – घर से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी तक ले आती हैं।

और उसके बाद?

हाँ, वो उसके बाद मुर्गियों और सुअरों की देखभाल करती हैं और जाहिर है कि वो दिन भर बच्चों की देखभाल करती हैं... इसके बाद वो रात का भोजन बनाती हैं और मेरे घर आने तक रात का भोजन तैयार रहता है।

क्या वो रात के भोजन के बाद सोने चली जाती हैं?

नहीं। रात का भोजन करने के बाद सोने तो मैं जाता हूँ। वो घर के तमाम कामकाज में करीब नौ बजे रात तक व्यस्त रहती हैं।

हाँ, लेकिन अभी आपने कहा कि आपकी पत्नी कोई कार्य नहीं करती हैं?

हाँ, वह कोई कार्य कहाँ करती हैं! मैंने कहा न, कि वो कार्य नहीं करतीं, बस घर पर ही रहती हैं।

(1977, मिटर 2002 : 114)

ऊपर वर्णित कहानी बताती है कि महिलाओं का सारा कार्य किस प्रकार अनदेखा रह जाया करता है और किस प्रकार उस कार्य का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। साथ ही यह कहानी यह भी स्पष्ट करती है कि घर के भीतर महिलाओं द्वारा किया गया तमाम कामकाज आर्थिक गणना के दायरे से किस प्रकार बाहर छूट जाया करता है। क्या आपने

PDF Compressor Free Version

कभी सोचा है कि श्रम बाजार अपनी प्रकृति में किस तरह जेण्डरीकृत है? श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिकांशतः टाइपिस्टों, नर्सों, रिसेप्शनिस्टों, शिक्षकों, घरेलू सहायकों, प्रसूति विशेषज्ञों, कृषि श्रमिकों आदि के रूप में ही होता है। आप अनौपचारिक क्षेत्रों में और भी महिलाओं को देख सकते हैं; जैसे – बीड़ी बनाने के काम में, निर्माण कार्य में, चाय बागानों में, परिधानों के कारखानों में आदि। यहाँ तक, कि इन क्षेत्रों के भीतर भी अधिकांश महिलाएँ अकुशल हैं और अनौपचारिक किस्म के कामों में लगी हुई हैं। किसी निर्माण वाले स्थल पर आप कितनी महिलाओं को देखते हैं जो राजमिस्त्री के रूप में कार्यरत हैं? राजमिस्त्री के काम को हमेशा एक पुरुष का काम माना जाता रहा है और निर्माण स्थलों पर बहुत सारी महिलाएँ आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्य करती हैं और अपने सिर पर बहुत भारी बोझ को ढोती हैं। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि जेण्डर गतिकी या जेण्डर सम्बन्ध किस प्रकार शिक्षा, कानून, नीतियों, विज्ञान और स्वास्थ्य जैसे प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हैं। जेण्डर और विकास अध्ययनों के समर्थकों का तर्क है कि जेण्डर की दृष्टि से अधिक न्यायसंगत विकास को हासिल करने योग्य होने के लिए जेण्डर गतिकी पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जेण्डर गतिकी सुभेद्यता, खतरों और आघातों (shocks) को बहुत तरीकों से प्रभावित करती है मीनजेन–डिक और अन्य (2011)।

- घर में और समुदाय में महिलाएँ और पुरुष आघातों (shocks) का अनुभव अलग–अलग करते हैं। उदाहरण के लिए, खराब स्वास्थ्य महिलाओं को अधिक दुष्प्रभावित करता है क्योंकि वे सिर्फ अपने ही स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होतीं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल भी करती हैं।
- आघातों (shocks) को झेलने की योग्यता महिलाओं और पुरुषों में अलग–अलग होती है। सिंचाई, कृषि के प्रशिक्षण और जल–संचयन की प्रविधियों तक महिलाओं की पहुँच बहुत कम होती है।
- आघातों (shocks) से निबटने के लिए महिलाएँ और पुरुष अलग–अलग रणनीतियों का सहारा लेते हैं। महिलाओं की सम्पत्तियाँ अचानक तब दिखती हैं और खर्च भी हो जाती हैं, जब परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़ता है जबकि पुरुषों की सम्पत्तियाँ शादी–विवाह के खर्च और दहेज आदि में खर्च होती हैं।
- कुछ ऐसे आघातों (shocks) भी होते हैं जो महिलाओं को ही विशिष्ट रूप से प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तलाक की स्थिति में या पति की मृत्यु की दशा में महिलाएँ अपनी सारी सम्पत्तियाँ खो देती हैं, खासकर तब जब विवाह पर प्रथाओं–परम्पराओं के नियम लागू हो रहे हों।

अपनी प्रगति को जाँचिए II

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

2) जेण्डर गतिकी की संकल्पना को परिभाषित कीजिए और शिक्षा में मौजूद जेण्डर श्रेणीतन्त्र की व्याख्या करने के लिए प्राथमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा से एक उदाहरण दीजिए।

....

....

....

PDF Compressor Free Version

1.6 जेण्डर आवश्यकताएँ

जेण्डर और विकास के दृष्टिकोण के सन्दर्भ में जेण्डर आवश्यकताओं को एक संकल्पना के रूप में समझा जाता है। दो नीतिगत परिप्रेक्ष्य/दृष्टिकोण हैं। पहला है, विकास में महिलाएँ (WID) और दूसरा है, जेण्डर और विकास (GAD) जो महिलाओं को विकास से सम्बन्धित करता है। डब्ल्यूआईडी दृष्टिकोण विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों के रूप में महिलाओं को विकास प्रक्रिया में शामिल करने तथा किसी देश के आर्थिक विकास के साथ महिलाओं को एकीकृत करने पर लक्षित है। दूसरी तरफ जी ए डी दृष्टिकोण महिलाओं और पुरुषों के बीच विद्यमान असमानताओं को सम्बोधित करने पर लक्षित है। ये असमानताएँ महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक भूमिकाओं, सम्बन्धों, दशाओं, संगठनों और संस्कृतियों में मौजूद होती हैं। विकास सम्बन्धी नीतियों के सन्दर्भ में दृष्टिकोण का परिवर्तन हुआ। डब्ल्यूआईडी दृष्टिकोण की जगह अब जीएडी दृष्टिकोण आया और इसके कारण जेण्डर आवश्यकताओं और जेण्डर सम्बन्धों जैसी नवीन संकल्पनाओं का उदय हुआ (एल्सटन 1995; कबीर 1994; सीएफ. मार्च एट आल 1999)। समाज अपनी प्रकृति में पितृसत्तात्मक होता है; इसलिए संगठन की संस्कृति, संरचना और कार्य–व्यवहार पुरुषकेन्द्रित मूल्यों और अभिवृत्तियों पर आधारित होते हैं। ये संस्थाएँ संगठन में महिलाओं के योगदान का संज्ञान लेने में असफल रह जाती हैं। फलतः संगठन, विकास प्रक्रिया और समाज में महिलाओं की आवश्यकताएँ और उनकी रुचियाँ अनदेखी रह जाया करती हैं। संगठनों में मौजूद पुरुषकेन्द्रित पूर्वाग्रह, व्यापक स्तर पर विश्व और समाजों में जेण्डर असमानताओं और श्रेणीतन्त्रों का पुनर्सृजन करते हैं। जीएडी दृष्टिकोण का तर्क है कि विकास प्रक्रिया को और अधिक जेण्डर–संवेदी या जेण्डर–समावेशी बनाने के लिए जेण्डर आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है। ये जेण्डर आवश्यकताएँ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग–अलग होती हैं।

जेण्डर आवश्यकताएँ व्यावहारिक जेण्डर आवश्यकताओं (PGNs : Practical Gender Needs) और रणनीतिक जेण्डर आवश्यकताओं (SGNs : Strategic Gender Needs) में विभाजित हैं। पीजीएनएस और एसजीएनएस शब्द सन् 1985 ई. में मैक्सिन मॉलीन्यूक्स द्वारा दिये गए थे। बाद में एक उपकरण के रूप में इन दोनों संकल्पनाओं का विकास कैरोलिन मोजर ने किया ताकि महिलाओं की स्थितियों में सुधार किया जा सके। व्यावहारिक जेण्डर आवश्यकताओं का लक्ष्य, महिलाओं के जीवन को उन्नत बनाने के लिए, महिलाओं और पुरुषों की तात्कालिक आवश्यकताओं को सम्बोधित करना है। इन आवश्यकताओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल और स्वच्छता तक महिलाओं की पहुँच सम्भव करना शामिल हैं। नीतिगत स्तर पर राष्ट्र यदि महिलाओं की इन व्यावहारिक जेण्डर आवश्यकताओं को सम्बोधित करता है तो महिलाओं की जीवन–स्थितियों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। रणनीतिक जेण्डर आवश्यकताएँ ऐसी आवश्यकताएँ हैं जो महिलाओं और पुरुषों के बीच विद्यमान असमान शक्ति सम्बन्धों को रूपान्तरित करने में सहायता करती हैं। ये आवश्यकताएँ श्रम के जेण्डरीकृत विभाजन, शक्ति की असमान भागीदारी तथा सम्पत्ति तक असमान पहुँच और उस पर असमान नियन्त्रण जैसी संकल्पनाओं से जुड़ी हैं। महिलाओं की रणनीतिक जेण्डर आवश्यकताओं के उदाहरणों में शामिल हैं – कानूनी अधिकार, घरेलू हिंसा, समान मजदूरी तथा अपने शरीर पर महिलाओं का नियन्त्रण। इन आवश्यकताओं/हितों को चुनौती देना आसान नहीं है लेकिन समाज में अपनी सामाजिक स्थिति के सुधार के लिए महिलाएँ अपनी इन आवश्यकताओं को अभिव्यक्त और स्पष्ट कर सकती हैं। अपनी सामूहिक चेतना के उन्नयन के लिए किसी भिन्न जाति, वर्ग, धर्म या जनजाति की महिलाएँ इन रणनीतिक आवश्यकताओं को साझा कर सकती हैं और इन्हें सुन–समझ सकती हैं। पुरुषों की भी

PDF Compressor Free Version

रणनीतिक जेण्डर आवश्यकताएँ होंगी; जैसे – बच्चों की देखभाल करने में सहभागिता करके परिवार में अपनी भूमिकाओं का रूपान्तरण करना या कुछ घरेलू कामों की जिम्मेदारी लेना (मार्च एट आल, 1999)। आवश्यकताओं के इन दोनों प्रकारों को एक–दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और जेण्डर–समावेशी नीतियों के निर्माण के लिए ये दोनों प्रकार की आवश्यकताएँ महत्वपूर्ण हैं।

1.7 जेण्डर विश्लेषण

जेण्डर विश्लेषण नीतिगत और सामाजिक कार्य दोनों स्तरों पर जेण्डर असमानताओं को कम करने का एक उपकरण या ढाँचा है। इन ढाँचों को सामाजिक अनुसन्धान और नीति नियोजन में जेण्डर विश्लेषण को एकीकृत करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। मुद्दों, भूमिकाओं, सम्बन्धों और सामाजिक स्थितियों – जो कि महिलाओं और पुरुषों के जीवन को अलग–अलग तरीके से प्रभावित करते हैं – को समझने के लिए इसे एक व्यावहारिक मार्ग–निर्देशक के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, उत्पादक भूमिकाओं में पुरुषों/लड़कों की संलग्नता की तुलना में कृषि, आय–उत्पादक और अन्य गतिविधियों जैसी उत्पादक भूमिकाओं में महिलाओं/लड़कियों की संलग्नता। इस उदाहरण में आय–उत्पादक गतिविधियों के सन्दर्भ में हम जेण्डर भूमिकाओं के बीच अन्तर को खोज सकते हैं। इससे जेण्डर–संवेदी तरीके से किसी कार्यक्रम को अभिकल्पित करने में व्यक्तियों या संस्थाओं को मदद मिलेगी। जेण्डर विश्लेषण ढाँचा जिन मुद्दों पर विचार करता है, वे हैं – कार्य, संसाधनों तक पहुँच और उन पर नियन्त्रण, प्रस्थिति और भूमिका, तथा महिलाओं और पुरुषों की दशा या स्थिति। आइए कुछ साधारण उदाहरणों पर विचार करते हैं :

- **कार्य** : कौन किस तरीके के कार्य को करता है?
- **संसाधनों तक पहुँच** : उत्पादक संसाधनों; जैसे – सम्पदा, साख और कृषि भूमि तक किसकी पहुँच है?
- **संसाधनों पर नियन्त्रण** : संसाधनों के वितरण के बारे में निर्णय लेने की शक्ति किसको है और संसाधनों तक पहुँच किसकी है? उदाहरण के लिए, कृषि के लिए खेत तक महिलाओं की पहुँच पारिवारिक श्रमिक के रूप में तो हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि भूमि या कृषि उपज पर उनका नियन्त्रण न हो।
- **प्रस्थिति और भूमिका** : पुरुषों के कार्य के सामने महिलाओं के कार्य को क्या मूल्य प्रदान किया जाता है?
- **दशा और स्थिति** : दशा का तात्पर्य उस तात्कालिक भौतिक स्थिति से होता है, जिसमें महिलाएँ और पुरुष रहते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षा तक किसी बालिका की पहुँच किस प्रकार होगी? राष्ट्र और राज्य सकारात्मक नीतियाँ निर्मित करते हैं; जैसे – शिक्षा तक बालिकाओं की पहुँच सम्भव बनाने के लिए संघ सरकार का कार्यक्रम 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ', दिल्ली सरकार की नीति 'लाडली योजना'। जेण्डर–संवेदी नीतियों को लागू करने से महिलाओं और लड़कियों को अपनी भौतिक दशाएँ सुधारने में मदद मिलती है।
- **स्थिति** : यह इस बात का वर्णन करती है कि समाज में महिलाओं और पुरुषों के साथ किस प्रकार भिन्न–भिन्न मूल्य संलग्न कर दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं का कार्य द्वितीयक है, अदृश्य है, निम्न कोटि का है, पुरुषों की तुलना में कोमल प्रकृति का है।

PDF Compressor Free Version

1.7.1 जेण्डर विश्लेषण ढाँचा

जेण्डर सम्बन्धी अनुसन्धान को सम्पन्न करने के लिए विभिन्न जेण्डर विशेषज्ञों द्वारा जेण्डर विश्लेषण के विभिन्न ढाँचे विकसित किए गए हैं। आइए, इनमें से कुछ ढाँचों के बारे में संक्षेप में पढ़ते हैं :

हार्वर्ड विश्लेषणात्मक ढाँचा और जन–अभिमुख योजना : इसे जेण्डर भूमिकाओं के ढाँचे के रूप में भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन सन् 1985 ई. में हुआ था। इसका विकास यू एस ए आई डी (USAID) के डब्ल्यू आई डी (WID) कार्यालय के साथ मिलकर हार्वर्ड इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्टरनेशनल डेवेलपमेण्ट, यू एस ए के अनुसन्धानकर्ताओं द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य नीति नियोजकों की मदद करना है जिससे वे दक्ष कार्यक्रमों का अभिकल्पन महिलाओं और पुरुषों द्वारा धारित किए जाने वाले उत्पादक संसाधनों के आधार पर तथा घर–परिवार और समुदाय में महिलाओं और पुरुषों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रकार के आधार पर कर सकें। इस ढाँचे के चार घटक हैं – गतिविधि रूपरेखा, पहुँच और नियन्त्रण रूपरेखा, प्रभाव डालने वाले कारक और विश्लेषण के लिए आवश्यक सूचियाँ।

जन–उन्मुख नियोजन ढाँचा : इस ढाँचे का विकास शरणार्थी स्थिति के विश्लेषण के लिए किया गया है। इसका विकास शरणार्थी महिलाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (UNHCRW) के लिए मैरी बी. एण्डरसन और एम. होवार्थ द्वारा किया गया था। इस ढाँचे का उद्देश्य समुदायों के बीच संसाधनों और सेवाओं के न्यायसंगत (equitable) वितरण को प्रोत्साहित करना है। यह ढाँचा जिन महत्वपूर्ण कारकों पर बहुत बल देता है, वे हैं – परिवर्तन, सहभागिता तथा विश्लेषण का महत्त्व।

मोजर ढाँचा : इसका विकास लन्दन विश्वविद्यालय के विकास नियोजन एकक में कैरोलिन मोजर द्वारा जेण्डर विश्लेषण के एक उपकरण के तौर पर किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, प्रान्तीय या क्षेत्रीय) पर एक अलग गतिविधि के रूप में जेण्डर योजना की शुरूआत करना था। जेण्डर योजना का लक्ष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं के लिए समानता, समता और सशक्तिकरण हासिल करना था (मार्च एट आल, 1999)।

अपनी प्रगति को जाँचिए III

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

3) जेण्डर विश्लेषण क्या है? जेण्डर सम्बन्धी अनुसन्धान को सम्पन्न करने में यह किस प्रकार सहायता कर सकता है?

....

....

....

1.8 जेण्डर समानता और समता

समानता को उस अवस्था या दशा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सामाजिक प्रस्थिति, राजनीतिक और कानूनी अधिकारों के सन्दर्भ में महिलाओं और पुरुषों के साथ

PDF Compressor Free Version

एक जैसा व्यवहार करती है। ऐतिहासिक रूप से सभी समाजों में पुरुषों ने महिलाओं की तुलना में उच्चतर सामाजिक प्रस्थिति का आनन्द लिया है। ब्रिटेन में उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में नारीवादियों ने शिक्षा, रोजगार, सम्पत्ति और मताधिकार के सन्दर्भ में महिलाओं के लिए समान अधिकार हेतु अभियान शुरू किया। बीसवीं शताब्दी के अन्त तक ब्रिटेन में जेण्डर समानता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनेक कानून बनाए गए; जैसे – लैंगिक भेदभाव अधिनियम और समान वेतन अधिनियम। समानता की बहस का तर्क है कि समस्त महिलाओं के साथ समस्त पुरुषों जैसा ही व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी जाति, वर्ग, धर्म, नृजातीयता और अन्य पहचानों में अन्तर ही क्यों न हो। भारत में शासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सम्पत्ति और कानून के क्षेत्रों में जेण्डर समानता को हासिल करने के लिए कुछ निर्धारित नीतियाँ मौजूद हैं। इनमें शामिल हैं – स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान, मातृत्व लाभ अधिनियम, उत्तराधिकार अधिनियम 2005, प्रजननमूलक और बाल स्वास्थ्य देखभाल नीति, घरेलू हिंसा अधिनियम, यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 आदि। भारत में जेण्डर अन्तराल को भरने के लिए ये नीतिगत पहलें और अधिनियम अत्यावश्यक हैं। जेण्डर समता नियोजन प्रक्रिया को जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से समझने में सहायता करती है। उदाहरण के लिए, महिलाओं की वास्तविक आवश्यकताओं का उनकी स्थानीय स्थिति में मूल्यांकन देश या राज्य में जेण्डर समता लाने में सहायता करेगा। जेण्डर विश्लेषण, जेण्डर नियोजन, जेण्डर–अनुक्रियात्मक बजट–निर्माण और जेण्डर–ऑडिट जैसे उपकरण महिलाओं और पुरुषों दोनों की जेण्डर आवश्यकताओं का मूल्यांकन करके स्वयं नियोजन प्रक्रिया में जेण्डर समता लाने में सहायक होते हैं। आइए, जेण्डर समता और स्थानीय शासन पर एक केस स्टडी पर गौर करते हैं :

केरल में विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रक्रिया : जेण्डर समता के लिए एक केस

- केरल में सन् 1996 में जन योजना अभियान (People's Plan Campaign) शुरू किया गया था, जिसके अन्तर्गत जेण्डर समता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए थे। ये कदम निम्नलिखित प्रकार से थे –
- समस्त स्थानीय इलाकों में महिलाओं की प्रस्थिति पर एक सहभागितापरक अध्ययन;
- महिलाओं के लिए परियोजना शुरू करने हेतु महिलाओं के लिए एक कार्यशील समूह का गठन किया गया;
- समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जानने के लिए प्रयास किए गए;
- ग्राम सभाओं में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए;
- ग्राम सभा की सभी उप–समितियों में महिलाओं के 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया;
- प्रत्येक परियोजना प्रतिवेदन में महिलाओं पर एक विशिष्ट अध्याय रखा गया;
- महिला घटक योजना (WCP/Women's Component Plan) के अन्तर्गत धनराशियों का दस प्रतिशत महिलाओं के लिए आवंटित किया गया;
- डब्ल्यूसीपी के अन्तर्गत दस प्रतिशत की धनराशि के आवंटन और उसके उपयोग को देखने हेतु अधीनस्थ समितियाँ और तकनीकी सलाहकारी समितियाँ गठित की गईं;

PDF Compressor Free Version

- लाभार्थियों की समिति में महिलाओं का एक–तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए गए;
- जेण्डर समता अभियान की पूर्ति करने के लिए स्वयं सहायता समूहों क्षेत्र विकास समितियों तथा समुदाय विकास सोसाइटी का गठन किया गया;
- निर्वाचित जन प्रतिनिधियों और अन्य अधिकारियों के लिए जेण्डर जागरूकता कक्षाओं का प्रबन्ध किया गया;
- सूचनाओं और जागरूकता के प्रचार–प्रसार हेतु जेण्डर एवं विकास विषय पर तथा महिलाओं के सशक्तिकरण विषय पर हस्तपुस्तिकाओं का प्रकाशन किया गया (सखी वीमेन्स रिसोर्स सेण्टर, 2006, पृ. 10 और 11)।

यह स्थानीय शासन में जेण्डर समता को एकीकृत करने की एक केस अध्ययन है। यह बताती है कि व्यष्टि (सूक्ष्म) स्तर पर जेण्डर समता को सुनिश्चित करने के लिए जेण्डर नियोजन किस प्रकार महत्वपूर्ण है। जेण्डर समानता के लिए सूक्ष्म स्तर पर नीतिगत पहलों के सन्दर्भ में और भी अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। आइए, संक्षेप में यह समझें कि जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से नीतियों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है।

1.6.1 जेण्डर ढाँचे में नीति का वर्गीकरण

यह निर्धारित करने के लिए कि कोई नीति या परियोजना जेण्डर–समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में किस सीमा तक सामाजिक रूपान्तरण लाने में सक्षम है, नाइला कबीर (1992) ने नीतियों या परियोजनाओं का एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। नीति का श्रेणीकरण निम्नलिखित प्रकार से है :

जेण्डर निरपेक्ष नीति : यह नीति लिंगों के बीच के किसी विभेद पर ध्यान नहीं देती। ये अपने ढाँचे से महिलाओं और अन्य जेण्डरों को बहिष्कृत करने का प्रयास करती हैं। उदाहरण के लिए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति और जलवायु नीति।

जेण्डर जागरूक नीति : इस प्रकार की नीति स्वीकार करती है कि विकास की प्रक्रिया में महिलाएँ सक्रिय या निष्क्रिय कर्त्ता हैं। इसलिए विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका का निर्धारण विद्यमान जेण्डर सम्बन्धों से होता है। इस प्रक्रिया में इस बात की सम्भावना रहती है कि विकास जेण्डर–पूर्वाग्रह को और जेण्डर–असमान सम्बन्धों को और अधिक बल प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम)।

जेण्डर निष्पक्ष नीति : इस प्रकार की नीति किसी विकास परियोजना में पूर्वाग्रह को समाप्त करने हेतु प्रत्येक समाज में महिलाओं की प्रस्थिति और जेण्डर अन्तरों को स्वीकार करती है। इसका उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों दोनों को विकास के लाभ उपलब्ध कराना होता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम।

जेण्डर–विशिष्ट नीतियाँ : इस प्रकार की नीतियाँ किसी दिए गए सन्दर्भ में जेण्डर अन्तरों का संज्ञान लेती हैं और इनका उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों दोनों की व्यावहारिक जेण्डर आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया करना होता है। जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं का घटक योजना (डब्ल्यू सी पी), कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013।

PDF Compressor Free Version

जेण्डर पुनर्वितरणात्मक नीति : नीति की यह ढाँचा महिलाओं और पुरुषों दोनों की रणनीतिक जेण्डर आवश्यकताओं को सम्बोधित करते हुए महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति–असन्तुलनों को रूपान्तरित करने पर जोर देती है। यह समाज में जेण्डर शक्ति सम्बन्धों को चुनौती देने जैसा है। उदाहरण के लिए, प्रजनन के अधिकार की बहसें, वर्मा समिति के प्रतिवेदन को लागू करना, घरेलू हिंसा अधिनियम, मताधिकार, काम पाने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार।

अपनी प्रगति को जाँचिए IV

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

3) जेण्डर समानता क्या है? जेण्डर समता से यह किस प्रकार भिन्न है?

....

....

....

1.9 नारीवाद की धाराएँ

पूरे विश्व में महिलाओं के समस्त आन्दोलनों में नारीवाद केन्द्रीय भूमिका में रहा है। साधारण शब्दों में नारीवाद को एक विचार, विचारधारा या सिद्धान्त, व्यवहार संगठन और आन्दोलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिस पल कोई व्यक्ति अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं एक नारीवादी हूँ, उसी पल हमारे सामने अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं जैसे – नारीवाद क्या है? आपके लिए नारीवाद का क्या अर्थ है? क्या आप एक नारीवादी हैं? क्या नारीवाद पुरुषों के मुद्दों को प्रतिबिम्बित करता है? इसलिए नारीवाद को पढ़ना और समझना व्यक्तियों के दैनिक जीवन की स्थितियों से अधिक जुड़ा हुआ है और यह प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का मौका देता है कि वे एक नारीवादी के नजरिये से अपने भीतर झाँकें और अपनी स्वयं की स्थिति पर सवाल उठाएँ। अगले हिस्से में आप इन्हीं चीजों का अध्ययन करेंगे। अपनी अंतर्सांस्कृतिक उत्पत्ति और महत्व के कारण नारीवाद की कोई स्थिर या खाँचाबद्ध परिभाषा नहीं है। नारीवाद की सीमाएँ खुली हुई हैं और अनेक ज्ञानशास्त्र अपनी–अपनी नारीवादी सैद्धान्तिक स्थितियों के साथ यहाँ आते हैं। इसलिए महिलाओं और जेण्डर अध्ययनों के पाठ्यक्रम में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति नारीवाद की परिभाषा किस प्रकार से करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस इकाई में आपने अभी तक जितनी भी संकल्पनाओं का अध्ययन किया है, वे सभी नारीवादी चेतना या नारीवादी चिन्तन से विकसित हुई हैं। कैथरीन रेडफर्न और क्रिस्टीन ऑन (2010) द्वारा किए गए कार्य में नारीवाद पर निम्नलिखित तरीके से चर्चा की गयी है :

"मेरे लिए नारीवाद का मतलब यह है कि महिलाओं के जीवन में उन्नति हो, लोगों के समस्त समूहों (जैसे – लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, और ट्रांसजेण्डर) के लिए समानता आए। यह अन्तरों को लेकर उत्सव मनाने जैसा है और यह प्रदर्शित करने जैसा है कि कोई एक ही चीज सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती।"

"आपको किसी ऐसे व्यवहार से समस्या है जो आपके 'महिला होने के कारण' आपके साथ किया गया है। इस बात को समझना होगा कि अन्य महिलाओं की कुछ अपनी समस्याएँ हैं, उनके अपने कुछ मुद्दे हैं, और आपको यह भी समझना होगा कि उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सचमुच कुछ करने की आवश्यकता है।"

PDF Compressor Free Version

"एक सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलन जिसका उद्देश्य लिंगों की समानता हासिल करना है।"

नारीवाद एक ऐतिहासिक आन्दोलन है जिसने महिलाओं के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं; जैसे – मताधिकार, जीवन का अधिकार, काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और श्रम बाजार में समान वेतन पाने का अधिकार। नारीवाद की पहली लहर का मूल उन्नीसवीं शताब्दी के यूरोप में है, जिसने महिलाओं और समाज के उन हाशियाकृत समूहों को आवाज प्रदान की, जिनके लिए सामूहिक नारीवादी कार्रवाइयाँ समय बीतने के साथ भी समाज में सक्रिय रहीं।

नारीवाद की पहली लहर का सम्बन्ध महिलाओं के आन्दोलन को एक संगठित सामूहिक कार्रवाई के विचार के रूप में पहचानने से है। नारीवाद की पहली लहर का उद्देश्य बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में महिलाओं के लिए समान अधिकारों को प्राप्त करना था। इस आन्दोलन को मताधिकार आन्दोलन तथा महिलाओं के लिए व्यावसायिक अधिकारों को हासिल करने वाला आन्दोलन कहा जा सकता है। पूर्ण रूप से महिलाओं के अधिकारों के अभियान को; जो सबसे पहले सैनेका फाल्स, न्यूयॉर्क में सन् 1848 ई. में हुआ था; अमेरिका में पहली लहर के नारीवादी आन्दोलनों की शुरूआत कहा जा सकता है।

"दूसरी लहर" शीर्षक का सर्वप्रथम प्रयोग मार्शा लियर द्वारा किया गया था। इसका सम्बन्ध 1960 के दशक में नारीवादी चेतना के उभार से है। इसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध के बाद प्रभावी रही संस्कृति में निहित हैं, जब इस विचार में संशोधन किया जा रहा था कि महिलाओं की जगह उनके घर तक ही सीमित है। नारीवाद की दूसरी लहर में दो मुख्य स्थितियाँ शामिल थीं। पहली स्थिति का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अवसरों को हासिल करना था तथा दूसरी स्थिति ने ज्ञान और कौशल के कुछ प्रकारों के सम्बन्ध में महिलाओं और पुरुषों के बीच के अन्तरों पर खासा जोर दिया था। महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर दिए जाने वाली धारा में महिलाओं के प्रति कुछ सकारात्मक भेदभाव किया जाना शामिल था और इसका जोर इस पर था कि महिलाएँ और पुरुष एक समान हैं और बराबर हैं। दूसरी लहर के रूपक ने शक्ति की उस अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व किया, जो जाति, वर्ग, प्रजाति, नृजातीयता, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, राजनीति आदि अनेक संस्थाओं में मौजूद हो सकती थी। इसकी आलोचना इन आधारों पर की गई है; जैसे – इस विचार का प्रतिपादन श्वेत महिलाओं द्वारा और श्वेत महिलाओं के लिए ही किया गया था; इसकी संकल्पनाओं को विकासशील देशों की महिलाओं पर लागू नहीं किया जा सकता; और सशक्त आलोचना उत्तर–आधुनिकतावाद और उत्तर–संरचनावाद की तरफ से आयी कि नारीवादी की दूसरी लहर ने पितृसत्ता या महिलाओं के दमन का निश्चयवादी (Essentialist) और सार्वभौमिक लेखा–जोखा प्रस्तुत कर दिया है।

नारीवाद की तीसरी लहर 1980 के दशक के मध्य में नारीवाद और प्रजातिवाद के प्रतिच्छेदनों पर लिखी गई चीजों के जरिये दिखी (किन्सेर, 2004)। इस तीसरी लहर ने नारीवाद को पश्चिमी विश्व की श्वेत महिलाओं के उच्च वर्ग की शक्ति और कल्पना से परे जाकर समझने का प्रयास किया। तीसरी लहर के नारीवादियों का तर्क है कि रंग के आधार पर महिलाओं के लिए स्थान सृजित किए जाएँ। तीसरी लहर के नारीवादियों की पहचान दूसरी लहर के नारीवादियों की पीढ़ी से भिन्न तरीके से की जा सकती है क्योंकि इन्होंने महिलाओं की वैयक्तिक स्थिति और उनके व्यक्तिगत सशक्तिकरण पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। वैयक्तिक अभिकरण और चयन पर इनका अधिक जोर रहता है। ये

PDF Compressor Free Version

वैयक्तिक स्थितियों के सैद्धान्तीकरण को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और ये समस्त जेण्डरों के लिए अधिकारों और उनकी स्वीकार्यताओं का जोरदार दावा करते हैं (कोलमैन, 2011 : पृ. 8–10)।

नारीवाद को विभिन्न सैद्धान्तिक स्थितियों के नजरिये से भी समझा गया है, जिनमें शामिल हैं – आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद यानी उत्कट नारीवाद, सांस्कृतिक नारीवाद, समाजवादी नारीवाद, पर्यावरणवादी नारीवाद, वैश्विक नारीवाद, और नव–नारीवाद।

1.10 दृष्टिकोण सिद्धान्त (Stand Point Theory)

दृष्टिकोण सिद्धान्त महिलाओं और पुरुषों के बीच के अन्तर को समझने और उनका अन्वेषण करने के लिए एक नारीवादी ढाँचे के रूप में शुरू होती है। उदाहरण के लिए, जीवन की भौतिक दशाओं के बीच के अन्तरों को तथा किसी व्यक्ति के आत्मनिष्ठ अनुभवों को दृष्टिकोण सिद्धान्त की सहायता से अन्वेषित और विश्लेषित किया जा सकता है। साधारण तरीके से, दृष्टिकोण (स्टैंडप्वाइंट) का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह की आत्मनिष्ठ स्थिति को समझना या उसके बारे में कुछ कहना : महिला होने के कारण मुझे समाज में जेण्डर आधारित भेदभावों के कुछ रूपों का सामना करना पड़ता है; जिनमें शामिल हैं – हिंसा, यौन अत्याचार, कम वेतन, जेण्डर–विभेदकारी व्यवहार, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, प्रतिष्ठा के लिए महिलाओं की हत्या (Honour killing), कम मजदूरी, शिक्षा तक पहुँच का अभाव वगैरह। जिस क्षण हम इन जेण्डर आधारित भेदभावों के अपने आत्मनिष्ठ अनुभवों का अहसास करते हैं, उस क्षण हम अपनी स्टैंडप्वाइंट स्थिति से कुछ कह जरूर सकते हैं। किसी के दमन या स्थिति के बारे में यह वैयक्तिक लेखा–जोखा शिक्षा, विज्ञान–प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, नारीवाद, समाजशास्त्र वगैरह किसी भी ज्ञानानुशासन में अनुसन्धान को संचालित करने के लिए आँकड़ों का एक वैध स्रोत हो जाता है। दृष्टिकोण सिद्धान्त की एक मुख्य लेखक नैन्सी हार्टसॉक व्याख्या करती हैं कि दृष्टिकोण सिद्धान्त मानवों और भौतिक जगत के साथ मानवों के सम्बन्धों के बीच के सम्बन्ध का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए, महिलाओं के आत्मनिष्ठ अनुभवों के जरिये और महिलाओं के समूह की सामूहिक चेतना के उन्नयन के जरिये विश्व का विश्लेषण किया जा सकता है और उसे समझा जा सकता है। मैक्लाघलिन (2016) के अनुसार, दृष्टिकोण सिद्धान्त की व्याख्या नैन्सी हार्टसॉक इस रूप में करती हैं कि, "यह सामाजिक सम्बन्धों को समझने की ऐसी विधि है जो ज्ञान को उत्पन्न करने में सक्षम है और जो राजनीतिक परिवर्तन को उत्पन्न कर सकती है (पृ. 55)।" यह विश्व को समझने और पितृसत्ता, पूँजीवाद, जाति, वर्ग और नृजातीय पहचानों जैसी संरचनाओं पर सवाल उठाकर सामाजिक परिवर्तन लाने की एक प्रविधि है। आप इसके बारे में इस खण्ड की अगली इकाई में पढ़ेंगे।

नारीवादी दृष्टिकोण सिद्धान्त का उद्‌भव विभिन्न सैद्धान्तिक स्थितियों में खोजा जा सकता है। कुछ लोगों का तर्क है कि मार्क्सवाद के साथ दूसरी लहर के नारीवादियों की संलग्नता के कारण नारीवादी दृष्टिकोण सिद्धान्त के ढाँचे का विकास हुआ। महिलाओं के आन्दोलनों ने भी नारीवादी स्टैंडप्वाइंट स्थिति के उभार में एक राजनीतिक आधार के रूप में कार्य किया है। तीसरी बात यह कि विज्ञान और ज्ञान की आलोचना ने भी शिक्षा और महिलाओं तथा जेण्डर अध्ययन के सम्बन्ध में अनुसन्धान के एक ढाँचे के रूप में एक प्रविधिमूलक आधार तैयार किया, जिससे नारीवादी दृष्टिकोण सिद्धान्त (स्टैंडप्वाइंट थियरी) का विकास हो सके। महिलाओं के आन्दोलनों से उद्‌भूत दृष्टिकोण सिद्धान्त (स्टैंडप्वाइंट थियरी) ने दो केन्द्रीय विषयों में दृष्टिकोण ढाँचे को विकसित किया है :

PDF Compressor Free Version

- समाज में विभिन्न समूह विश्व के बारे में अलग–अलग ज्ञान को धारित करेंगे;
- ज्ञान के कुछ रूप, कुछ अन्य रूपों की तुलना में बेहतर हैं।

1.11 सारांश

यह इकाई महिलाओं और जेण्डर अध्ययनों से सम्बन्धित कुछ मूलभूत संकल्पनाओं से हमारा परिचय कराती है। पूरी इकाई उदाहरणों और केस–अध्ययनों के साथ संकल्पनाओं को परिभाषित करने पर आधारित है। शिक्षार्थी जेण्डर और इससे जुड़ी अन्य रचनाओं के तात्पर्य को समझने में सक्षम हो सकेंगे। इसके कारण शिक्षार्थी इस समझ को शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त करने में सक्षम हो सकेंगे। इकाई नारीवाद और दृष्टिकोण सिद्धान्त (स्टैंडप्वाइंट थियरी) की समझ से हमारा परिचय कराती है। शिक्षार्थी इन मूलभूत संकल्पनाओं को कुछ क्षेत्र–आधारित अध्ययनों पर जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से लागू कर सकते हैं। इकाई जेण्डर विश्लेषण की कुछ विधियों से भी हमारा परिचय कराती है जिससे परियोजनाओं और नीतिगत पहलों का मूल्यांकन और उनका अध्ययन जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से किया जा सकता है।

1.12 चिन्तन के लिए प्रश्न

1. लिंग और जेण्डर में मूलभूत अन्तर क्या है?
2. जेण्डर विश्लेषण क्या है तथा इसके विभिन्न ढाँचों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए?
3. जेण्डर असमानता जेण्डर समता की संकल्पना से किस प्रकार भिन्न है?
4. जेण्डर की मूलभूत संकल्पनाओं पर एक निबन्ध लिखिए।
5. जेण्डर आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दीजिए।

1.13 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

1. जेण्डर एक सीखा हुआ व्यवहार है इसलिए इसे जेण्डर समाजीकरण का नाम दिया जा सकता है। जेण्डर समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ निश्चित जेण्डर मानकों, व्यवहार और पहचान को सीखता है। उदाहरण के लिए, कुछ खिलौनो को देखिए। आप पाएँगे कि जेण्डर रचनाओं और खिलौनों के साथ इसके सम्बन्धों का वर्णन करने के लिए किस प्रकार उन खिलौनों के आवरण पृष्ठ पर अलग–अलग रंगों और भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यह देखने के लिए टेलीविजन के कुछ विज्ञापनों का प्रेक्षण कीजिए कि घरेलू उपकरणों के उपयोग के सन्दर्भ में जेण्डर सम्बन्ध किस प्रकार परिवर्तित हो रहे हैं।

2. जेण्डर गतिकी महिलाओं और पुरुषों के बीच विद्यमान शक्ति के अन्तरों को व्याख्यायित करती है। आइए एक परिवार का उदाहरण लेते हैं, जिसमें पिता/पति/भाई घर का मुखिया होता है। उदाहरण के लिए, जेण्डर के आधार पर मजदूरी में अन्तर इस बात की व्याख्या करता है कि श्रम बाजार में जेण्डर पूर्वाग्रह किस प्रकार व्याप्त है।

PDF Compressor Free Version

3. जेण्डर विश्लेषण नीतिगत और सामाजिक कार्रवाई दोनों स्तरों पर जेण्डर असमानताओं को कम करने का एक उपकरण या ढाँचा है। इन ढाँचों को सामाजिक अनुसन्धान और नीति नियोजन में जेण्डर विश्लेषण को एकीकृत करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। विकासात्मक अध्ययन और अन्य क्षेत्रों में भी जेण्डर सम्बन्धी अनुसन्धान को सम्पन्न करने के लिए यह एक उपकरण है।

4. समानता को उस अवस्था या दशा के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो सामाजिक प्रस्थिति, राजनीतिक और कानूनी अधिकारों के सन्दर्भ में महिलाओं और पुरुषों के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। जेण्डर समता नियोजन प्रक्रिया को जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से समझने में सहायता करती है।

1.14 सन्दर्भ ग्रंथ

1. बन्द्योपाध्याय एम और झिलमिल मुखर्जी पाण्डेय (2017). ए गिफ्ट ऑफ गॉडेस लक्ष्मी : ए कैण्डिड बायोग्राफी ऑफ इण्डियाज फर्स्ट ट्रांसजेण्डर प्रिंसिपल. गुड़गाँव : पेंगुइन बुक्स।

2. फरीडमैन, जेन (2002). फेमिनिज्म : कन्सेप्ट्स इन द सोशल साइन्सेज. नई दिल्ली : वीवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड।

3. जैक्सन, एस. और सू स्कॉट (संपा.) (2002). जेण्डर : ए सोशियोलॉजिकल रीडर. लन्दन : ःटलेज।

4. किंसर ए. ई. (2004). निगोशिएटिंग स्पेसेज फॉर/थर्ड–वेव फेमिनिज्म. एनडब्ल्यूएसए जर्नल, वॉल्यूम 16(3), पृ. 124–153।

5. लिण्डसे, लिण्डा एल. (2016). जेण्डर रोल्स : ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. लन्दन : रूटलेज।

6. मार्च, कैण्डिडा, आइनेस स्मिथ और मैत्रेयी मुखोपाध्याय (1999). ए गाइड टू जेण्डर–एनालिसिस फ्रेमवर्क्स, इंग्लैण्ड : ऑक्सफैम पब्लिकेशंस।

7. मैक्लाघलिन, जे. (2003 और 2016). फेमिनिस्ट स्कूल एण्ड पॉलिटिकल थियरी : कण्टेम्पोरेरी डिबेट्स एण्ड डॉयलाग्स. न्यूयॉर्क : पालग्रेव मैक्मिलन।

8. मिटर, एस. (2002). वीमेन वर्किंग वर्ल्डवाइड इन जैक्सन, एस. एण्ड सू स्कॉट (संपा.) (2002). जेण्डर : ए सोशियोलॉजिकल रीडर. लन्दन : रूटलेज।

9. रीव्स, एच. एण्ड एस. बडेन (2000). जेण्डर एण्ड डेवेलपमेण्ट : कन्सेप्ट्स एण्ड डेफिनिशन्स, प्रीपेयर्ड फॉर द डीएफआईडी फॉर इट्स जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग इण्ट्रानेट रिसोर्स, बीआरआईडीजीई (ब्रिज) रिपोर्ट नं. 55, ीजजचरू्रूइतपकहम.पकेॱ.ब. नाध्पजमेध्इतपकहम.पकेॱ.ब.नाध्पिसमेध्तमचवतजेध्तम55.चकि

10. रेडफर्न, सी एण्ड ऑने, के. (2010). रीक्लेमिंग द एफ वर्ड : द न्यू फेमिनिस्ट मूवमेण्ट. लन्दन : जेड बुक्स।

11. राइल, आर. (2012). क्वैशचनिंग जेण्डर : ए सोशियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन. लॉस एंजिल्स, लन्दन, नई दिल्ली : सेज।

PDF Compressor Free Version

12. सैबाटेलो, माया (2011). "एडवांसिंग ट्रांसजेण्डर फेमिली राइट्स थ्रू साइंस : ए प्रपोजल फॉर एन अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क", ह्यूमन राइट्स क्वार्टरली, वॉल्यूम 33(1), पृ. 43–75।

13. विजयन, ए. दया, जे, एस. जयाश्री, सी. एस. चन्द्रिका, श्रीदेवी. पी, रेखा राज एण्ड सीना के. एम. (2006). जेण्डर प्लानिंग, बजटिंग एण्ड ऑडिटिंग. रिपोर्ट प्रीपेयर्ड बाई सखी वीमेन्स रिसोर्स सेण्टर, डिपार्टमेण्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट, गवर्नमेण्ट ऑफ केरल, डीसेण्ट्रलाइज्ड सपोर्ट प्रोग्राम, तिरुअनन्तपुरम : सखी वीमेन्स रिसोर्स ग्रुप।

14. वेण्टलिंग, टी. के. शिल्ट, ई. जे. विण्डसर एण्ड बेट्सी ल्यूकल (2008). "टीचिंग ट्रांसजेण्डर", टीचिंग सोशियोलॉजी, वॉल्यूम 36(1). पृ. 49–57।

PDF Compressor Free Version

इकाई 2 भारतीय परिप्रेक्ष्य में जेण्डर भूमिकाएँ और पितृसत्ता

संरचना

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 जेण्डर भूमिकाओं को समझना

2.4 पितृसत्ता और मातृसत्ता की संकल्पना

2.5 भारतीय पितृसत्ता के सिद्धान्त और अभिलक्षण

2.6 दमन और हिंसा (लिंग, जाति, वर्ग और निःशक्तताएँ)

2.6.1 दोहरा दमन : निःशक्त वाली महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

2.7 पितृसत्ता और राजनीतिक अर्थव्यवस्था

2.8 घरेलू श्रम और इसका उत्पीड़न

2.9 राष्ट्रीय सम्पदा में महिलाओं के योगदान का मूल्य

2.10 सारांश

2.11 इकाई अन्त प्रश्न

2.12 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

2.13 सन्दर्भ ग्रंथ और उपयोगी अध्ययन सामग्री

2.1 प्रस्तावना

जेण्डर एक विकासमान संकल्पना है और इसका प्रयोग समाज में महिलाओं और पुरुषों की अलग–अलग स्थिति को समझने के लिए किया जाता है। जेण्डर पर दृष्टिपात उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों को अलग–अलग बाँट देना या उनके बीच संघर्ष उत्पन्न करना नहीं है। यह किसी व्यक्ति का ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित करता है जिनके कारण महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान सम्बन्ध उत्पन्न हुए हैं। इसके साथ ही यह ऐसे उपयुक्त उपायों के साथ इन मुद्दों को सम्बोधित करने की अनुमति देता है, जिनसे असमानता को चिरस्थायी बनाने के बजाय असमानता को कम करने में सहायता मिलती है। जेण्डर और जेण्डर भूमिकाओं की संकल्पना यह समझने में हमारी मदद करती है कि जेण्डर भूमिकाएँ व्यक्तियों, समुदायों और उनके परिवेशों के बीच की अन्तर्क्रिया से उत्पन्न होती हैं। यह संकल्पना हमें सुझाव देती है कि पुरुषसूचक और महिलासूचक भूमिकाएँ जीव–वैज्ञानिक लक्षणों वाले 'पुरुष और महिला' से सम्बद्ध नहीं होतीं, बल्कि ये समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान सीखी जाती हैं। इस इकाई में आप जेण्डर भूमिकाओं, पितृसत्ता और मातृसत्ता की संकल्पनाओं, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। इसके अतिरिक्त आप यह भी जानेंगे कि जेण्डर और जेण्डर भूमिकाओं की रचना में पितृसत्ता किस प्रकार अपना योगदान देती है।

PDF Compressor Free Version

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- जेण्डर भूमिकाओं से सम्बद्ध संकल्पनाओं को समझ और उनकी व्याख्या कर सकेंगे;
- समाज में पितृसत्ता और मातृसत्ता की संकल्पना की व्याख्या कर सकेंगे;
- पितृसत्ता किस प्रकार स्वयं को दृढ़ बनाती है और किस प्रकार अपने हितों की रक्षा करती है को समझ सकेंगे; और
- राजनीतिक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सम्पदा में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।

2.3 जेण्डर भूमिकाओं को समझना

दैनिक जीवन में जेण्डर शब्द का तात्पर्य आमतौर पर घर–परिवार, समुदाय, बाजार और राज्य की संस्थाओं में मौजूद जेण्डर सम्बन्धों (पुरुषों और महिलाओं के बीच के सम्बन्धों) से होता है। इसका सम्बन्ध इस चीज का विश्लेषण करने से भी होता है कि सामाजिक नियम, मानक और प्रथाएँ पुरुषों और महिलाओं के बीच संसाधनों और जिम्मेदारियों के बँटवारे को किस तरीके से निर्धारित करती हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तरों और उनकी विशिष्ट प्राथमिक लैंगिक विशेषताओं को मद्देनजर रखते हुए जेण्डर शब्द को अक्सर लिंग के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाता है। एन ओकले (1972) कुछ उन समाजविज्ञानियों में थीं, जिन्होंने जेण्डर की संकल्पना को लिंग की संकल्पना से अलग किया था।

संयुक्त राष्ट्र संघ (2001) जेण्डर को पुरुषों और महिलाओं द्वारा की जाने वाली भूमिकाओं और व्यवहारों की ऐसी अपेक्षाओं के रूप में परिभाषित करता है जो संस्कृति पर आधारित होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जेण्डर को एक सामाजिक रचना मानते हुए इसे पुरुष और महिला के जीव–वैज्ञानिक रूप से निर्धारित पहलुओं से अलग रखता है। लिंग के जीव–विज्ञान के विपरीत, जेण्डर भूमिकाओं और व्यवहारों में ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन हो सकता है और कभी–कभी यह परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुत तीव्र गति से हो सकता है चाहे इन जेण्डर भूमिकाओं के पहलुओं की उत्पत्ति लिंगों के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तरों से ही क्यों न हुई हो। पुरुषों और महिलाओं की अलग–अलग भूमिकाओं और उनसे अपेक्षित व्यवहारों को परिभाषित करने वाले और उनका औचित्य–स्थापन करने वाले धार्मिक और सांस्कृतिक अन्तरों का दृढ़तापूर्वक पक्षपोषण किया जाता है और सामाजिक रूप से उन्हें लागू किया जाता है।

नारीवादी लेखन और अन्य समाजशास्त्रीय विमर्शों में जेण्डर की संकल्पना 1970 के दशक की शुरुआत में लोकप्रिय हुई। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में जेण्डर शब्द का प्रयोग पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार में अन्तरों का वर्णन करने के लिए भी किया जाता है। इन अन्तरों का वर्णन 'पुरुषवाचक (Masculine)' और 'स्त्रीवाचक (Feminine)' के रूप में किया जाता है। इसलिए जेण्डर एक विश्लेषणात्मक श्रेणी है, जिसकी रचना पुरुषों और महिलाओं के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तर का विभेद करने के लिए सामाजिक रूप से की गयी है। नारीवादी लेखन इस पहलू पर अपना ध्यान विशेष रूप से केन्द्रित करता है और दावा करता है कि ये अन्तर जीव–वैज्ञानिक रूप से नहीं होते, बल्कि ये पितृसत्तात्मक समाज की सामाजिक रचनाएँ हैं। सीमोन द बोउवार (1949) इस निष्कर्ष पर पहुँची थीं कि स्त्री पैदा नहीं होती, बल्कि बनायी जाती है।

PDF Compressor Free Version

जुडिथ बटलर (2011) का तर्क है कि लिंग प्राकृतिक है और पहले आता है। जेण्डर का बोध एक द्वितीयक रचना के रूप में किया जाता है और यह द्वितीयक रचना प्राकृतिक विभेद के शिखर के ऊपर थोप दी जाती है। 'नर' और 'मादा' के बीच का विभेद समाज द्वारा बनाया गया एक सामाजिक विभेद है, यानी यह एक सामाजिक रचना है। यह 'नर' और 'मादा' के बीच के अन्तरों का बोध करने और उन्हें इस तरह बाँटकर देखने का एक तरीका है। बटलर व्याख्या करती हैं कि यद्यपि 'लिंग' को जीव–वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाता है लेकिन यह भी उसी तरह समाज का उत्पाद है, जिस तरह जेण्डर समाज का एक उत्पाद है। जब एक नवजात शिशु पैदा होता है तो इसे या तो बालक शिशु या फिर बालिका शिशु के रूप में सन्दर्भित किया जाता है। यह नवजात शिशु के लिंग से सम्बन्धित है। इस प्रकार लिंग 'नर' और 'मादा' के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तर को सन्दर्भित करता है। दूसरी तरफ, जेण्डर एक सामाजिक रचना है, न कि जीव–वैज्ञानिक (सेन, 2012)।

विश्व विकास प्रतिवेदन (WDR, 2012) के अनुसार जेण्डर को सामाजिक रूप से निर्मित ऐसे मानकों और विचारधाराओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो पुरुषों और महिलाओं के व्यवहार और उनके कार्यों का निर्धारण करते हैं। संसाधनों तक व्यक्तियों की पहुँच; संसाधनों के वितरण; निर्णय लेने की योग्यता; राजनीतिक प्रक्रियाओं और सामाजिक विकास द्वारा महिलाओं और पुरुषों, बालकों और बालिकाओं के प्रभावित होने के तरीकों आदि को समझने के लिए इन जेण्डर सम्बन्धों और इनके पीछे की शक्ति–गतिकी को भलीभाँति समझना एक पूर्व–शर्त है।

जेण्डर का वर्णन ऐसे मानकों के एक अर्जित या निर्मित समुच्चय के रूप में किया जा सकता है, जिन्हें पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। इन मानकों में निर्मित भूमिकाएँ, व्यवहार, गतिविधियाँ और गुण शामिल हो सकते हैं। समाज पर निर्भर होने के कारण ये निर्मित भूमिकाएँ परिवर्तित होती रहती हैं और यह अपेक्षा की जाती है कि समाज के दायरों में रहते हुए इन निर्मित भूमिकाओं का निष्पादन और पालन किया जाएगा।

जीवनचक्र बीतने के साथ–साथ जेण्डर–गतिकी और जेण्डर–सम्बन्धों में परिवर्तन आता रहता है। घर–परिवार में प्रस्थिति का निर्धारण अक्सर उम्र, विवाह, बच्चों की संख्या, निर्योग्यता, आर्थिक संसाधनों और अर्जित किए गए शैक्षिक स्तर आदि से होता है।

लड़कियों, जिनमें किशोरियाँ भी शामिल हैं, की प्रस्थिति घर–परिवार में सबसे नीची होती है, खासकर उन समाजों में जहाँ लड़कियों के विवाह में परिवार को दहेज देना पड़ता है और जहाँ लड़कियों को विवाह के बाद रहने के लिए उनके पति के घर भेज दिया जाता है। हालिया अनुसन्धान बताता है कि किशोरावस्था; की लड़कियाँ जेण्डर–आधारित भेदभावों के प्रति विशिष्ट रूप से सुभेद्य (Vulnerable) और सुग्राही (Susceptible) होती हैं। इन भेदभावों में शामिल हैं – यौन हिंसा, जबरदस्ती और कम उम्र में ही कर दिए जाने वाले विवाह, विद्यालय छुड़वा देना और बच्चे को जन्म देते समय होने वाली मृत्यु। कम उम्र में विवाह और गर्भधारण का लड़कियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इससे शिक्षा या नौकरी के अवसरों का लाभ लेने की लड़कियों की योग्यता में बाधा पड़ सकती है। अनेक संस्कृतियों में बहुओं और अविवाहित महिलाओं, विधवाओं और अपने पति द्वारा परित्यक्त की जा चुकी महिलाओं को समान प्रस्थिति नहीं मिल पाती क्योंकि वे उनके लिए बनाए गए विनिर्मित पहचानों के खाँचों के लिए उपयुक्त सिद्ध नहीं हो पातीं।

PDF Compressor Free Version

जेण्डर भूमिकाएँ

जेण्डर भूमिका सामाजिक मानकों का एक समुच्चय है। यह समुच्चय लोगों को उनके वास्तविक या प्रत्यक्षित लिंग या लैंगिकता के आधार पर उस तरह व्यवहार करने का आदेश देता है, जो आमतौर पर स्वीकार्य, उपयुक्त या वांछनीय हो। जैसा कि हम 'जेण्डर' और लिंग के अन्तर पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जेण्डर भूमिकाएँ भी कोई प्राकृतिक परिघटना नहीं होतीं, बल्कि ये भी निर्मित ही की जाती हैं।

भूमिकाएँ किस प्रकार सीखी जाती हैं

जेण्डर भूमिकाएँ ऐसी भूमिकाएँ हैं, जिनकी अपेक्षा पुरुषों और महिलाओं से उनके लिंग के आधार पर की जाती है। जेण्डर भूमिकाएँ पीढ़ियों से चली आ रही हैं। तीन साल की उम्र से बच्चे इस योग्य हो जाते हैं कि वे लड़कियों और लड़कों के बीच के अन्तरों को जानना शुरू कर सकें। इन अन्तरों का अहसास वे माता–पिता द्वारा किए गए कार्यों और अपने वातावरण के स्वभाव के आधार पर करते हैं। पारम्परिक रूप से अनेक समाजों की यह मान्यता थी कि पालन–पोषण करने में महिलाएँ पुरुषों से बेहतर होती हैं। इसलिए महिलाओं की जेण्डर भूमिका के प्रति पारम्परिक दृष्टिकोण बताता है कि महिलाओं को उस तरीके से व्यवहार करना चाहिए जो पालन–पोषण करने वाला हो। अपनी पारम्परिक जेण्डर भूमिका में किसी महिला के संलग्न होने का एक तरीका यह हो सकता है कि वह घर से बाहर जाकर नौकरी करने के बजाय पूरे समय घर में ही रहकर कामकाज करे और अपने परिवार का पालन–पोषण करे। दूसरी तरफ, जेण्डर भूमिकाओं के पारम्परिक दृष्टिकोण के मुताबिक पुरुषों से यह उम्मीद की जाती है कि आगे चलकर वे नेता बनें। इसलिए, पुरुषों के सम्बन्ध में, जेण्डर भूमिकाओं का पारम्परिक दृष्टिकोण सुझाता है कि घर में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुए पुरुषों को अपने घर का मुखिया होना चाहिए और महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाने चाहिए।

हालाँकि समाज के अनेक क्षेत्रों में यही दृष्टिकोण अभी भी प्रभावी है, यद्यपि इक्कीसवीं शताब्दी में जेण्डर भूमिकाओं के बारे में पारम्परिक मान्यताओं के एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य को लगातार और व्यापक समर्थन मिला है। विभिन्न ज्ञानानुशास्त्रों ने जेण्डर भूमिकाओं पर अनेक परिप्रेक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। जेण्डर भूमिकाओं पर पारिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य सुझाता है कि जेण्डर भूमिकाओं की रचना व्यक्तियों, समुदायों और उनके वातावरणों के बीच अन्तर्क्रियाओं से हुई है। दूसरे शब्दों में, जबकि व्यक्ति जेण्डर भूमिकाओं को निर्मित करने में अपनी भूमिका निभा रहा होता है, तो इसी प्रकार ऐसे भौतिक और सामाजिक पर्यावरण भी अपनी–अपनी भूमिकाएँ निभा रहे होते हैं, जिनके भीतर लोग क्रियाकलाप करते हैं। जेण्डर भूमिकाओं पर जीव–वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य सुझाता है कि स्त्रीवाचक (feminine) जेण्डर भूमिकाओं के प्रति महिलाओं में एक सहज आकर्षण होता है तथा पुरुषवाचक (masculine) जेण्डर भूमिकाओं के प्रति पुरुषों में एक सहज आकर्षण होता है। हालाँकि जीव–वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य यह सुझाव नहीं देता कि किसी भूमिका का महत्व या मूल्य किसी दूसरी भूमिका के महत्व या मूल्य से अधिक है। जेण्डर भूमिकाओं के प्रति समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यह सुझाव देता है कि पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक भूमिकाएँ सीखी जाती हैं तथा यह जरूरी नहीं है कि इन पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक भूमिकाओं का सम्बन्ध नर (उंसम) और मादा के जीव–वैज्ञानिक लक्षणों से हो ही। समाजशास्त्री उन विभिन्न अर्थों और मूल्यों का अध्ययन करते हैं जिन्हें समाज में पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक जेण्डर भूमिकाओं द्वारा धारित किया जाता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से सम्बन्धित जेण्डर भूमिकाओं का नारीवादी परिप्रेक्ष्य इस बात पर जोर दे सकता है कि चूँकि जेण्डर

PDF Compressor Free Version

भूमिकाएँ सीखी जाती हैं, इसलिए इन्हें भुलाया भी जा सकता है तथा नवीन और विशिष्ट भूमिकाओं का सृजन भी किया जा सकता है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य इशारा करता है कि जेण्डर भूमिकाएँ नरों और मादाओं के लिए उपयुक्त बताए जाने वाले व्यवहार के विचार भर ही नहीं हैं, बल्कि ये भूमिकाएँ उस शक्ति के अलग–अलग स्तरों से भी जुड़ी हुई हैं, जो समाज में नरों और मादाओं के पास होती है।

जैसा कि ये उदाहरण प्रदर्शित करते हैं, जेण्डर भूमिकाएँ जेण्डर से जुड़े रूढ़ियों (stereotypes) के आधार पर सृजित की जाती हैं। जेण्डर रूढ़ियाँ नरों और मादाओं और उनके बीच के अन्तरों की अति–सरलीकृत समझ हैं। कभी–कभी लोग उपयुक्त जेण्डर भूमिकाओं के बारे में जेण्डर रूढ़ियों के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं। जेण्डर रूढ़ियों की प्रवृत्ति होती है कि यह नरों और मादाओं के स्वभाव के बारे में अतिरंजित या अशुद्ध कथनों को अपने भीतर समाविष्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, नरों के बारे में एक प्रचलित जेण्डर रूढ़िवादिता यह है कि वे भावुक नहीं होते। दूसरी तरफ, मादाओं को आमतौर पर अतार्किक या अत्यधिक भावुक होने के रूप में रूढ़िकृत कर दिया जाता है।

जेण्डर भूमिकाओं के प्रकार

मोजर (1993) ने रेखांकित किया कि आमतौर पर महिलाओं को तीन भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है : (क) पुनरुत्पादक या प्रजननमूलक; (ख) उत्पादक; (ग) सामुदायिक प्रबन्धन गतिविधियाँ। जबकि पुरुषों को प्राथमिक तौर पर दो ही भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है यानी उत्पादक और सामुदायिक राजनीतिक गतिविधियाँ।

पुनरुत्पादक या प्रजननमूलक भूमिका :	बच्चे पैदा करना/पालन–पोषण की जिम्मेदारियाँ, और महिलाओं द्वारा किए गए घरेलू कामकाज, कार्यबल के रखरखाव और पुनरुत्पादन की सुनिश्चितता देने के लिए आवश्यक है। इसमें न केवल जीव–वैज्ञानिक पुनरुत्पादन शामिल है, बल्कि कार्यबल (साथी पुरुष और कार्यशील बच्चे) और भविष्य के कार्यबल (नवजात शिशु और विद्यालय जाने वाले बच्चे) की देखभाल और उसका रखरखाव भी सम्मिलित है।
उत्पादक भूमिका :	नकद या किसी अन्य रूप में वेतन पाने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया गया कार्य। इसमें विनिमय मूल्य के साथ किया जाने वाला बाजार–उत्पादन तथा वास्तविक उपयोगिता मूल्य के साथ किया जाने वाला निर्वाह/घरेलू उत्पादन दोनों शामिल हैं। इसमें वह कार्य भी शामिल है जिसमें विनिमय मूल्य पाने की सम्भावना होती है। कृषि उत्पादन में महिलाओं के सन्दर्भ में इसमें स्वतन्त्र किसान के रूप में, किसान की पत्नी के रूप में और दिहाड़ी मजदूर के रूप में किया गया कार्य सम्मिलित है।

PDF Compressor Free Version

सामुदायिक प्रबन्धन : भूमिका	सामुदायिक स्तर पर प्राथमिक रूप से महिलाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, यह महिलाओं की पुनरुत्पादक भूमिका के विस्तार के रूप में होता है। सामूहिक उपभोग के लिए मूल्यवान दुर्लभ संसाधनों; जैसे – जल, स्वास्थ्य–देखभाल, शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करना और रख रखाव करना। यह स्वैच्छिक कार्य है, जिसके लिए कोई वेतन या भुगतान नहीं मिलता, यह 'खाली' समय में किया जाता है।
सामुदायिक राजनीतिक : भूमिका	सामुदायिक स्तर पर प्राथमिक रूप से पुरुषों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ, औपचारिक राजनीतिक स्तर पर लोगों को संगठित करना, जो प्रायः राष्ट्रीय राजनीति की रूपरेखा के दायरे के भीतर होता है। आमतौर पर यह ऐसा काम है, जिसके लिए भुगतान मिलता है चाहे वह भुगतान प्रत्यक्ष रूप से मिले या परोक्ष रूप से, चाहे यह प्रस्थिति के रूप में मिले या शक्ति के रूप में।

प्रत्येक सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था में उल्लिखित श्रम का जेण्डरीकृत विभाजन उन भूमिकाओं का निर्धारण करता है जिनका निष्पादन पुरुष और महिलाएँ करती हैं। चूँकि पुरुष और महिला अलग–अलग भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं इसलिए उन्हें बहुत अलग–अलग प्रकार के सांस्कृतिक, संस्थागत, भौतिक और आर्थिक प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ता है। इनमें से अनेक प्रतिबन्धों की जड़ें व्यवस्थित पूर्वाग्रहों और भेदभावों में होती हैं।

अपनी प्रगति को जाँचिए I

टिप्पणियाँ :क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

1) क्या जेण्डर की रचना सामाजिक रूप से होती है? एक उदाहरण के साथ कीजिए।

....

....

....

....

2) नारीवादी परिप्रेक्ष्य से जेण्डर भूमिकाओं की संकल्पना को परिभाषित कीजिए।

....

....

....

....

PDF Compressor Free Version

3) जेण्डर भूमिकाएँ सीखी जाती हैं। कैसे? अपने उत्तर के समर्थन में पाँच वाक्य लिखिए।

....

....

....

2.4 पितृसत्ता और मातृसत्ता की संकल्पना

जिन समाजों में परिवारों की पीढ़ियाँ पिता के वंश के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उन समाजों को पितृसत्तात्मक स्वरूप का कहा जाता है। ऐसे समाजों को पितृरेखीय (Patrilineal) समाज भी कहा जाता है। दूसरी तरफ, जिन समाजों में पीढ़ियाँ माता के वंश के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी होती है, उन्हें मातृसत्तात्मक स्वरूप का समाज कहा जाता है और उन्हें मातृरेखीय (matrilineal) समाज का नाम दिया जाता है।

किसी समाज में वंशक्रम की रेखा परिवार में नामों, सम्पत्ति, शीर्षकों और अन्य मूल्यवान चीजों के उत्तराधिकार को चित्रित करती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये चीजें या तो पुरुष के वंशक्रम के या महिला के वंशक्रम के अनुसार से मिलती हैं। विश्व के अधिकांश समाजों के पितृरेखीय (patrilineal) होने के कारण विश्व की संस्कृतियों में पितृसत्तात्मक समाजों का प्रभुत्व है जबकि मातृसत्तात्मक समाज आदिकालीन समाज होने की तरफ प्रवृत्त होते हैं।

पितृसत्ता

पितृसत्ता एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नारीवादी अध्येताओं द्वारा बहुत आमतौर पर किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में जनसंख्या के बहुलांश द्वारा इस शब्द का व्यवहार किया जाता है। परन्तु वास्तव में पितृसत्ता का अर्थ क्या है? पितृसत्ता (Patriarchy) शब्द प्राचीन यूनानी (Greek) शब्द Patriarches से लिया गया है। एक पितृसत्ता वह समाज होता है, जहाँ शक्ति वरिष्ठ पुरुषों में निहित रहती है और इन्हीं वरिष्ठ पुरुषों के माध्यम से ही शक्ति का हस्तान्तरण आगे सम्पन्न किया जाता है। पितृसत्ता की इस परिभाषा के बजाय आसानी से समझ में आने वाली एक अन्य परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दी गयी है। इसके अनुसार पितृसत्ता समाज या सरकार की ऐसी व्यवस्था है जिसमें पिता या वरिष्ठतम पुरुष परिवार का मुखिया होता है और वंशक्रम की गणना पुरुष के वंश (male line) के अनुसार की जाती है। पितृसत्ता शब्द का प्रयोग उस समाज को वर्णित करने के लिए किया जाता है, जिसमें हम वर्तमान में रहते हैं। इस समाज की विशेषता महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान शक्ति सम्बन्धों की विद्यमानता है। ये असमान शक्ति सम्बन्ध वर्तमान में भी मौजूद हैं और ऐतिहासिक रूप से पहले भी विद्यमान थे। इन असमान शक्ति सम्बन्धों द्वारा महिलाओं को व्यवस्थित रूप से वंचित रखा गया है और उनका दमन किया गया है। ऐसा जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्यबल, निर्णय–निर्माण वाले पदों पर और सरकारी संस्थानों में महिलाओं के अल्प–प्रतिनिधित्व के रूप में घटित होता है। महिलाओं के विरुद्ध पुरुषों द्वारा की जाने वाली हिंसा भी पितृसत्ता का एक मुख्य अभिलक्षण है। अल्पसंख्यक समूहों की महिलाओं को इस समाज में दमन के अनेकानेक रूपों का सामना करना पड़ता है क्योंकि प्रजाति, वर्ग और लैंगिकता (सेक्सुअलिटी) सेक्सिज्म (Sexism) को प्रतिच्छेदित करते हैं। उदाहरण के लिए, युद्ध और संघर्ष के दौरान महिलाओं का शरीर दाँव पर लगा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी

PDF Compressor Free Version

पितृसत्तात्मक दमनकारी विचारधाराओं का व्यवहार किया जाता है; जैसे – सामूहिक बलात्कार।

पितृसत्ता की जो संकल्पना नारीवादी लेखन के भीतर विकसित की गयी है, वह कोई अकेली या सरल संकल्पना नहीं है, बल्कि इसके विभिन्न अर्थों के बहुत सारे प्रकार भी इसमें शामिल हैं। बहुत सामान्य स्तर पर, पितृसत्ता शब्द का उपयोग पुरुषों के प्रभुत्व को इंगित करने के लिए तथा उन शक्ति–सम्बन्धों को इंगित करने के लिए किया जाता है, जिनके माध्यम से पुरुष महिलाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं (मिलेट, 1970)।

मातृसत्ता

ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (ओईडी) के अनुसार मातृसत्ता "सामाजिक संगठन का ऐसा रूप है जिसमें माता या वरिष्ठतम महिला परिवार की मुखिया होती है तथा वंशक्रम और सम्बन्ध की गणना महिला के वंश (female line) के हिसाब से की जाती है; एक महिला या अनेक महिलाओं की सरकार या उनका शासन।" मूलरूप से मातृसत्ता का तात्पर्य एक ऐसे समाज से है, जहाँ शक्ति परिवार की महिलाओं में निहित रहती है और आगे शक्ति का हस्तान्तरण परिवार की महिला सदस्यों को किया जाता है – व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। मातृसत्तात्मक समाज में शक्ति प्राथमिक रूप से महिलाओं के पास होती है; रोजगार में, निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में और सम्पत्ति पर नियन्त्रण के क्षेत्रों में महिलाएँ प्रभावी होती हैं। सांस्कृतिक नृ–विज्ञान के शैक्षिकशास्त्र के दायरे में, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी (ओईडी) के अनुसार, मातृसत्ता "एक संस्कृति या समुदाय है जहाँ पर ऐसी व्यवस्था प्रभावी रहती है" अथवा एक "ऐसा परिवार, समाज, संगठन आदि है, जिसमें एक महिला या अनेक महिलाओं का प्रभुत्व रहता है।"

अनेक अध्ययन हैं जो दर्शाते हैं कि मातृरेखीय वंशक्रम (matrilineal descent) वाले समाजों में भी शक्ति संरचना या तो समता मूलक (Egalitarian) होती है या फिर औपचारिक रूप से उस पर पिता या किसी अन्य पुरुष का प्रभुत्व रहता है। किसी सामाजिक व्यवस्था को मातृसत्ता मानने के लिए यह जरूरी है कि उसके पास एक ऐसी संस्कृति हो जो किसी महिला या महिलाओं को सत्तायुक्त स्थिति में रखकर उसे परिभाषित करती हो तथा महिलाओं के प्रभुत्व को आवश्यक और वैध माना जाता हो।

व्यापक रूप से कहा जाए तो सम्पूर्ण विश्व में जीवन के एक तरीके के रूप में पितृसत्ता ने पुरुषों को भी उतना ही प्रभावित किया है, जितना महिलाओं को। अधिकांश राष्ट्रों की प्रकृति पितृसत्तात्मक होने के कारण पुरुषों पर यह बाध्यता आ जाती है कि वे परिवार चलाने के लिए कमाई करके लाएँ, जबकि महिलाएँ देखभाल करने वाले कामों में लगी रहती हैं। जेण्डरीकृत भूमिकाओं के मुद्दों पर अनुसन्धान किए गए हैं और विभिन्न समयों में अध्येताओं द्वारा इस पर चर्चा की गई है। यदि जेण्डर भूमिकाओं को उलटना है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि इन पारम्परिक भूमिकाओं की अदला–बदली की जाए यानी पुरुषों को परिवार में देखभाल का कामकाज सौंपा जाए और महिलाओं को कमाई करने वाला बनाया जाए। लेकिन तब यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि पितृसत्ता के मानकों को चुनौती देने के लिए इतना करना ही पर्याप्त होगा? क्या जेण्डर–समानता हासिल करने के लिए इतना करना ही काफी होगा? जिन जोड़ों (couples) की जेण्डर भूमिकाएँ उलट दी गयीं हैं, समानता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी अन्तरंगता और पहचान के बोध में सन्तुलन स्थापित करने हेतु प्रयास करने पड़ेंगे। कार्यस्थल की संस्कृतियों में अभी भी पारम्परिक जेण्डरीकृत रूढ़िवादियाँ भीतर तक जड़ें जमाए हुए हैं। जब कोई पुरुष अपने परिवार में देखभाल करने वाले की भूमिका निभाता है तो उसके चरित्र और 'मर्दानगी' पर अक्सर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं और ऐसे पुरुषों को अपनी निगाह

PDF Compressor Free Version

नीचे झुकानी पड़ती है। देखभाल करने वाले की भूमिका में महिलाओं पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, अगर वे नेतृत्वकारी पदों पर हों तथा वे अपनी भूमिकाओं को लेकर कार्यस्थल और घर के बीच बँटी हुई हों। संगठनों में नेतृत्व के ऊँचे पदों पर विराजमान महत्वाकांक्षी महिलाओं को अक्सर 'खराब माँ' के रूप में अभिहित किया जाता है और उनकी मातृत्वपरक भावनाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। आधुनिकीकृत हो रहे एक समाज में, रूढ़ भूमिकाओं का निष्पादन समझौतावादी होने की तरफ अग्रसर हो रहा है, तब भी, जब अर्जन की कमी और बाहरी प्रभाव के कारण ऐसी भूमिकाएँ स्वाभाविक और नवाचारी होती हों। इसलिए, पितृसत्ता को सम्बोधित करने के लिए जेण्डर भूमिकाओं का उत्क्रमण (reversal) कोई समाधान नहीं है, बल्कि जिस चीज की आवश्यकता है वह है जेण्डरीकृत भूमिकाओं और रूढ़िवादिता से मुक्ति, ताकि पुरुष और महिलाएँ अपनी पसन्द के व्यवसायों और कामों को करने के लिए सशक्तीकृत हो सकें और मूलभूत मूल्यों और सद्गुणों को बनाए रख सकें।

अपनी प्रगति को जाँचिए II

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

4) मातृसत्ता और पितृसत्ता शब्दों की व्याख्या कीजिए और परिभाषित कीजिए कि सामाजिक संगठनों के ये दोनों रूप किस प्रकार एक–दूसरे से भिन्न हैं।

....

....

....

5) पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पुरुष के प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे? संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

6) परिभाषित कीजिए कि पुरुषत्व (masculinity) और स्त्रीत्व (femininity) की धारणाएँ (notions) किस प्रकार निर्मित की जाती हैं?

....

....

....

2.5 भारतीय पितृसत्ता के सिद्धान्त और अभिलक्षण

पितृसत्ता एक लचीली परिघटना है; जिसकी विशेषताएँ सभी समाजों में एक जैसी ही बनी रहती हैं। अलग–अलग समाजों में पितृसत्ता जिस तरीके से अपने हितों को लागू करती है और जिस तरीके से उन हितों की रक्षा करती है, वे तरीके संस्कृति और धर्म जैसे बहुत सारे कारकों पर निर्भर होते हैं। पितृसत्ता फिल्मों, टेलीविजन, राजनीति और राजनीतिक

PDF Compressor Free Version

अर्थव्यवस्था जैसे अनेक उपकरणों की सहायता से अपने अस्तित्व का पुनरुत्पादन करती है। पितृसत्ता के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं :

- **पुरुष का प्रभुत्व :** किसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर पुरुष ही सारे निर्णय लेते हैं। शक्ति और सत्ता के सभी पदों पर पुरुष ही विराजमान होते हैं, उन्हें महिलाओं की तुलना में मानसिक और शारीरिक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुषों को कुछ खास पहचान के साथ संलग्न कर दिया जाता है, जिनमें सम्मिलित हैं – नियन्त्रण के गुण, शक्ति, ताकतवर होना, तार्किकता, कठोर परिश्रमी, नैतिक और प्रतिस्पर्द्धामूलक। इनमें से प्रत्येक गुण किसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष की पहचान में योगदान देता है। ऐसी रूढ़ियाँ पुरुषों को महिलाओं के प्रति एक पारम्परिक और पूर्वाग्रहयुक्त मुद्रा अपनाने और उसे बनाए रखने की तरफ अग्रसर करते हैं और इस प्रकार महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा या उनके साथ किए जाने वाले भेदभावों का औचित्य–स्थापन किया जाता है।

- **पुरुषों की सत्ता की रक्षा करना :** पितृसत्तात्मक समाज, जैसे कि भारत का समाज पितृसत्ता के हितों (परिवार के पुरुष मुखिया) की रक्षा करने की दिशा में कार्य करता है। एक अर्थ में पितृसत्ता पुरुषों को सार्वजनिक क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी शक्ति और सत्ता प्रदान करती है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक मुखर होते हैं और उनके पास रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। अपने पुरुषत्व के हिस्से के रूप में पुरुष अधिक बुद्धिमान, विचारवान और कम भावुक होते हैं। ऐसे गुण निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में पितृसत्तात्मक मुद्दों को आगे भी प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें वैधता प्रदान करते हैं। लिंगवाद, नकारात्मक अभिवृत्तियाँ, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या भारत में महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले ऐसे अपराधों के उदाहरण हैं।

- **महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव :** किसी पितृसत्तात्मक समाज का एक बहुत मूलभूत अभिलक्षण महिलाओं के विरुद्ध किया जाने वाला भेदभाव है। पुरुषों के प्रभुत्व और इसके परिणामस्वरूप पुरुषों की सत्ता की रक्षा किए जाने के कारण महिलाएँ स्वाभाविक ही पुरुषों के अधीन हो जाती हैं और इसीलिए महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव किया जाने लगता है। परिवार के भीतर और बाहर महिलाओं पर तमाम आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबन्ध लगे होते हैं। पुरुष शिशु को वरीयता देना, कम उम्र में विवाह कर देना, नौकरियों की कमी, घरेलू हिंसा, आर्थिक और सामाजिक स्वतन्त्रता ऐसे भेदभाव के कुछ ज्वलन्त उदाहरण हैं। आमतौर पर जिन व्यवसायों और नौकरियों में जाने की महिलाओं को छूट है, वे पुरुषों के व्यवसायों और नौकरियों से हीन स्थिति में होती हैं। "अच्छी" नौकरियों तक पहुँचे बिना महिलाओं की हालत यही रहेगी कि अपने पुरुष साथी या पति पर आर्थिक रूप से उनका निर्भर होना लगातार जारी रहेगा। आर्थिक पर–निर्भरता उन कारकों में से एक कारक है, जिनके कारण दबी–कुचली महिलाएँ अपने हिंसक पति के साथ निर्वाह करने के लिए मजबूर हो जाया करती हैं। आत्मविश्वास और आर्थिक स्वतन्त्रता के अभाव के कारण विवाह–विच्छेद या तलाक का मतलब किसी स्त्री के लिए यही होता है कि वह गरीबी की दशा में धकेल दी जाएगी।

- **समाज में महिलाओं की भूमिकाओं के सम्बन्ध में पारम्परिक मान्यताएँ तथा रूढ़ियाँ:** भारत में बालिकाओं को शिक्षा के उसके अधिकार से अक्सर वंचित कर दिया जाता है। इसका कारण समाज की एक संस्था के रूप में परिवार में उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं की उम्मीदों के सम्बन्ध में पारम्परिक मान्यताएँ हैं।

PDF Compressor Free Version

पढ़ाई–लिखाई के दौरान बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से बहुत अधिक है क्योंकि लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे घरेलू कामकाज में मदद करेंगी – चाहे यह घरेलू कामकाज कपड़े धोने और भोजन पकाने का हो या फिर छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने का हो। चूँकि घरेलू कर्तव्य और कामकाज करने में लड़कियाँ बहुत अधिक समय खर्च करती हैं, इसलिए इससे भारत के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं और पुरुषों के बीच की समानता का अन्तराल बढ़ता ही चला जाता है। इससे इस मिथक को बढ़ावा मिलता है कि शिक्षा–दीक्षा लड़कियों के किसी काम की नहीं है क्योंकि अन्ततः उन्हें प्राथमिक रूप से घरेलू कामकाज ही देखना है, शीघ्र ही उनका विवाह करना है, उन्हें बच्चे पैदा करने हैं और फिर उन बच्चों को बड़ा करना है। ऐसी मान्यताएँ और रूढ़ियाँ परिवारों में विवाह के बाद भी दिखते हैं। एक पत्नी और एक माँ की अपरिहार्य भूमिका को 'एक महिला होने' का सहज–स्वाभाविक गुण माना जाता है।

- सामान्य तौर पर पितृसत्तात्मक समाज एक पत्नी के रूप में अपनी भूमिकाओं की उपेक्षा करने वाली महिलाओं की तुलना में एक पति के रूप में अपनी भूमिकाओं की उपेक्षा करने वाले पुरुषों के प्रति अधिक सहिष्णु और उदार होते हैं। इसके अलावा, एक पुरुष के लिए कुँवारा या तलाकशुदा होने का लांछन उतना गहरा नहीं होता जितना उस महिला का होता है जो अविवाहिता हो और अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हो। ऐसी महिलाओं के बारे में माना जाता है कि वे एक पत्नी, एक माँ और एक औरत के रूप में पारम्परिक उम्मीदों पर खरी उतरने में असफल सिद्ध हो चुकी हैं (हाज–याहिया, 2005)। जेण्डर संबंधी रूढ़ियाँ और हिंसा में निहित बेहद महत्वपूर्ण कारक जेण्डर से अधिक शक्ति ही सिद्ध हुई है।

- **पुरुषत्व (masculinity) और स्त्रीत्व (femininity) की धारणाओं को निर्मित करना :** सेन (2012) व्याख्या करती हैं कि जेण्डर की संकल्पना में अभिवृत्तियों के बारे में अपेक्षाएँ तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों की विशेषताएँ और सम्भावित व्यवहार सम्मिलित होते हैं जिन्हें पुरुषत्व और स्त्रीत्व कहा जाता है। यह समाज को संगठित करने वाला मूलभूत सिद्धान्त है जो इन चीजों को आकार प्रदान करता है कि लोग अपने बारे में किस तरह सोचते हैं और दूसरों के साथ अन्तर्क्रिया करते समय लोग खुद को किस प्रकार मार्गनिर्देशित करते हैं। ये लोग समय के साथ परिवर्तित होते हैं, और अलग–अलग समाजों और संस्कृतियों में ये भिन्न–भिन्न होते हैं। "जेण्डर एक वास्तविकता है, एक ऐसा अनुभव जो जीवन के प्रत्येक कदम से सम्बन्धित है" (ऐगे, 2003)। इसलिए नर या मादा होना उनके परिभाषित लिंग को स्वीकार करना है। दूसरी तरफ 'पुरुषत्व' या 'स्त्रीत्व' निर्मित जेण्डर भूमिकाएँ हैं। ओकले के अनुसार, जेण्डर नर और मादा के रूप में जीव–वैज्ञानिक विभाजन के समानान्तर होता है, किन्तु फिर भी इसमें पुरुषत्व और स्त्रीत्व का विभाजन और इनका सामाजिक मूल्यांकन शामिल होता है। दूसरे शब्दों में, जेण्डर एक ऐसी संकल्पना है, जिसे मनुष्य एक–दूसरे के साथ और अपने वातावरणों के साथ अन्तःक्रिया के माध्यम से सामाजिक रूप से निर्मित करता है। तब भी, यह नर और मादा के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तरों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। चूँकि जेण्डर की संकल्पना की रचना मनुष्य सामाजिक रूप से करते हैं, इसलिए जेण्डर को एक सामाजिक रचना के रूप में माना जाता है। जेण्डर की सामाजिक रचना को इस तथ्य के आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है कि व्यक्ति, समूह और समाज व्यक्तियों में गुणों, प्रस्थितियों और मूल्यों का आरोपण शुद्ध रूप से उनके लिंग के आधार पर ही करते हैं यद्यपि यह आरोपण एक समाज या संस्कृति से दूसरे

PDF Compressor Free Version

समाज या संस्कृति में जाने पर बदल जाया करता है। साथ ही यह आरोपण उसी समाज में एक समय से दूसरे समय में जाने पर भी बदल जाया करता है। पुरुषों और महिलाओं के लिए 'उपयुक्त' मानी जाने वाली विशेषताओं, गुणों और गतिविधियों को 'जेण्डर रूढ़िवादिता' कहा जा सकता है। ऐसी गतिविधियों की प्रवृत्ति, पुरुषत्व और स्त्रीत्व की परिभाषा करते हुए, पुरुषों और महिलाओं को तयशुदा दृढ़ ढांचे में बन्द करके उन्हें खाँचाबद्ध करना की होता है। परिवार, विद्यालय और मित्र आदि समाज की संस्थाएँ जेण्डर जैसे संवेदनशील किसी पहलू के प्रति बच्चे की समझ का विकास करने में सहायता करती हैं। इस तरीके का समाजीकरण बहुत प्रारम्भिक अवस्था से ही किसी की विचारधारा को प्रभावित करने की तरफ अग्रसर होता है। एक बच्चा ऐसे पहलुओं को किताबों, खिलौनों, माता–पिता और शिक्षकों से सीख सकता है। ऐसी रूढ़ियाँ उन लड़कों पर अनाधिकृत दबाव डाल देती है, जिन लड़कों को पढ़ना पसन्द है, जिन्हें लड़ने–भिड़ने से घृणा है, या जिन्हें खेलकूद और यान्त्रिकी पसन्द नहीं है। इसी तरह यह उन लड़कियों को चोट पहुँचाता है जो अपने शरीर की छवि से संघर्ष कर रही हैं और जो खेलकूद में उम्दा प्रदर्शन करना चाहती हैं। जेण्डर समानता से लड़कों और लड़कियों दोनों को लाभ मिलता है। जेण्डर समानता की दिशा में कार्य करने से लड़के और लड़कियाँ कठोर जेण्डर भूमिकाओं से बँध जाने के बजाय वे वह होने में सक्षम हो सकेंगे, जो वे होना चाहते हैं।

अपनी प्रगति को जाँचिए III

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

7) भारतीय सन्दर्भ में पितृसत्ता के विभिन्न लक्षणों के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

....

....

....

....

8) चर्चा कीजिए कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व मीडिया में प्रतिनिधित्व के मामले में पुरुषों और महिलाओं की जेण्डर भूमिकाओं को परिभाषित करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

....

....

....

2.6 दमन और हिंसा (लिंग, जाति, वर्ग और निःशक्तताएँ)

समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच शक्ति सम्बन्धों का मिश्रण पितृसत्ता के आधार को निर्मित करता है। ये शक्ति सम्बन्ध पुरुषों और महिलाओं के बीच हो सकते हैं तथा ये दो पुरुषों या दो महिलाओं के बीच भी हो सकते हैं। जैसाकि पहले चर्चा की जा चुकी है कि किसी भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में शक्ति एक रेखांकित करने योग्य महत्वपूर्ण

PDF Compressor Free Version

अभिलक्षण होती है तथा यह शक्ति पितृसत्ता के हितों की रक्षा करने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। परिवार में शक्ति माँ के पास भी हो सकती है और यहाँ तक कि वह अपने बच्चों या अपनी बहुओं का वित्तीय या शारीरिक स्वतन्त्रता या दहेज के सन्दर्भ में, दमन भी कर सकती है। इस तरीके के शक्ति सम्बन्ध पितृसत्ता के प्रभुत्व को पुनरुत्पादित करते हैं, जो जेण्डर–आधारित हिंसा की दिशा में अपना योगदान देता है। ऐसा प्रभुत्व और हिंसा आगे भी दमन के, हिंसा जैसे क्रूर रूपों और कानून जैसे गूढ़ रूपों को कायम रखते हुए शक्ति की यथास्थिति को बनाए रखती है ताकि असमानता चिरस्थायी तरीके से बनी रहे। पितृसत्ता एक संरचनात्मक बल है जो शक्ति सम्बन्धों को प्रभावित करती है – चाहे वे भौतिक रूप से कष्टदायक हों या न हों।

पारम्परिक रूप से भारत पुरुषों के प्रभुत्व वाला एक समाज रहा है जहाँ अपने दैनिक जीवन में महिलाएँ शारीरिक और मानसिक अत्याचारों के अधीन रही हैं। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में महिलाओं से छेड़खानी, उनका यौन शोषण, उन्हें लूटना या उनके साथ बलात्कार महिलाओं के जीवन का प्रचलित यथार्थ बन चुके हैं। किसी राष्ट्र की संवृद्धि का मूल्यांकन केवल आर्थिक और सांख्यिकीय कारकों के रूप में ही नहीं किया जाता, बल्कि यह संवृद्धि सामाजिक क्षेत्र में अपराध की दरों पर भी एक बड़ी सीमा तक निर्भर करती है। बलात्कार, जघन्य हत्याएँ, शोषण, हमले और महिलाओं के गले के आभूषण आदि चुराकर भाग जाना जैसी चीजें आधुनिक भारतीय समाज के दैनिक जीवन की आम घटनाएँ बन चुकी हैं। दहेज से जुड़ी मृत्यु, हत्या, दुल्हन को जला देने आदि के कारण देश में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में बढ़ोत्तरी हुई है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में वृद्धि के कारण देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति में बाधा पड़ रही है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को संयुक्त राष्ट्र इस रूप में परिभाषित करता है : "जेण्डर–आधारित हिंसा का कोई ऐसा कार्य जिसका परिणाम या सम्भावित परिणाम महिलाओं की शारीरिक, यौनिक या मनोवैज्ञानिक क्षति हो अथवा महिलाओं को समस्याएँ उठानी पड़ें, जिनमें ऐसे कार्य करने के साथ–साथ इन्हें करने की धमकियाँ भी शामिल हैं, बलपूर्वक या स्वेच्छाचारिता का प्रयोग करते हुए महिलाओं को उनकी स्वतन्त्रता से वंचित करना, चाहे ये घटनाएँ सार्वजनिक रूप से की गई हों या निजी जीवन में।" (संयुक्त राष्ट्र, 1993)

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 18 दिसम्बर 1979 को महिलाओं के एक अधिकार–पत्र के रूप में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन को अंगीकार किया था ताकि महिलाओं के पूर्ण विकास और उन्नति के लिए समस्त उपयुक्त उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। इसका उद्देश्य महिलाओं को इस बात की गारण्टी देना था कि वे पुरुषों के साथ बराबरी के आधार पर मानवाधिकार और मौलिक स्वतन्त्रताएँ हासिल कर सकेंगी और उनका आनन्द ले सकेंगी। यह सम्मेलन सन् 1981 में प्रवर्तन में आया और 100 से अधिक देशों ने इसका अनुसमर्थन कर दिया है। भारत ने इसका अनुसमर्थन सन् 1993 में किया था। यह सम्मेलन (CEDAW) जेण्डर आधारित हिंसा को इस रूप में परिभाषित करता है : "ऐसी हिंसा जिसकी दिशा किसी महिला के विरुद्ध इसलिए होती है क्योंकि वह एक महिला है या ऐसी हिंसा जो महिलाओं को गैर–आनुपातिक तरीके से प्रभावित करती है।" इसमें ऐसे कार्य शामिल हैं जो महिलाओं को शारीरिक, मानसिक या लैंगिक या यौनिक (Sexual) नुकसान या पीड़ा पहुँचाते हैं या ऐसा करने की धमकी देते हैं या उन पर बल प्रयोग करते हैं या उनकी स्वतन्त्रताएँ किसी और रूप में छीनते हैं। "जेण्डर–आधारित हिंसा" शब्दों का प्रयोग "लैंगिक हिंसा" और "महिलाओं के विरुद्ध हिंसा" के साथ अदल–बदलकर किया जाता है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि किसी महिला के विरुद्ध किए गए समस्त कार्य जेण्डर–आधारित हिंसा ही हैं और न ही इसका

PDF Compressor Free Version

अर्थ यह है कि लैंगिक हिंसा से पीड़ित सारे लोगों में सिर्फ महिलाएँ ही शामिल हैं। परिवेश की परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ लैंगिक हिंसा के शिकार पुरुष होते हैं। इस परिस्थिति में किसी पुरुष पर इस कारण अत्याचार किया जाना, उसका पीटा जाना या उसे जान से मार दिया जाना भी सम्भव हो सकता है क्योंकि वह समाज द्वारा स्वीकृत पुरुषत्व की कसौटियों के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है। व्यापक अर्थों में उपरोक्त सम्मेलन की घोषणा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की श्रेणी में आने वाले अपराधों या दुर्व्यवहारों की सूची बनाती है :

1. परिवार और समुदाय में घटित होने वाली शारीरिक, लैंगिक और मनोवैज्ञानिक हिंसा जिसमें शामिल है : महिलाओं का बारम्बार पीटा जाना, बच्चियों के साथ यौन–दुर्व्यवहार, दहेज सम्बन्धी हिंसा, वैवाहिक बलात्कार, महिलाओं में प्रजननमूलक अंगच्छेदन तथा महिलाओं के लिए हानिकारक अन्य पारम्परिक प्रथाएँ
2. गैर–दाम्पत्यमूलक हिंसा
3. शोषण से सम्बन्धित हिंसा
4. कार्यस्थल, शैक्षिक संस्थानों में या अन्य जगहों पर यौन–उत्पीड़न और अभित्रास (धमकी)
5. महिलाओं का दुर्व्यापार (तस्करी)
6. बलपूर्वक कराई जाने वाली वेश्यावृत्ति और
7. राज्य द्वारा गलती या उपेक्षा से की जाने वाली हिंसा।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अपनी अभिव्यक्ति में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीकों की होती है। आक्रमण और हिंसा पुरुषत्व की सामाजिक रूप से स्वीकृत विशेषताएँ हैं जो पितृसत्ता में शक्ति को लागू करती हैं। समाज में लगातार जारी दहेज की प्रथा यह सिद्ध करती है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक विचारधारात्मक मुद्दा है और इसलिए इसे बहुत सन्तुलित तरीके से सम्बोधित करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत जटिल परिघटना है जिसके अन्तर्गत हिंसा के अनेक आयाम शामिल रहते हैं। भारत में दहेज के लिए प्रतिदिन लगभग 22 महिलाएँ जान से मार दी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में सम्पूर्ण देश में दहेज से जुड़ी 24,771 मौतें दर्ज की गयीं हैं तथा उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दहेज हत्या की घटनाएँ सर्वाधिक होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के मुताबिक देश में 3.48 लाख मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं, जहाँ पतियों या उनेक रिश्तेदारों ने महिलाओं पर क्रूरतापूर्ण अत्याचार किया है। ऐसे दुःखद मामलों में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है जहाँ पिछले तीन सालों में इस तरीके की 61,259 घटनाएँ दर्ज की गयीं। इसके बाद 44,311 घटनाओं के साथ राजस्थान दूसरे और 34,835 घटनाओं के साथ आन्ध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है (द पॉयनियर, 2015)। 2015 की अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट यह रेखांकित करती है कि लड़कियों और महिलाओं के अपहरण या उन्हें बहला–फुसलाकर और बलपूर्वक भगा ले जाने के 59,277 मामले (आईपीसी के तहत किए गए कुल आपराधिक मामलों का 2.01 प्रतिशत); छेड़खानी के 82,422 मामले (आई पी सी के तहत किए गए कुल आपराधिक मामलों का 2.79 प्रतिशत); यौन–उत्पीड़न के 24,041 मामले (आईपीसी के तहत किए गए कुल आपराधिक मामलों का 0.82 प्रतिशत); बलात्कार के 34,771 मामले (आईपीसी के तहत किए गए कुल आपराधिक मामलों का 1.18 प्रतिशत) तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए बनाए गए सन् 2005 के कानून (PWDVA) के बावजूद पतियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा किए गए क्रूर

PDF Compressor Free Version

अत्याचारों के 1,13,403 मामले (आईपीसी के तहत किए गए कुल आपराधिक मामलों का 3.85 प्रतिशत) दर्ज किए गए। इस तरीके की हिंसा लड़कियों के जीवन पर, शिक्षा तक उनकी पहुँच पर और विद्यालयों में उनके द्वारा बेहतर प्रदर्शन किए जाने पर नकारात्मक असर डालती है।

किसी भी जगह पर घटित होने वाले अपराध की दर उन प्राथमिक सूचकों में से एक होती है जो उस जगह पर प्रचलित सामाजिक–आर्थिक स्थिति और वहाँ की न्याय प्रणाली की कुशलता को प्रतिबिम्बित करते हैं। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है या जिन पर यौनिक आक्रमण किया जाता है, उनमें से अधिकांश महिलाएँ बहुत सारे मामलों में इन अपराधों की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं करातीं क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत कम भरोसा होता है कि अपराधी को सजा मिलेगी। देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को दर्ज न कराने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं :

- **महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों से जुड़ा सामाजिक लांछन** : एक पुरुष–प्रमुत्व वाले समाज में महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि महिलाएँ इतनी आत्मनिर्भर नहीं होतीं कि वे अपने निर्णय खुद ले सकें और इसलिए वे अपने माता–पिता, सास–ससुर या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों की दया पर निर्भर होती हैं। परिवार में होने वाले अपराधों को दर्ज न कराने के पीछे जो कारण मौजूद हैं, उनमें यह सर्वप्रमुख कारण है। लज्जा और झंझट तथा अपने ऊपर होने वाले हमलों को निजी मामला मानने की इच्छा भी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से महिलाएँ अपने खिलाफ होने वाले अत्याचारों को दर्ज नहीं करा पातीं।
- **तिरस्कार या अपराधी का डर या अन्य वैयक्तिक धारणाएँ** : महिलाओं से सम्बन्धित बहुत सारे अपराध इसलिए भी नहीं दर्ज हो पाते क्योंकि अपराधी उन्हें या उनके परिवार को और अधिक नुकसान पहुँचाने की धमकी देते हैं। अवरोधक तन्त्र के अभाव को शामिल करते हुए इन कारणों का परिणाम यह होता है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सारे अपराध दर्ज नहीं हो पाते।
- **आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास का अभाव** : न्याय प्रणाली की धीमी गति, जैसा कि भारत में है, भी उन मुख्य कारणों में शामिल है, जिनके कारण महिलाएँ और यहाँ तक कि पढ़ी लिखी महिलाएँ भी अपने विरुद्ध होने वाले अपराधों को दर्ज कराने में असफल रह जाती हैं।

महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा जेण्डर दमन की संरचनाओं को बनाए रखती है; चाहे यह हिंसा निजी क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा की गई हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में सांस्थानिक ताकतों द्वारा की गई हो। जाति और जेण्डर के सामाजिक सम्बन्ध बल के उपयोग के माध्यम से शक्ति के प्रयोग पर भी आधारित होते हैं। (कन्नाबिरन और कन्नाबिरन, 1991)।

शक्ति पितृसत्ता के लिए उद्देश्य तय करती है। किन्तु, दुर्व्यवहार या पुरुषत्व के साथ इसे सम्मिश्रित कर देना समस्यामूलक हो जाता है। ऐसे में, शक्ति और नियन्त्रण की नियंत्रित व्याख्याओं के और भी अधिक जटिल विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। नारीवाद, जोकि महिलाओं द्वारा अपने आत्मनिर्णय और समानता के अधिकारों का दावा करने से सम्बन्धित है, जेण्डर अनुपालन का मुकाबला करता है और इसका उद्देश्य शक्ति के सम्बन्धों को तात्पर्य के सम्बन्धों से प्रतिस्थापित करना है।

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति को जाँचिए IV

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

9) हिंसा की किन्हीं दो ऐसी व्याख्याओं के बारे में लिखिए जो महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW) के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की श्रेणी के अन्तर्गत आती हों।

....

....

....

10) देश में महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले समस्त अपराधों में से बहुत कम अपराधों को ही दर्ज किया जाता है। इसके कुछ कारणों की सूची बनाइए।

....

....

....

2.6.1 दोहरा दमन : निःशक्त महिलाओं के विरुद्ध हिंसा

निःशक्तता राजनीतिक के साथ–साथ एक नारीवादी मुद्दा भी है। निर्योग्यता वाले लोग जनसंख्या के कुछ उन लोगों में से होते हैं, जो बहुत हाशियाकृत (marginalised) होते हैं और जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस बात की बहुत सम्भावना होती है कि ऐसे लोग निम्नतर सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से हों। कार्य और उच्चतर शिक्षा तक पहुँच रखने की सम्भावना ऐसे लोगों के मामले में बहुत कम होती है और इनके जीवन का दायरा तुलनात्मक रूप से छोटा होता है। नारीवाद ने तर्क दिया कि घरेलू हिंसा सिर्फ व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक समस्या है। इस तर्क के आधार पर नारीवाद ने घरेलू हिंसा के मुद्दे को घर के दायरे से बाहर निकालकर सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास किया। वर्तमान में लोग समझते हैं कि जेण्डर–आधारित हिंसा एक राजनीतिक मुद्दा भी है और समाज में इसका जारी रहना पितृसत्ता के कारण सम्भव होता है क्योंकि पितृसत्ता महिलाओं के जीवन पर शक्ति और नियन्त्रण को व्यक्त करते हुए खुद को लागू करती है। निर्योग्यता वाली महिलाओं और लड़कियों तथा हिंसा पर अपने बेहद महत्वपूर्ण अध्ययन में बारबरा फाए वैक्समैन फिडूथिया ने कहा है : "निःशक्तता महिलाएँ आयु–वर्गों, प्रजातीय, नृजातीय, धार्मिक, और सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों और लैंगिक अभिमुखीकरणों से आती हैं; जो ग्रामीण, नगरीय या उप–नगरीय समुदायों में रहती हैं। निःशक्त महिलाएँ और लड़कियाँ निःशक्तता और स्त्रीत्व के किसी कोने में दो तरीके की अल्पसंख्यक पहचानों के साथ पड़ी रहती हैं, इन्हें भेदभाव और रूढ़ियों की दोहरी मार झेलनी पड़ती है, अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल करने में इन्हें अनेकानेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जबकि बहुत सारी निःशक्त महिलाएँ अपनी विविध पहचानों से अत्यधिक शक्ति, लचीलापन और सृजनात्मकता हासिल करती हैं, उन्हें भी भेदभाव के तमाम दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। तब भी, निःशक्त महिलाओं द्वारा स्व–परिभाषित आवश्यकताएँ सामाजिक न्याय के आन्दोलनों में हाशिये पर पड़ी रहती हैं। इन आन्दोलनों को निःशक्त महिलाओं की आवश्यकताओं का – नारीवादी आन्दोलनों का,

PDF Compressor Free Version

निर्योग्यता–अधिकार आन्दोलनों का और नागरिक अधिकार आन्दोलनों का – प्रतिनिधित्व करना चाहिए क्योंकि ऐसा न करने से समस्त प्रकार की पृष्ठभूमियों की निःशक्त महिलाएँ और लड़कियाँ अनिवार्यतः अदृश्य हो जाती हैं" (दोहरा दमन, पृ. 2)।

निर्योग्यता वाली महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा अनेक तरीकों से प्रायः उस हिंसा के समान हो सकती है जो सक्षम महिलाओं के विरुद्ध की जाती है। यद्यपि निर्योग्यता वाली महिलाएँ दुर्व्यवहार के दूसरे रूपों के प्रति भी सुभेद्य होती हैं। उदाहरण के लिए, सहायताओं या अनूकूलनों को इन महिलाओं से दूर कर दिया जाना; इन सहायताओं का उपयोग महिलाओं को शारीरिक क्षति पहुँचाने के लिए करना; उसको आवश्यकता से अधिक या कम दवाइयाँ देना; सहायता प्रदान करने से मना करना या विलम्ब करना; उसकी मदद करते हुए उसके साथ खराब व्यवहार करना; सहायताओं का उपयोग करते हुए महिला पर लैंगिक रूप से हमला करना; इस तथ्य का आरोप लगाना कि वह महिला दुर्व्यवहार किए जाने के लायक ही नहीं है; वित्तीय संसाधनों और लाभों पर नियन्त्रण रखना; अपने लिए कुछ करने में उसकी योग्यताओं को कम मानते हुए उसको संरक्षण देना; आदि–आदि।

2.7 पितृसत्ता और राजनीतिक अर्थव्यवस्था

राजनीतिक अर्थव्यवस्था (Political Economy) शब्द दो ग्रीक शब्दों 'Polis' और 'city' से मिलकर बना है, जहाँ 'Polis' का अर्थ "नगर (city)" या "राज्य (State)" है तथा (bkonomos) का तात्पर्य राज्य या परिवार का प्रबन्धन करने वाले से है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की परिभाषा अगर बहुत सरल रूप में की जाए तो यह व्यक्तियों और समाज और बाजार और राज्य के बीच के सम्बन्धों का अध्ययन है। सार्वजनिक घर–परिवार किस प्रकार शासित होते हैं, इसका अध्ययन करने में राजनीतिक अर्थव्यवस्था राजनीतिक और आर्थिक दोनों प्रकार के कारकों पर विचार करती है।

राज्य की संकल्पना समाज में शक्ति, सत्ता और प्रभावी संस्थानों के प्रयोजन का सन्धि–स्थल है। किसी पितृसत्तात्मक समाज में सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के ऊपर प्रभुत्व, प्रभुत्व का एक अधिक सूक्ष्म और दीर्घस्थायी प्रकार होता है। यह प्रभुत्व स्पष्ट तौर पर खुलकर जाहिर नहीं होता, बल्कि यह बनाए गए कानूनों में, विधानमण्डल में, कल्याणकारी नीतियों में और सामाजिक संस्थानों में बहुत अधिक सूक्ष्म रूप से व्याप्त रहता है, जोकि वास्तव में पितृसत्ता के अपरिष्कृत रूप हैं और जिनका लक्ष्य पितृसत्ता के लक्ष्य को मजबूत बनाना होता है। दुनिया के बहुत सारे देशों की ही तरह, भारत में भी पितृसत्ता ने राजनीतिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं की हाशियाकृत और अनुचित स्थिति को तथा महिलाओं के योगदान को वैध बनाया है। वैध बनाने की यह प्रक्रिया पितृसत्ता का एक स्वाभाविक गुण है। भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के योगदान पर नारीवादी अध्येताओं द्वारा भली–भाँति अनुसन्धान किया गया है और इसे भलीभाँति दस्तावेजीकृत किया गया है। घर के बाहर महिलाओं द्वारा मजदूरी के लिए किए गए कार्य के अतिरिक्त इस कार्य में अपने निजी जीवन के क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किए गए कार्य को भी शामिल किया जाना चाहिए; जैसे – परिवार की मदद करने में किया गया कार्य, जिसमें सम्मिलित हैं – बच्चों के पालन–पोषण हेतु किया गया कामकाज, खाना पकाना और तमाम अन्य घरेलू कामकाज। ये कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें महिलाओं को करना ही पड़ता है, चाहे वे किसी शहरी व्यवस्था में रहती हों या किसी ग्रामीण व्यवस्था में।

भारत में शैक्षिक कार्यक्रमों और नीतियों का एक उदाहरण लेते हुए, नेली स्ट्रॉमक्विस्ट ने विश्लेषण किया है कि *"भारत द्वारा सन् 1988 में, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के एक अंग के रूप में, महिलाओं के लिए शुरू किए गए साक्षरता कार्यक्रमों का औचित्य व्याख्यात्मक है। यह महिलाओं की साक्षरता के कारण मिलने वाले निम्नलिखित लाभों की पहचान करता*

PDF Compressor Free Version

है : प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की बढ़ी हुई सहभागिता, घटी हुई शिशु मृत्यु दर, बच्चों की देखभाल और उनके टीकाकरण के मामलों में अत्यधिक सफलता, प्रजनन दरों में कमी, महिलाओं में अधिक आत्मविश्वास और अपनी छवि को लेकर उनके बीच उत्साह, तथा अपने सामाजिक और कानूनी अधिकारों को लेकर महिलाओं में अधिक जागरूकता (रामदास, 1990 में उल्लिखित)। इनमें से आखिरी वाले दो लाभों को छोड़कर, जो कि महिलाओं को वैयक्तिक रूप में सम्बोधित करते हैं, बाकी सारे लाभ महिलाओं की मातृत्वपरक भूमिकाओं पर केन्द्रित हैं। भारतीय साक्षरता कार्यक्रमों में प्रयुक्त की गयी प्रारम्भिक निर्देश देने वाली वर्णमाला पुस्तकों का विषयवस्तु विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि इसमें माताओं के रूप में महिलाओं की भूमिकाओं को मजबूत करने के लिए उनके कौशलों और ज्ञान को समुन्नत किए जाने पर अत्यधिक जोर दिया गया था (पटेल, 1989)। दूसरे शब्दों में, महिलाओं के लिए साक्षरता की भूमिका पितृसत्तात्मक संस्कृति में उन्हें अनुकूलित करना था, न कि पितृसत्तात्मक संरचना पर प्रश्न उठाना (स्ट्रॉमक्विस्ट, 1991)।"

क्या आप जानते हैं?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद–39 प्रावधान करता है कि अन्य बातों के साथ–साथ राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।

इस सांविधानिक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए 26 सितम्बर 1975 को समान वेतन से जुड़ा अध्यादेश पारित किया गया था। यह अध्यादेश पुरुष और महिला दोनों प्रकार के श्रमिकों को समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए समान वेतन के भुगतान का तथा लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने का प्रावधान करता है। अध्यादेश यह भी सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को भर्ती किए जाने में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित किए जाने के लिए सलाहकारी समितियाँ गठित की जाएँगी। इस अधिनियम को समान वेतन अधिनियम, 1976 कहा जाता है।

इसी तरीके से किसी पितृसत्तात्मक समाज का उत्पादन उद्योग भी एक ऐसी सार्थक श्रेणी है, जिसका इस उद्देश्य के लिए विश्लेषण किया जा सकता है (रेगे, 2003)। हिमाचल प्रदेश के कृषि उत्पादकों के सम्बन्ध में लिखे गए अपने लेख में राज मोहिनी सेठी (1989) कृषि–कार्य में महिलाओं की सहभागिता की अत्यधिक ऊँची दरों का विश्लेषण करती हैं। महिलाओं की इस अत्यधिक ऊँची सहभागिता दर के बावजूद महिलाओं की समग्र प्रस्थिति अपरिवर्तित बनी रहती है। "राजनीतिक, विचारधारात्मक और सांस्कृतिक कारकों के कारण घर के खेतों के कामकाज में ऊँची सहभागिता के बावजूद हाशियाकृत महिलाओं की संख्या बढ़ती जाती है। उत्पादन और वितरण से जुड़ी निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की सहभागिता तथा गाँव की विकास गतिविधियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व परिवर्तित नहीं हुआ है। महिलाओं को जानवरों की तरह महज एक बोझ ही माना जाता है जबकि घर–परिवार की खेती–किसानी के कामकाज का 75 प्रतिशत हिस्सा महिलाएँ ही करती हैं और मवेशियों की देखरेख, घर–परिवार के कामकाज और छोटे बच्चों के समाजीकरण से जुड़े कामकाज का यदि समस्त नहीं, तो अधिकांश हिस्सा महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। पुरुष केवल उत्पादक कृषि कार्यों और गैर–कृषि कार्यों को निष्पादित करते हैं और जब वे बेरोजगार होते हैं, तब घर के कामकाज में

PDF Compressor Free Version

हिस्सा बँटाने के बजाय वे आराम करना पसन्द करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भूमि का स्वामित्व और नियन्त्रण पुरुषों के पास ही रहता है। कृषक समुदायों में पितृसत्तात्मक मूल्यों की पकड़ इतनी मजबूत है कि पैतृक सम्पत्ति (सेठी एण्ड सिबिया, 1987) में महिलाओं के लिए समान अधिकार उपलब्ध कराने वाले हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधान सिर्फ कागज पर ही बने रहते हैं (सेठी, 1989)।" इसलिए, यहाँ तक कि कुछ मामलों में उत्पादक क्षेत्र में महिलाओं के प्रभुत्व की दशा में भी उन्हें विभिन्न शैक्षणिक और रोजगार अवसरों से दूर ही रखा जाता है। इससे समाज में उनके हाशियाकरण को और भी अधिक बढ़ावा मिलता है। जैसाकि उपरोक्त अनुभागों में चर्चा की गई है, महिलाएँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में एक हाशियाकृत समूह रहीं हैं, जहाँ पितृसत्तात्मक मानक अपने अभिलक्षणों को उत्पादित और पुनरुत्पादित करते रहते हैं।

2.6 घरेलू श्रम और इसका उत्पीड़न

पुरुष सूर्योदय से सूर्यास्त तक कार्य कर सकते हैं लेकिन महिलाओं का काम तो कभी खत्म ही नहीं होता (Man may work from sun to sun but woman's work is never done-)।

— एक कहावत

ऐतिहासिक रूप से देखें, तो महिलाएँ सदैव कार्य करती रही हैं लेकिन फिर भी घर में उनके द्वारा किया गया कामकाज हमेशा से अदृश्य ही रहा है। तीव्र औद्योगीकरण के परिणामस्वरूप घर–परिवार के दायरे से बाहर जाकर किए गए कार्य को अधिक वरीयता दी गई। इसलिए, जैसाकि हम चर्चा कर चुके हैं, घर में अधिकांशतः महिलाओं द्वारा किया गया कार्य अदृश्य होता चला गया और परिवार में इसके योगदान की उपेक्षा की गयी।

पुरुष भी पितृसत्ता के शिकार होते हैं। पुरुषों को प्रभुत्व, आक्रामक और बुद्धिमान होने के रूप में स्वीकार कर लिए जाने से उन्हें रोजगार के अधिक अवसर मिले हैं और इसलिए पुरुषों को परिवार में कमाई करने वाला बना दिया गया है। दूसरी तरफ, हालाँकि कामकाजी वर्ग की महिलाएँ अक्सर अपने घरेलू कौशलों को बेचकर पैसा कमाने के योग्य होती हैं, लेकिन तब भी घर लौटने पर इन महिलाओं को अपने परिवारों की देखभाल करने के लिए घर पर भी कामकाज करना होता है। एक सेमिनार के दौरान एक प्रोफेसर ने एक बार अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि जब वे घर लौटते हैं तो अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ ने दिन भर क्या किया, और इस पर माँ का जवाब हमेशा यही होता है कि "कुछ नहीं किया!"

यहाँ तक कि उन महिलाओं के लिए भी अपने घर–परिवार की देखभाल करना जरूरी होता है जो नौकरी पाने और वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हैं। यह दोहरा काम या दोहरी नौकरी (घर पर भी, और वेतन के लिए बाहर भी) महिलाओं को पुरुषों की तुलना में अलाभकारी स्थिति में रख देती है। विभिन्न अध्येताओं ने कार्य के इस दोहरेपन की सम्भावित व्याख्याओं का विश्लेषण किया है और इस पर चर्चा की है। श्रम के लैंगिक विभाजन को पितृसत्ता और पूँजीवाद का सीधा परिणाम माना जाता है। यद्यपि अनेक मार्क्सवादी नारीवादियों का तर्क है कि पूँजीवाद बाजार में महिलाओं के दमन की आवश्यकता को निर्धारित करता है, लेकिन इस बात पर महत्वपूर्ण असहमतियाँ रही हैं कि क्या घरेलू कामकाज अतिरिक्त मूल्य में अपना योगदान देता है या नहीं। समय की उपलब्धता और विचारधारा (शेल्टन एण्ड जॉन, 1996) भी समाज में घरेलू श्रम के लिए व्याख्याएँ रहीं हैं।

हालाँकि भुगतान वाले कार्य करने के लिए महिलाएँ और पुरुष दोनों घर से बाहर जाते हैं, फिर भी महिलाओं को घर पर बिना भुगतान वाले अधिकांश कामकाज को लगातार

PDF Compressor Free Version

करते रहना होता है। इसे 'एक दूसरी नौकरी' करना कहा जाता है। यह ठीक है कि अधिकाधिक ऐसे पुरुष सामने आ रहे हैं, जो घरेलू कामकाज में अपनी पत्नी की मदद करते हैं, परन्तु तब भी एक समता मूलक या समानता–आधारित समाज को हासिल करना अभी शेष ही है।

अपने लेख 'पितृसत्तात्मक परिवार में घरेलू श्रम (1994)' में एलिस एबेल केम्प घरेलू श्रम के चार घटकों का वर्णन करती हैं : घर का काम, सहायतामूलक कार्य, प्रस्थिति के उत्पादन हेतु किया गया काम, और बच्चों की देखभाल।

2.9 राष्ट्रीय सम्पदा में महिलाओं के योगदान का मूल्य

घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको सहायतामूलक कार्य और प्रस्थिति के उत्पादन के लिए किए गए कार्य के बारे में पता न हो। आइए, प्रस्थिति के उत्पादन और सहायतामूलक कार्य की संकल्पनाओं को समझते हैं।

क्या आप जानते हैं?

कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न के मामलों को सम्बोधित करने के लिए भारत में अनेक कानून और प्रक्रियाएँ हैं। विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले (जे.टी. 1997 (7) एस.सी. 384) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न के विरुद्ध निर्देश दिए हैं जिन्हें लोकप्रिय तौर पर विशाखा निर्देश के नाम से जाना जाता है। बाद में इन निर्देशों को सन् 2013 में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013' के रूप में पारित किया गया।

प्रस्थिति उत्पाद और सहायतामूलक कार्य

प्रस्थिति के उत्पादन की संकल्पनाओं को समझने के लिए हम हन्ना पापानेक (1979) के अध्ययन पर विचार करेंगे। हन्ना पापानेक प्रस्थिति के उत्पादन को परिवार या घर के अन्य सदस्यों द्वारा की जाने वाली आय–अर्जक गतिविधियों की माँगों से उत्पन्न सहायतामूलक कार्य के रूप में वर्णित करती हैं। सहायतामूलक कार्य में बच्चों को प्रशिक्षित करना भी शामिल हो सकता है। इसमें शामिल हो सकते हैं : शारीरिक कल्याण, भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य–विज्ञान और आत्म प्रस्तुतीकरण। सहायतामूलक कार्य का क्षेत्र किसी पालतू जानवर के मर जाने पर बच्चे को दिलासा देने से लेकर किसी व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा अपने सहकर्मी के साथ किए गए घृणित व्यवहार की शिकायतें सुनने तक कुछ भी हो सकती है। यह भी श्रम का एक ऐसा प्रकार है जिसकी यह निर्धारित करने का प्रयास करते समय अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है कि कोई व्यक्ति कितना "कार्य" करता है।

इस प्रकार के सहायतामूलक कार्य के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं :

(1) सहायतामूलक कार्य करने वाले व्यक्ति और आय–अर्जन करने वाली वास्तविक गतिविधि या उस संस्थान में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता, जहाँ यह गतिविधि सम्पन्न की जाती है;

(2) सहायतामूलक कार्य के प्रतिफल अप्रत्यक्ष होते हैं। अक्सर ये प्रतिफल ओहदे के कारण प्राप्त होने वाली अतिरिक्त चीजों के जरिये होते हैं; जैसे – आय–अर्जन करने वाले सदस्य के नियोक्ता द्वारा आवास या चिकित्सकीय देखभाल तक उपलब्ध करायी गयी पहुँच;

PDF Compressor Free Version

(3) सहायतामूलक कार्य के प्रत्यक्ष प्रतिफलों के अनेक आर्थिक और गैर–आर्थिक रूप होते हैं;

(4) सहायतामूलक कार्य की स्थितियों के बारे में आय–अर्जन करने वाले सदस्य से बातचीत की जाती है और ये स्थितियाँ तमाम परिवर्तनों के अधीन होती हैं (पापानेक, 1979)।

कार्य के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बढ़ने के साथ–साथ उनके सामने आने वाली अभिवृत्तिमूलक बाधाएँ भी बढ़ी हैं। यह सम्भव है कि महिलाओं के लिए नौकरी पाना पहले जितना कठिन न रह गया हो लेकिन इसके बाद उन्हें जिस मार्ग पर चलना होता है, वह निश्चय ही एक कठिन मार्ग होता है। शेष विश्व की ही तरह भारत में भी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन–उत्पीड़न एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इण्डियन नेशनल बार एसोसिएशन ने एक अध्ययन आयोजित कराया था और उसे प्रस्तुत किया था। इसमें महिलाओं और पुरुषों को मिलाकर कुल 6,047 प्रतिभागियों पर सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण में 38 प्रतिशत लोगों ने बताया कि उन्होंने कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न झेला है। ऐसा उत्पीड़न झेलने वाले लोगों में से 69 प्रतिशत ने इस सम्बन्ध में कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी। बहुत थोड़े से लोगों ने हमला करने वाले लोगों के खिलाफ न्यायालय में शिकायत दर्ज करायी लेकिन वे भी लम्बी न्यायिक प्रक्रियाओं में उलझकर रह गए।

बरसों से चली आ रही पारम्परिक जेण्डर अपेक्षाओं और प्रथाओं का परिणाम यह हुआ है कि श्रमबल के प्रमुख क्षेत्रकों में नेतृत्वकारी भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम बना हुआ है। महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वे अपने पेशे या व्यवसाय के चुनाव में अधिक मर्दाना होती जा रही हैं। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के लिहाज से सत्ता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और प्रभुत्व के जिन गुणों को पुरुषों के लिए जरूरी विशेषताएँ माना जाती है, उन्हीं गुणों को महिलाओं के लिए अवांछनीय माना जाता है। पुरुषों के लिए ये गुण उन्हें प्रभावशाली बनाने वाले माने जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इन्हीं गुणों को उन्हें कर्कश बनाने वाला माना जाता है।

महिलाओं को अभी भी घर–परिवार बनाने वाली और बच्चों का पालन–पोषण करने वाली पारम्परिक और पितृसत्ता–प्रेरित भूमिकाओं के दायरे में ही देखा जाता है; इसीलिए इन महिलाओं को अब घर–परिवार और कार्यस्थल, दोनों जगहों, की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। यहाँ तक कि नेतृत्वकारी स्थितियों में विराजमान महिलाओं को प्रायः रोब दिखाने वाली और ठण्ढा माना जाता है, जिसे अपनी प्रकृति में 'गैर–स्त्रीवाचक कहा गया है। आज जिस चीज की जरूरत है, वह है उन जेण्डरीकृत भूमिकाओं में अभिवृत्तिमूलक परिवर्तन, जो पितृसत्तात्मक क्षेत्र में बहुत लम्बे समय से लागू होती चली आ रहीं हैं।

2.10 सारांश

यह इकाई जेण्डर, जेण्डर भूमिकाओं, पितृसत्ता के अभिलक्षणों, मातृसत्ता जैसी विस्तृत संकल्पनाओं के साथ–साथ इस सम्बन्ध में आपके लिए एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करती है कि ये संकल्पनाएँ किस प्रकार जेण्डर भूमिकाओं की रचना में अपना योगदान देती हैं और किस प्रकार समाज में महिलाओं की प्रस्थिति को निर्धारित करती हैं। व्यापक तौर पर कहा जाए, तो जेण्डर का तात्पर्य सिर्फ महिलाओं और पुरुषों से और उनके बीच की अन्तर्क्रियाओं से ही नहीं है। महिलाओं और पुरुषों के बीच के उन अन्तरों को समझना महत्वपूर्ण है, जो बाह्य प्रभाव के कारण रचे गए हैं। इसके साथ–साथ उन शर्तों को समझना भी जरूरी है, जो महिलाओं और पुरुषों के जीव–वैज्ञानिक अन्तरों को आधार बनाते हुए उनके ऊपर थोप दी जाती हैं। इसी प्रकार हमारी लैंगिक भूमिकाओं और

PDF Compressor Free Version

जेण्डर भूमिकाओं में अन्तर है। जबकि हमारी लैंगिक भूमिकाएँ हमारे ऊपर प्रकृति द्वारा (महिलाओं और पुरुषों के बीच शारीरिक और शरीर–क्रिया सम्बन्धी अन्तरों के जरिये) थोपी जाती हैं, हमारी जेण्डर भूमिकाएँ आमतौर पर समाज द्वारा परिभाषित की जाती हैं (उदाहरणार्थ, व्यवहारों/भूमिकाओं को समाज द्वारा या तो पुरुषवाचक या महिलावाचक के रूप में समझा जाता है)। दूसरे शब्दों में जेण्डर का तात्पर्य समाज द्वारा निर्मित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से है, जो महिलाओं और पुरुषों को प्रत्येक जगह पर इनका समर्थन करने वाली सामाजिक संरचनाओं में सौंपे जाते हैं। ये सारी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ समय के अनुसार बदल सकती हैं। हम कह सकते हैं कि जेण्डर भूमिकाएँ सीखे हुए व्यवहार हैं। जेण्डर भूमिकाएँ सम्बन्धों की एक जटिल व्यवस्था में ग्रहण की जाती हैं, इन भूमिकाओं को लागू किया जाता है और इन्हें सीखा जाता है। उम्र, वर्ग, प्रजाति, नृजातीयता और धर्म का तथा भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण का जेण्डर भूमिकाओं पर प्रभाव पड़ता है। बहुत बार इसका परिणाम लैंगिक–रूढ़िवादिता होती है जिसके प्रभाव व्यक्तियों पर या तो सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से पड़ते हैं। यह व्यक्तियों को स्टीरियोटाइप्स के अनुरूप कार्य करने की दिशा में ले जाता है। किसी व्यक्ति की आत्मछवि पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इस आत्मछवि में किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान, उसका आत्मविश्वास और नियन्त्रण का उसका बिन्दुपथ (locus) शामिल होता है। लैंगिक भूमिकाओं के रूढ़िवादिता के प्रसारण के सबसे बड़े सामाजिक अभिकर्ता और इस प्रसारण की सबसे बड़ी ताकतें माता–पिता, शिक्षक और विद्यालय होती हैं।

जेण्डर पर निगाह डालने का उद्देश्य महिलाओं और पुरुषों को अलग–अलग बाँट देना या उनके बीच संघर्ष उत्पन्न करना नहीं है। यह किसी व्यक्ति का ध्यान उन मुद्दों की तरफ आकर्षित करता है जिनके कारण महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान सम्बन्ध उत्पन्न हुए हैं। इसके साथ ही यह ऐसे उपयुक्त उपायों के साथ इन मुद्दों को सम्बोधित करने की अनुमति देता है, जिनसे असमानता को चिरस्थायी बनाने के बजाय असमानता को कम करने में सहायता मिलती है। इस प्रकार जेण्डर की संकल्पना महिलाओं और पुरुषों के बीच लाभों के न्यायसंगत वितरण के पदों में संवृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने में हमारी मदद करती है। यह संकल्पना महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति सम्बन्धों की समानता पर, तथा सबसे बढ़कर, विकास के किसी भी क्षेत्र में उनके बीच साझेदारी पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता करती है।

पिछले लगभग तीन दशकों के दौरान सम्पूर्ण विश्व में शिक्षा, स्वास्थ्य–देखभाल और परिवार नियोजन तथा रोजगार के अवसरों तक पहुँच के मामले में और निर्णय–निर्माण व शासन (गवर्नेंस) आदि के मामले में महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं। महिलाएँ अब ऐसे अनेक व्यवसायों में प्रविष्ट हो रही हैं जिन्हें अतीत में मुख्य रूप से पुरुषों का ही क्षेत्र माना जाता था। परन्तु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के आकलन बताते हैं कि विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में महिलाओं की प्रस्थिति बहुत नीची बनी हुई है। विकासशील क्षेत्रों में महिलाओं की समस्याओं का आधार मुख्य रूप से जेण्डर के प्रति पूर्व ग्रहयुक्त समाजीकरण तथा पितृसत्ता की व्यवस्थाओं का प्रभावी होना है, जो महिलाओं को अधीनस्थ भूमिकाओं तक सीमित करके उन्हें एक निश्चित दायरे के भीतर आबद्ध कर देते हैं। पितृसत्तात्मक संरचनाएँ महिलाओं और पुरुषों के लिए उपलब्ध अवसरों के बीच चले आ रहे अन्तरों को चिरस्थायी बनाती हैं। यद्यपि पितृसत्तात्मक मानक सभी जगह एक जैसे ही नहीं होते, तब भी समग्र रूप से पितृसत्ता की ऐसी समग्र संरचनाएँ मौजूद होती हैं जो आमतौर पर महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक गतिशीलता, सत्ता और नियन्त्रण प्रदान करती हैं। इस क्षेत्र के देशों में पितृसत्ता की संस्कृति की जड़ें इतनी गहराई तक जमी हुई हैं कि स्वयं महिलाएँ भी यह स्वीकार कर लेती

PDF Compressor Free Version

हैं कि अपने परिवार के लिए जो कामकाज वे करती हैं, उसे करना उनका कर्तव्य है तथा उनके द्वारा किए गए कार्य पुरुषों द्वारा किए गए कार्यों जितने मूल्यवान नहीं होते। महिलाओं के एक बहुत बड़े हिस्से की ऐसे निर्णयों तक में कोई भूमिका नहीं होती; जैसे – क्या गर्भ–निरोधक का प्रयोग किया जाए या नहीं अथवा उन्हें कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। परिवार सम्बन्धी निर्णय मुख्य रूप से उनके पति और परिवार के वयस्क सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विकासशील देशों में निरक्षरता सबसे बड़ी समस्या है तथा महिलाओं के विकास और कल्याण के रास्ते में यही निरक्षरता सबसे बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि घर–परिवार से जुड़े समस्त निर्णय आमतौर पर पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं और महिलाओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे इन निर्णयों का अनुपालन करें। सशक्त पितृसत्ता, पारम्परिक जेण्डर भूमिकाओं और धार्मिक कट्टरतावाद के प्रति दृढ़ आग्रह भी विकासशील देशों में महिलाओं की नीची प्रस्थिति में अपना योगदान देते हैं। सन् 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका में कराए गए एक अध्ययन के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा समस्त संस्कृतियों में पोषित की जाने वाली इन मान्यताओं के कारण की जाती है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं; जिन महिलाओं के साथ पुरुष रहते हैं, वे उनकी जागीर होती हैं और उनके साथ पुरुष वैसा व्यवहार कर सकते हैं जैसा पुरुष चाहें या उपयुक्त मानें। नारीवादी दृष्टिकोण यह है कि महिलाओं की प्रस्थिति दमन और अधीनस्थता के कारण नीची है, जिसका मूलभूत कारण श्रम का लैंगिक विभाजन है। यह विभाजन महिलाओं को पदावनत करके प्रजनन मूलक भूमिकाओं तक सीमित रखकर उनकी स्वतन्त्रता को सीमित करता है। सम्पूर्ण विश्व में बदलते परिवेश में महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वे अपने पेशे या व्यवसाय के चुनाव में अधिक मर्दाना होती जा रही हैं। एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के लिहाज से सत्ता, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और प्रभुत्व के जिन गुणों को पुरुषों के लिए जरूरी विशेषताएँ माना जाता है, उन्हीं गुणों को महिलाओं के लिए अवांछनीय माना जाता है। पुरुषों के लिए ये गुण उन्हें प्रभावशाली बनाने वाले माने जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए इन्हीं गुणों को उन्हें कर्कश बनाने वाला माना जाता है। महिलाओं को अभी भी घर–परिवार बनाने वाली और बच्चों का पालन–पोषण करने वाली पारम्परिक और पितृसत्ता–प्रेरित भूमिकाओं के दायरे में ही देखा जाता है; इसीलिए इन महिलाओं को अब घर–परिवार और कार्यस्थल, दोनों जगहों, की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है। आज जिस चीज की जरूरत है, वह है उन जेण्डरीकृत भूमिकाओं में अभिवृत्तिमूलक परिवर्तन, जो पितृसत्तात्मक क्षेत्र में बहुत लम्बे समय से लागू होती चली आ रहीं हैं।

2.11 इकाई अंत प्रश्न

1. 'जेण्डर भूमिकाओं' पदबन्ध की व्याख्या कीजिए। कुछ ऐसी जेण्डर भूमिकाओं की सूची बनाइए और उन पर चर्चा कीजिए जिनका अवलोकन आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं।

2. पितृसत्ता और मातृसत्ता की संकल्पनाओं के अर्थ का वर्णन कीजिए।

3. पितृसत्तात्मक मानक किसी समाज में पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रभावित करते हैं। कैसे? आलोचनात्मक दृष्टि से चर्चा कीजिए।

4. आपकी राय में क्या जेण्डर भूमिका उत्क्रमण (role reversal) पितृसत्ता के मानकों को चुनौती देने का जवाब हो सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? पाँच पंक्तियों में व्याख्या कीजिए।

PDF Compressor Free Version

5. 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013' की एक प्रति लीजिए और कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन–उत्पीड़न रोकने के सम्बन्ध में उपलब्ध पाँच दिशानिर्देशों की सूची बनाइए।

6. प्रस्थिति के उत्पादन की संकल्पनाओं को व्याख्यायित कीजिए। इसकी विशेषताएँ क्या–क्या हैं?

2.12 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

1. जेण्डर भूमिकाएँ ऐसी भूमिकाएँ हैं, जिनकी अपेक्षा पुरुषों और महिलाओं से उनके लिंग के आधार पर की जाती है। जेण्डर भूमिकाएँ पीढ़ियों से चली आ रही हैं। पारम्परिक रूप से अनेक समाजों की यह मान्यता थी कि पालन–पोषण करने में महिलाएँ पुरुषों से बेहतर होती हैं। इसलिए, पुरुषों के सम्बन्ध में, जेण्डर भूमिकाओं का पारम्परिक दृष्टिकोण सुझाता है कि घर में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराते हुए पुरुषों को अपने घर का मुखिया होना चाहिए और महत्वपूर्ण पारिवारिक निर्णय पुरुषों द्वारा लिए जाने चाहिए। हालाँकि समाज के अनेक क्षेत्रों में यही दृष्टिकोण अभी भी प्रभावी है, तो भी इक्कीसवीं शताब्दी में जेण्डर भूमिकाओं के बारे में पारम्परिक मान्यताओं के एक वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य को लगातार और व्यापक समर्थन मिला है। जेण्डर भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य यह है कि चूँकि जेण्डर भूमिकाएँ सीखी जाती हैं, इसलिए इन्हें भुलाया भी जा सकता है तथा नवीन और विशिष्ट भूमिकाओं का सृजन भी किया जा सकता है। नारीवादी परिप्रेक्ष्य इशारा करता है कि जेण्डर भूमिकाएँ नरों और मादाओं के लिए उपयुक्त बताए जाने वाले व्यवहार के विचार भर नहीं हैं, बल्कि ये भूमिकाएँ उस शक्ति के अलग–अलग स्तरों से भी जुड़ी हुई हैं, जो समाज में नरों और मादाओं के पास होती है।

2. पितृसत्ता एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग नारीवादी अध्येताओं द्वारा बहुत आमतौर पर किया जाता है। अपने दैनिक जीवन में जनसंख्या के बहुलांश द्वारा इस शब्द का व्यवहार (प्रैक्टिस) किया जाता है। एक पितृसत्ता वह समाज होता है, जहाँ शक्ति वरिष्ठ पुरुषों में निहित रहती है और इन्हीं वरिष्ठ पुरुषों के माध्यम से ही शक्ति का हस्तान्तरण आगे सम्पन्न किया जाता है। व्यापक रूप से देखें, तो पितृसत्ता की जो संकल्पना नारीवादी लेखन के भीतर विकसित की गयी है, वह कोई अकेली या सरल संकल्पना नहीं है, बल्कि इसके विभिन्न अर्थों के बहुत सारे प्रकार भी इसमें शामिल हैं। बहुत सामान्य स्तर पर, पितृसत्ता शब्द का उपयोग पुरुषों के प्रभुत्व को इंगित करने के लिए तथा उन शक्ति–सम्बन्धों को इंगित करने के लिए किया जाता है, जिनके माध्यम से पुरुष महिलाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। मातृसत्ता सामाजिक संगठन का ऐसा रूप है जिसमें माता या वरिष्ठतम महिला परिवार की मुखिया होती है तथा वंशक्रम और सम्बन्ध की गणना महिला के वंश के हिसाब से की जाती है; एक महिला या अनेक महिलाओं की सरकार या उनका शासन। मूल रूप से मातृसत्ता का तात्पर्य एक ऐसे समाज से है, जहाँ शक्ति परिवार की महिलाओं में निहित रहती है और आगे शक्ति का हस्तान्तरण परिवार की महिला सदस्यों को किया जाता है – व्यक्तिगत स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। मातृ सत्तात्मक समाज में शक्ति प्राथमिक रूप से महिलाओं के पास होती है; रोजगार में, निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में और सम्पत्ति पर नियन्त्रण के क्षेत्रों में महिलाएँ प्रभावी होती हैं। अनेक अध्ययन हैं जो दर्शाते हैं कि मातृरेखीय वंशक्रम (matrilineal descent) वाले समाजों में भी शक्ति संरचना या तो समतामूलक होती है या फिर औपचारिक रूप से उस पर पिता या किसी अन्य पुरुष का प्रभुत्व रहता है। किसी

PDF Compressor Free Version

सामाजिक व्यवस्था को मातृसत्ता मानने के लिए यह जरूरी है कि उसके पास एक ऐसी संस्कृति हो जो किसी महिला या महिलाओं को सत्तायुक्त स्थिति में रखकर उसे परिभाषित करती हो तथा महिलाओं के प्रभुत्व को आवश्यक और वैध माना जाता हो।

3. सम्पूर्ण विश्व में जीवन के एक तरीके के रूप में पितृसत्ता ने पुरुषों को भी उतना ही प्रभावित किया है, जितना महिलाओं को। अधिकांश राष्ट्रों की प्रकृति पितृसत्तात्मक होने के कारण पुरुषों पर यह बाध्यता आ जाती है कि वे परिवार चलाने के लिए कमाई करके लाएँ, जबकि महिलाएँ देखभाल करने वाले कामों में लगी रहती हैं। पितृसत्ता एक अर्थ में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ–साथ निजी क्षेत्र में भी पुरुषों को शक्ति और सत्ता प्रदान करती है। किसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर पुरुष ही सारे निर्णय लेते हैं। शक्ति और सत्ता के सभी पदों पर पुरुष ही विराजमान होते हैं, उन्हें महिलाओं की तुलना में मानसिक और शारीरिक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुषों को कुछ खास पहचान के साथ संलग्न कर दिया जाता है, जिनमें सम्मिलित हैं – नियन्त्रण के गुण, शक्ति, ताकतवर होना, तार्किकता, कठोर परिश्रमी, नैतिक और प्रतिस्पर्द्धामूलक। इनमें से प्रत्येक गुण किसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष की पहचान में योगदान देता है। ऐसे रूढ़ियाँ पुरुषों को महिलाओं के प्रति एक पारम्परिक और पूर्वाग्रहयुक्त मुद्रा अपनाने और उसे बनाए रखने की तरफ अग्रसर करते हैं और इस प्रकार महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा या उनके साथ किए जाने वाले भेदभावों का औचित्य–स्थापन किया जाता है।

4. जेण्डरीकृत भूमिकाओं के मुद्दों पर अनुसन्धान किए गए हैं और विभिन्न समयों में अध्येताओं द्वारा इस पर चर्चा की गई है। यदि जेण्डर भूमिकाओं को उलटना (reverse) है, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि इन पारम्परिक भूमिकाओं की अदला–बदली की जाए यानी पुरुषों को परिवार में देखभाल का कामकाज सौंपा जाए और महिलाओं को कमाई करने वाला बनाया जाए। लेकिन तब यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि पितृसत्ता के मानकों को चुनौती देने के लिए इतना करना ही पर्याप्त होगा? क्या जेण्डर–समानता हासिल करने के लिए इतना करना ही काफी होगा? जिन जोड़ों (couples) की जेण्डर भूमिकाएँ उलट (reversed) दी गयीं हैं, समानता प्राप्त करने के लिए उन्हें अपनी अन्तरंगता और पहचान के बोध में सन्तुलन स्थापित करने हेतु प्रयास करने पड़ेंगे। कार्यस्थल की संस्कृतियों में अभी भी पारम्परिक जेण्डरीकृत रूढ़ियाँ भीतर तक जड़ें जमाए हुए हैं। जब कोई पुरुष अपने परिवार में देखभाल करने वाले की भूमिका निभाता है तो उसके चरित्र और 'मर्दानगी' पर अक्सर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं और ऐसे पुरुषों को अपनी निगाह नीचे झुकानी पड़ती है। देखभाल करने वाले की भूमिका में महिलाओं पर भी सवाल खड़े किए जाते हैं, अगर वे नेतृत्वकारी ओहदों पर हों तथा वे अपनी भूमिकाओं को लेकर कार्यस्थल और घर के बीच बँटी हुई हों। संगठनों में नेतृत्व के ऊँचे ओहदों पर विराजमान महत्वाकांक्षी महिलाओं को अक्सर 'खराब माँ' के रूप में अभिहित किया जाता है और उनकी मातृत्वपरक भावनाओं पर सवाल उठाए जाते हैं। आधुनिकीकृत हो रहे एक समाज में, रूढ़िवादी भूमिकाओं का निष्पादन समझौतावादी होने की तरफ अग्रसर हो रहा है, तब भी, जब अर्जन की कमी और बाहरी प्रभाव के कारण ऐसी भूमिकाएँ स्वाभाविक और नवाचारी होती हों। इसलिए, पितृसत्ता को सम्बोधित करने के लिए जेण्डर भूमिकाओं का उत्क्रमण कोई समाधान नहीं है, बल्कि जिस चीज की आवश्यकता है वह है जेण्डरीकृत भूमिकाओं और रूढ़िवादी से मुक्ति, ताकि पुरुष और महिलाएँ अपनी पसन्द के व्यवसायों और कामों को करने के लिए सशक्तीकृत हो सकें और मूलभूत मूल्यों और सद्गुणों को बनाए रख सकें।

PDF Compressor Free Version

5. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013 का उद्देश्य कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न के सन्दर्भ में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम यौन–उत्पीड़न को रोकता है और यौन–उत्पीड़न तथा इससे जुड़े हुए मामलों की शिकायतों का समाधान करने से सम्बन्धित है। यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के जरिये महिलाओं को प्रदान किए गए समानता के मूल अधिकारों की गारण्टी के साथ तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीवन के अधिकार तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने के महिलाओं के अधिकार के साथ संगतिपूर्ण है। यह अधिनियम कोई भी व्यवसाय करने के या किसी भी व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य को जारी रखने के महिलाओं के अधिकार पर जोर देता है, जिसमें यौन–उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण पाने का अधिकार भी समाहित है। यह अधिनियम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा प्रलेखों; जैसे – भारत सरकार द्वारा सन् 1993 में अनुसमर्थित महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन (CEDAW) के अनुरूप; यौन–उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा का तथा गरिमा के साथ कार्य करने के महिलाओं के अधिकार का सार्वभौमिक रूप से संज्ञान लेता है। यह अधिनियम उल्लिखित करता है कि : 1) किसी भी कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ किसी प्रकार का यौन–उत्पीड़न नहीं किया जाएगा; 2) अन्य परिस्थितियों के साथ, निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि यौन–उत्पीड़न से सम्बन्धित या इससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य या व्यवहार किया जाता है या मौजूद पाया जाता है, तो उसे यौन–उत्पीड़न माना जा सकता है रू– (i) किसी महिला के रोजगार में उसके साथ वरीयतापूर्ण व्यवहार करने के लिए किया गया कोई स्पष्ट या इस आशय का निहितार्थयुक्त वादा; अथवा (ii) किसी महिला के रोजगार में उसके साथ हानिकर व्यवहार करने के लिए दी गई कोई स्पष्ट या इस आशय की निहितार्थयुक्त धमकीय अथवा (iii) उसके वर्तमान या भविष्य के रोजगार की प्रस्थिति के सम्बन्ध में उसे स्पष्ट रूप से या इस आशय के निहितार्थयुक्त रूप से दी गई धमकीय अथवा (iv) उसके काम में हस्तक्षेप करना या उसके लिए कार्य के वातावरण को धमकीयुक्त या आक्रामक या शत्रुवत बनाना; अथवा (अ) ऐसा कोई अपमानित करने वाला या उसे नीचा दिखाने वाला व्यवहार करना, जिससे उसके स्वास्थ्य या उसकी सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ता हो।

6. हन्ना पापानेक प्रस्थिति के उत्पादन को परिवार या घर के अन्य सदस्यों द्वारा की जाने वाली आय–अर्जक (income & earning) गतिविधियों की माँगों से उत्पन्न सहायतामूलक कार्य के रूप में वर्णित करती हैं। सहायतामूलक कार्य में बच्चों को प्रशिक्षित करना भी शामिल हो सकता है। इसमें शामिल हो सकते हैं : शारीरिक कल्याण, भाषा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य–विज्ञान और आत्म प्रस्तुतीकरण। सहायतामूलक कार्य का क्षेत्र किसी पालतू जानवर के मर जाने पर बच्चे को दिलासा देने से लेकर किसी व्यक्ति के पति या पत्नी द्वारा अपने सहकर्मी के साथ किए गए घृणित व्यवहार की शिकायतें सुनने तक कुछ भी हो सकती है। यह भी श्रम का एक ऐसा प्रकार है जिसकी यह निर्धारित करने का प्रयास करते समय अक्सर उपेक्षा कर दी जाती है कि कोई व्यक्ति कितना "कार्य" करता है। इस प्रकार के सहायतामूलक कार्य के अनेक अभिलक्षण होते हैं। इनमें से कुछ अभिलक्षणों को हन्ना पापानेक द्वारा निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है : (1) सहायतामूलक कार्य करने वाले व्यक्ति और आय–अर्जन करने वाली वास्तविक गतिविधि या उस संस्थान में कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता, जहाँ यह गतिविधि सम्पन्न की जाती है; (2) सहायतामूलक कार्य के प्रतिफल अप्रत्यक्ष होते हैं। अक्सर ये प्रतिफल ओहदे के कारण प्राप्त होने वाली अतिरिक्त चीजों के जरिये होते हैं; जैसे

PDF Compressor Free Version

– आय–अर्जन करने वाले सदस्य के नियोक्ता द्वारा आवास या चिकित्सकीय देखभाल तक उपलब्ध करायी गयी पहुँच; (3) सहायतामूलक कार्य के प्रत्यक्ष प्रतिफलों के अनेक आर्थिक और गैर–आर्थिक रूप होते हैं; (4) सहायतामूलक कार्य की स्थितियों के बारे में आय–अर्जन करने वाले सदस्य से बातचीत की जाती है और ये स्थितियाँ तमाम परिवर्तनों के अधीन होती हैं।

2.13 सन्दर्भ ग्रंथ और उपयोगी अध्ययन सामग्री

1. बोउवार, सिमोन द, कॉन्स्टैन्स बोर्डे, एण्ड शीला मेलोवेनि–शेवालियर. 2010. द सेकण्ड सेक्स. न्यूयॉर्क : अल्फ्रेड ए. नॉफ।

2. भसीन, कमला. 2000. अण्डरस्टैण्डिंग जेण्डर. नई दिल्ली : काली फॉर विमेन।

3. डबल ऑप्रेशन : वॉयलेन्स अगेन्स्ट डिसेबिल्ड विमेन. एक्सेस्ड ऑन फर्स्ट सेप्टेम्बर 2016. (http//www-niaendingviolence-org-uk/perch/resources/ double&oppression&violence&against&disabled&women-pdf)

4. हाज–याहिया. एम. 2005. ऑन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटीज, जेण्डर इनिक्वलिटी, एण्ड वाइफ एब्यूज : द केस ऑफ पैलेस्टाइनियन सोसाइटी. अदालाह'ज न्यूजलेटर, वॉल्यूम 20. एक्सेस्ड ऑन 17 अगस्त 2016 (https://www-adalah-org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/nov05/fet-pdf)

5. कन्नाबिरन, व्ही., एण्ड कन्नाबिरन, के. (1991). कास्ट एण्ड जेण्डर : अण्डरस्टैण्डिंग डायनामिक्स ऑफ पावर एण्ड वॉयलेंस. इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 2130–2133.

6. केम्प, एलिस ए. विमेन्स वर्क. फर्स्ट एडिशन. एंजेलवुड क्लिफ्स, एन.जे. : प्रेण्टिस हॉल, 1994. प्रिण्ट।

7. लन्दन फेमिनिस्ट नेटवर्क. व्हाट इज पैट्रियार्की? एक्सेसेज ऑन 16 अगस्त 2016 (http://londonfeministnetwork-org-uk/home/patriarchy)

8. मिलेट, के. (1970). सेक्सुअल पॉलिटिक्स (फर्स्ट एडिशन). गार्डेन सिटी, एन.वाई.: डबलडे.

9. मोजर, कैरोलिन ओ.एन. 1993. जेण्डर प्लानिंग एण्ड डेवेलपमेण्ट : थियरी, प्रैक्टिस, एण्ड ट्रेनिंग. लन्दन : रूटलेज।

10. नेली पी. स्ट्रॉमक्विस्ट (1991) एजुकेटिंग विमेन : द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ पैट्रियार्कल स्टेट्स, इण्टरनेशनल टध्ययन इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, 1 : 1–2, 111–128.

11. ओकले, एन. 2015. सेक्स, जेण्डर एण्ड सोसाइटी. एशगेट पब्लिशिंग लिमिटेड।

12. पापानेक, हन्ना. 1979. द लेबर ऑफ विमेन : वर्क एण्ड फैमिली. साइन्स (Vol.), वॉल्यूम 4, नं. 4, पीपी. 775–781।

13. रामदास, ललिता (1990) विमेन एण्ड लिटरेसी : ए क्वेस्ट फॉर जस्टिस, कन्वर्जेन्स, 23, 1.

PDF Compressor Free Version

14. रेगे, शर्मिला, संपा. 2003. सोशियोलॉजी ऑफ जेण्डर : द चेलेंज ऑफ फेमिनिस्ट सोशियोलॉजिकल थॉट. एसएजीई पब्लिकेशन्स इण्डिया।

15. सेन, सुजाता. 2012. जेण्डर स्टडीज. पियरसन।

16. सेठी, आर. (1989). विमेन एण्ड डेवेलपमेण्ट : ए प्रोफाइल ऑफ एक्टिव एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स. सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, 38(2), 217–233. रिट्रीव्ड फ्रॉम http://www.gstor.org/staic/23619812

17. ट्रेल्टन, बी. एण्ड जॉन, डी. (1996). द डिवीजन ऑफ हाउसहोल्ड लेबर. एनुअल रिव्यू ऑफ सोशियोलॉजी, 22, 299–322. रिट्रीव्ड फ्रॉम http://www-jstor-org/stable/2083433

18. द पॉयनियर. 1 अगस्त 2015. इण्डिया सीज 22 डाउरी डेथ्स एवरीडे. एक्सेस्ड ऑन 21 सेप्टेम्बर 2016 (http://www-dailypioneer-com/nation/india&sees&22&dowry&deaths&every&day-html)

19. द वर्ल्ड बैंक. 2012. द वर्ल्ड डेवेलपमेण्ट रिपोर्ट. (एक्सेस्ड ऑन 5 अगस्त 2016)

20. यूनिसेफ (UNICEF). 'पैनल 1 : जेण्डर डिस्क्रिमिनेशन एक्रॉस द लाइफ साइकिल' इन 'द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन 2007 : विमेन एण्ड चिल्ड्रेन : द डबल डिवीडेण्ड ऑफ जेण्डर इक्वैलिटी'. यूनिसेफ, न्यूयॉर्क. 2006।

21. यूनाइटेड नेशन्स. 1993. डिक्लेरेशन ऑन दि एलिमिनेशन ऑफ वॉयलेन्स अगेन्स्ट विमेन. जनरल असेम्बली रिजोल्यूशन 48–104।

22. वेस्ट, सी., एण्ड डी. एच. जिम्मरमैन. 1987. डूइंग जेण्डर. जेण्डर एण्ड सोसाइटी 1 (2) : 125–151।

PDF Compressor Free Version

इकाई 3 अन्य सामाजिक संरचनाओं और अस्मिताओं के साथ अंतःक्रिया में पितृसत्ताएँ

संरचना

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 परिवार, जाति, वर्ग और समुदाय : समकालीन नारीवादी विमर्श

3.3.1 परिवार और महिलाओं की अधीनस्थता की प्रकृति

3.3.2 वर्ग और जेण्डर का प्रतिच्छेदन

3.3.3 जाति और जेण्डर की अंतःक्रिया

3.4 सामाजिक यथार्थों के लघु–स्वरूप के रूप में विद्यालय

3.4.1 शिक्षा की पहुँच और निहित जेण्डर अधीनस्थताएँ

3.4.2 जेण्डर पूर्वाग्रह और पाठ्यपुस्तकों में उनका चित्रण

3.5 सारांश

3.6 इकाई अंत प्रश्न

3.7 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

3.8 सन्दर्भ और उपयोगी अध्ययन सामग्री

3.1 प्रस्तावना

विद्यालयी शिक्षा को जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से समझने के लिए यह इकाई शिक्षा और अन्य सामाजिक संरचनाओं के बीच के अन्तर्सम्बन्ध पर चर्चा करेगी। यह सामाजिक संरचनाओं को परिवार, जाति, वर्ग और जनजाति जैसे रूपों का वर्णन करती है ताकि जेण्डर सम्बन्धों पर इन संरचनाओं के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके। यह इकाई सामाजिक संस्थाओं के रूप में परिवार, जाति और वर्ग की मूल परिभाषाओं से तथा शिक्षा, स्वास्थ्य–देखभाल और रोजगार तक महिलाओं की पहुँच को नियन्त्रित करने में इन संरथनाओं की भूमिकाओं से शिक्षार्थियों को परिचित कराएगी। शिक्षा को सामाजिक यथार्थो से अलग रहकर नहीं समझा जा सकता, जिसमें समावेशी शिक्षा के सन्दर्भ में, सामाजिक संरचना के एक अंग के रूप में, जेण्डर पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। विद्यालयी शिक्षा और अन्य सामाजिक संरचनाओं के साथ इसका प्रतिच्छेदन बहुत जटिल है। इस प्रकार यह इकाई सामाजिक संरचना और जेण्डर के बारे में मूलभूत समझ विकसित करने में शिक्षार्थियों की मदद करेगी।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप :

- जाति, वर्ग, परिवार और समुदाय जैसी सामाजिक संस्थाओं को एक नारीवादी परिप्रेक्ष्य से परिभाषित कर सकेंगे और इन्हें समझ सकेंगे;

PDF Compressor Free Version

- सामाजिक संरचना, पितृसत्ता और महिलाओं के हाशियाकरण के बीच के अन्तर्सम्बन्ध को समझ सकेंगे; और
- जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से स्कूलिंग और विद्यालयी शिक्षा की व्याख्या कर सकेंगे।

3.3 परिवार, जाति, वर्ग और समुदाय : समकालीन नारीवादी विमर्श

यह अनुभाग एम.ए. के महिला एवं जेण्डर अध्ययन कार्यक्रम के एमडब्ल्यूजी 009 : महिलाएँ और सामाजिक संरचना पाठ्यक्रम से ग्रहण किया गया है। यह अनुभाग परिवार, जाति और वर्ग जैसी कुछ संकल्पनाओं की समाजशास्त्रीय परिभाषाओं से शिक्षार्थियों को परिचित कराएगा। ये संकल्पनाएँ सामाजिक संरचना के हिस्से का स्वरूप निर्मित करती हैं। इसके अतिरिक्त, यह अनुभाग महिलाओं के हाशियाकरण और नियन्त्रण के सम्बन्ध में इन संस्थाओं के कार्यकरण की संक्षिप्त व्याख्या करता है। आइए अब परिवार को परिभाषित करें और इस पर चर्चा करें कि परिवार का अर्थ क्या है तथा भारत में इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें।

परिवार के सम्बन्ध में यह चर्चा एम डब्ल्यू जी 009 'परिवार' पाठ्यक्रम के खण्ड – 2 : 'परिवार' का नारीवादी विमर्श "इकाई – 1 : भारत में परिवार और घर के रूप" से ग्रहण की गयी है। लेवी स्ट्रॉस (1971) ने परिवार और इसकी संरचनाओं और प्रकार्यों का वर्णन इस तरीके से किया है : "विवाह से उत्पन्न एक सामाजिक समूह जिसमें पति, पत्नी और इनके सहवास से पैदा हुए बच्चे शामिल होते हैं (यद्यपि परिवार के कुछ रूपों में अन्य सम्बन्धियों को भी सम्मिलित किया जाता है); ये सदस्यों को कानूनी, आर्थिक और धार्मिक बन्धनों के साथ–साथ कर्तव्यों और विशेषाधिकारों के जरिये बाँधते हैं; ये लैंगिक विशेषाधिकार और निषेध उपलब्ध कराते हैं तथा यहाँ प्रेम, आदर और लगाव की अलग–अलग कोटियाँ विद्यमान होती हैं (पृ. 58)।" परिवार से सम्बन्धित मुख्यधारा के अध्ययन परिवार की व्याख्या एक ऐसी इकाई के रूप में करते हैं "(i) जहाँ विपरीत लिंगों के कम से कम दो वयस्क लोग एक साथ रहते हैं; (ii) ये श्रम के विभाजन के किसी न किसी रूप से संलग्न होते हैं; (iii) वे आर्थिक और सामाजिक विनिमयों के अनेक प्रकारों में संलग्न रहते हैं; अर्थात् वे चीजों को एक–दूसरे के लिए करते हैं; (iv) वे उभयनिष्ठ रूप से बहुत सारी चीजों की साझेदारी करते हैं, जैसे – भोजन, सहवास, आवास, तथा दोनों चीजें यानी वस्तुएँ और सामाजिक गतिविधियाँ; (v) वयस्कों का अपने बच्चों से सम्बन्ध माता–पिता का होता है और इसी तरह बच्चों का इन वयस्कों से सम्बन्ध सन्तान का होता है; अपने बच्चों पर माता–पिता का कुछ प्राधिकार होता है जिसमें माता और पिता दोनों की साझेदारी होती है और यह साझेदारी सुरक्षा, सहयोग और पोषण के लिए कुछ दायित्व सँभालने के सम्बन्ध में भी होती है;(vi) स्वयं बच्चों में भी सहोदर होने के सम्बन्ध मौजूद होते हैं तथा इसके साथ एक बार फिर सुरक्षा के लिए और एक–दूसरे की सहायता करने के लिए साझा किए जाने वाले दायित्वों की एक परास मौजूद होती है। जब ये सारी परिस्थितियाँ विद्यमान होती हैं, तब बहुत कम ही लोग इस बात से इनकार करेंगे कि यह इकाई एक परिवार है" (गुडे, 1982, पृ. 9, रे 2014 द्वारा उल्लिखित)। परिवार को इस रूप में भी परिभाषित किया गया है कि यह "रक्त–सम्बन्धों, विवाह या ग्रहण के जरिये एक–दूसरे से सम्बन्धित लोगों का एक ऐसा समूह है, जो एक आर्थिक इकाई की रचना करता है और इस इकाई में बच्चों को पाल–पोसकर बड़ा करने की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है" (गिडेन्स, 2010, पृ. 331)। रोज (1968) ने परिवार की परिभाषा इस प्रकार दी है : "आपस में अन्तःक्रिया करने वाले व्यक्तियों का एक समूह, जहाँ उभयनिष्ठ

PDF Compressor Free Version

अभिभावक विवाह और/या ग्रहण के आधार पर ये व्यक्ति एक–दूसरे के साथ एक निश्चित सम्बन्ध का संज्ञान लेते हैं" (पृ. 9, रे 2014 द्वारा उल्लिखित)। जीव–वैज्ञानिक सम्बन्ध परिवार की सदस्यता के लिए पारिभाषिक सिद्धान्त रहे हैं, तब भी नातेदारी (kinship) के एक मूलभूत समूह के रूप में परिवार 'रक्त' और 'विवाह' के जरिये पारिवारिक सम्बन्धों के दोहरे महत्व पर जोर देता है।

नारीवादियों ने भी इस तरफ इशारा किया है कि संयुक्त परिवार पर केन्द्रित इन सभी मुख्यधारा के अध्ययनों में और संयुक्त परिवार की एकता का महिमामण्डन करने की प्रक्रिया में परिवार की एकता को बनाए रखने में महिलाओं की भूमिका की उपेक्षा की गयी है। इसके साथ ही परिवार के भीतर महिलाओं के अलग–अलग तरीके के और कठिन अनुभवों की भी उपेक्षा की गई है (पटेल, 2003; उबेरॉय, 1993, 2008, देखें रे 2014)। उन्होंने तर्क दिया है कि नातेदारी और परिवार के सन्दर्भ में सौदेबाजी की शक्ति और समझौता करने की योग्यता की धारणा (notion) महत्वपूर्ण है। हालाँकि पितृरेखीय और पितृ–प्रमुत्वयुक्त (patri & virilocal) नातेदारी के दायरे के भीतर रहने वाली अधिकांश महिलाओं के पास संसाधनों पर बहुत सीमित अधिकार होता है और असल में परिवार और घर (household) के भीतर इन महिलाओं के पास उत्तराधिकार सम्बन्धी कोई अधिकार नहीं होता और निर्णय–निर्माण की कोई शक्ति भी नहीं होती (देखें रे 2014)। महिलाएँ हाशियाकृत होती हैं, उन्हें पराधीन माना जाता है और उनकी स्वायत्तता को पुरुषों द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। इसलिए इन पितृरेखीय परिवारों में महिलाओं के पास शायद ही चयन का कोई विकल्प या संविदा की कोई शक्ति होती हो (दुबे, 2001, पृ. 7, देखें रे 2014)। नातेदारी और परिवार की संरचनाओं का अध्ययन करने वाली मुख्यधारा में इन तथ्यों को महत्व नहीं दिया गया है बल्कि इन पर प्रकाश डालने की कोशिश नारीवादियों ने अपने अध्ययनों में की है।

अपनी प्रगति को जाँचिए I

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

1) भारतीय परिप्रेक्ष्य में परिवार को परिभाषित कीजिए।

....

....

....

....

....

3.3.1 परिवार और महिलाओं की अधीनस्थता की प्रकृति

इसके आगे नारीवादी अध्ययनों ने उन प्रतिमानों की तरफ इशारा किया जिसमें परिवार की पवित्रता और समुदाय के भीतर प्रतिष्ठा के नाम पर परिवार और नातेदारी ने महिलाओं को अधीनस्थ बना दिया है। महिलाओं के हाशियाकरण के सर्वाधिक स्पष्ट रूप उनकी गतिशीलता पर प्रतिबन्ध थोपकर प्रतिष्ठा के नाम पर उनके विरुद्ध की जाने वाली हिंसा को चिरस्थायी बनाना, जेण्डर समाजीकरण को चिरस्थायी बनाना, श्रम के जेण्डरीकृत विभाजन के मानक को कठोर करना, प्रजनन के सम्बन्ध में महिलाओं के शरीर पर नियन्त्रण स्थापित रखना और अन्ततः महिलाओं को परिवार में लगातार हाशिये पर बनाए

PDF Compressor Free Version

रखना है। "अध्येताओं ने परिवार की प्रतिष्ठा के नाम पर महिलाओं के साथ की जाने वाली आपराधिक हिंसा पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है और दर्शाया है कि परिवार की प्रतिष्ठा का तर्क किस प्रकार महिलाओं को अधीनस्थ बना देता है और पुरुषों को यह शक्ति प्रदान कर देता है कि वे महिलाओं के आत्मा और शरीर पर अपना नियन्त्रण स्थापित करें (दास, 1996)।" इस सन्दर्भ में नारीवादी अध्ययनों ने जाति की विचारधारा और परिवार की विचारधारा के प्रतिच्छेदन पर चर्चा की है और दर्शाया है कि महिलाओं के ऊपर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए किस प्रकार ये दोनों विचारधाराएँ अपना काम एक साथ मिलकर करती हैं। "परिवार की प्रतिष्ठा और जाति की शुचिता को महिलाओं की यौनिकता की शुद्धता और इस यौनिकता के नियन्त्रण पर निर्भर माना जाता है। जाति की संरचना की शुद्धता को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था सीमाओं को बनाए रखने (यानी सिर्फ अपनी जाति के भीतर ही विवाह करने) पर बहुत जोर देती है। सीमाओं को बनाए रखने का यह भार जीव–वैज्ञानिक प्रजनन में महिलाओं की विशिष्ट भूमिका के कारण उन पर ही गिरता है (देखें रे 2014 : 104)।" शुचिता और प्रतिष्ठा के विचार को बनाए रखने में परिवार सामाजिक संस्था के एक रूप की शक्ल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा करने के लिए परिवार अपने सदस्यों और खासकर महिलाओं को इस प्रकार समाजीकृत करता है कि वे अपनी यौनिकता पर नियन्त्रण कायम रखें। रे (2014) के अनुसार, लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि ये स्त्रैण (feminine) बनी रहें और उन्हें शुद्ध बनाए रखने के लिए परिवार उनके ऊपर नियन्त्रण का इस्तेमाल करता है।

सामाजिक क्रियाविधियों (mechanisms) के अन्य रूपों में शामिल हैं : गतिशीलता पर प्रतिबन्ध, अलगाव को कायम रखना, एक पवित्र स्त्री के विचार पर जोर, पुत्रों को वरीयता प्रदान करने वाली संस्कृति और कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह करना, जिसके जरिये परिवार जाति की सीमाओं को बनाए रखने में सक्रिय रूप से अपना योगदान देता है तथा जाति की शुद्धता और प्रतिष्ठा को बनाए रखता है। परिवार और जाति की प्रतिष्ठा की सुरक्षा का दायित्व समुदाय के पुरुष सदस्यों को सौंपा जाता है, इसलिए पुरुष महिलाओं के ऊपर शक्ति का प्रयोग करते हैं। "परिणामस्वरूप पुरुष महिलाओं के व्यवहार और जीवन के प्रत्येक पहलू को नियन्त्रित करते हैं। इन मानकों से परे जाकर काम करने वाली किसी महिला को पथभ्रष्ट कहा जाता है और दण्ड देकर सुधारने के एक तरीके के रूप में अक्सर ऐसी महिला को हिंसा का सामना करना पड़ता है (रे 2014 : 104)।" आइए अब सामाजिक संस्था के रूप मे कक्षा तथा महिलाओं पर इसके प्रभाव को समझें।

3.3.2 वर्ग और जेण्डर का प्रतिच्छेदन

वर्ग और जेण्डर पर की गयी चर्चा एम.ए. के महिला एवं जेण्डर अध्ययन कार्यक्रम के एमडब्ल्यूजी 009 : महिलाएँ और सामाजिक संरचना, पाठ्यक्रम की 'इकाई – 1 : रचनात्मक नारीवादी विमर्श' से ग्रहण की गयी है। वर्ग के विश्लेषण के साथ नारीवादी संलग्नता विभिन्न देशों में 1960 और 1970 के दशकों में प्रारम्भ हुई। महिलाओं और वर्ग के बीच प्रतिच्छेदन पर अलग–अलग नारीवादी दृष्टिकोणों से चर्चा की गयी है। उदाहरणार्थ, संयुक्त राज्य अमेरिका में आमूल–परिवर्तनवादी (radical) नारीवादियों ने पितृसत्ता को "उत्पादन की सभी प्रणालियों के अन्तर्गत निर्धारक सामाजिक सम्बन्ध" के रूप में देखा (कस्टर्स, 2014 : 20)। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक व्यवस्था महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व द्वारा पहचानी जाती है और शक्ति केवल पुरुषों के पास ही होती है।

आमूल–परिवर्तनवादी (radical) नारीवादी दृष्टिकोण के अनुसार, उत्पादन के साधनों के साथ महिलाओं का सम्बन्ध, इन साधनों के साथ पुरुषों के सम्बन्ध से भिन्न है क्योंकि

PDF Compressor Free Version

महिलाओं के श्रम को पुरुष नियन्त्रित करते हैं। इसलिए इसके बाद महिलाओं के अदृश्य कार्य और उनके घरेलू कामकाज जैसे कुछ मुद्दों का नारीवादियों ने अध्ययन किया। 1970 के दशक के पूर्वार्द्ध में महिलाओं और वर्ग पर वाद–विवाद घरेलू कामकाज के संकल्पनाबद्धीकरण पर केन्द्रित रहा। इस सन्दर्भ में अमेरिकी लेखिका मार्ग्रेट बेन्स्टन और इतालवी नारीवादी मारिया रोजा डाला कोस्टा ने कुछ बहुत रोचक योगदान दिए। जब नारीवाद की दूसरी लहर उभर रही थी, तब मार्ग्रेट बेन्स्टन (1969) ने एक निबन्ध **'महिलाओं की मुक्ति की राजनीतिक अर्थव्यवस्था'** लिखा, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं की दोयम दर्जे की प्रस्थिति का मूल कारण अपनी प्रकृति में आर्थिक है और एक समूह के रूप में महिलाएँ उत्पादन के साधनों के साथ एक निश्चयात्मक सम्बन्ध साझा करती हैं (कस्टर्स, 2014 में उल्लिखित, पृ. 61)।

इसलिए प्रजनन और वर्ग बहुत जटिल तरीके से सम्बन्धित हैं। प्रजनन के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका की सार्वभौमिक स्वीकृति महिलाओं और पुरुषों के बीच वर्ग संरचना को उत्पन्न करने का आधार बन गयी। परिणाम यह हुआ कि श्रम बाजार में और परिवार में महिलाओं द्वारा किया गया कार्य या तो अदृश्य हो गया या उसका संज्ञान नहीं लिया गया। उदाहरण के लिए, उन्नीसवीं शताब्दी में महिलाओं को उनके पहले बच्चे के जन्म के बाद कार्य से हटा लिया जाता था। युगों–युगों से महिलाओं ने अपनी प्रजननमूलक जिम्मेदारियों के इर्द–गिर्द ही अपने कार्य को आकार दिया है और इसके साथ–साथ उन्होंने आर्थिक योगदान भी दिए हैं। आपने जरूर देखा होगा कि बच्चों वाली महिलाओं ने रोजगार तक अपनी पहुँच बनाई है; जैसे – आंशिक तरीके के कार्य (part time work) में, घर–आधारित कार्य में और मौसमी कार्य में। अध्ययन बताते हैं कि जहाँ महिलाओं को अपने बच्चे साथ रखते हुए कार्य करने की अनुमति दी गई, वहाँ कार्य में उनकी सहभागिता की दर बढ़ी उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क में खाद्य पदार्थों को डिब्बों में रखने वाले कारखानों में काम करने वाली इतालवी माताएँ, न्यू इंग्लैण्ड की कपड़ा मिलों और सूती कपड़ों के अंग्रेजी कारखानों में काम करने वाली अप्रवासी माताएँ (ब्रिनर एण्ड रेमास में उल्लिखित, पृ. 27)। ऐसे अध्ययन मौजूद हैं, जिन्होंने यह दर्शाया है कि चूँकि समाज में महिलाओं को कभी भी कमाने वाली प्राथमिक मजदूर नहीं माना गया, इसलिए उनका अधिकांश प्रतिनिधित्व कुछ विशिष्ट व्यवसायों; जैसे – परिचारिकाओं (nurses), शिक्षकों और कृषि श्रमिकों तक ही सीमित मिलता है। स्कूलिंग और इसके साथ शिक्षा तक भी महिलाओं की पहुँच के सन्दर्भ में वर्ग और जेण्डर के बीच के इस सम्बन्ध के गहरे निहितार्थ हैं।

गतिविधि 1

हमारे देश में निर्धनता महिलाओं की शिक्षा पर कैसा प्रभाव डालती है। यह जानने के लिए विभिन्न समाचारपत्रों से समाचारों को एकत्रित कीजिए?

....

....

....

3.3.3 जाति और जेण्डर की अंतःक्रिया

जाति, वर्ग और जेण्डर आपस में जुड़े हुए हैं और सामाजिक संस्थाओं के रूप में ये एक–दूसरे को आकार प्रदान करते हैं। एक विशालतर सामाजिक संरचना के हिस्से के रूप में ये संस्थाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और बाजार जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ लगातार

PDF Compressor Free Version

संलग्नता रहती हैं। आइए, अब यह समझते हैं कि महिलाओं पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने लायक होने के लिए जाति किस प्रकार समाज में अपना कार्यकरण करती है। यह अनुभाग एमडब्ल्यूजी 009 पाठ्यक्रम की इकाई – 1 : 'जेण्डरीकरण और जाति'; तथा एम. ए. के महिला एवं जेण्डर अध्ययन कार्यक्रम के 'महिलाएँ और सामाजिक संरचना' से ग्रहण किया गया है। जाति व्यवस्था का आधार विवाह, लैंगिकता और प्रजनन की संरचना को पीढ़ी–दर–पीढ़ी बनाए रखना है। यह समाज के भीतर जेण्डर और अन्य सामाजिक जाति समूहों के सम्बन्ध में असमानताओं को बनाए रखने का मौलिक आधार है। "लुईस ड्यूमोंट (1972) जाति व्यवस्था को सहमति–आधारित मूल्यों की एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें मूल्यों का एक समुच्चय प्रभुत्व जताने वाले और प्रभुत्व स्वीकार करने वाले दोनों लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है।' इतिहासकार उमा चक्रवर्ती का तर्क है कि यह परिभाषा इसलिए लोकप्रिय है क्योंकि यह उच्च जातियों के लिए सुविधाजनक है। यह परिभाषा सुविधाजनक इसलिए है क्योंकि यह पदसोपानीय संरचना में अपनी स्थिति को बनाए रखने में उच्च जातियों की मदद करती है" (चक्रवर्ती, 2003, बिन्दुलक्ष्मी 2014 : 192 में उल्लिखित)। अम्बेडकर जाति व्यवस्था को एक 'श्रेणीबद्ध असमानता' की एक व्यवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें शक्ति के श्रेणीतन्त्र हमेशा जाति व्यवस्था की प्रभुत्वशाली विचारधारा में निहित रहते हैं। इस प्रकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तीकरण तक पहुँच के मामले में महिलाओं और दलित समुदायों को अनेकानेक हाशियाकरणों का सामना करना पड़ता है।

जेण्डर और जाति के प्रतिच्छेदन को समझने के विभिन्न तरीकों में से एक तरीका यह है कि इसे स्वजातीय विवाह (endogamy) की संकल्पना के जरिये समझा जाए। "एण्डोगेमी अपनी ही जाति में विवाह करने की प्रथा है और यह उन महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है जिनके माध्यम से जाति के श्रेणीतन्त्र को कायम रखा जाता है और उसे व्यवहार में लाया जाता है। एण्डोगेमी की कठोर प्रथा के माध्यम से सांस्कृतिक नियमावलियों को लागू करने का परिणाम भारत में अत्यधिक जेण्डरीकृत हिंसा के रूप में सामने आया है" (बिन्दुलक्ष्मी 2014 : 193। समाचार पत्रों में आपने भारत में बड़े पैमाने पर की जाने वाली जेण्डरीकृत हिंसा के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जो प्रतिष्ठा की विचारधारा के नाम पर की जाती है। प्रतिष्ठा की धारणा से पुरुष और महिला अलग–अलग तरीके से सम्बद्ध रहते हैं तथा जाति/समुदाय के मानकों को लाँघने के विषय में भी पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक प्रतिबन्ध की क्रियाविधि अलग–अलग तरीके की होती है। उदाहरण के लिए, भारत के विभिन्न राज्यों में प्रतिष्ठा के नाम पर की जाने वाली हत्या (honour killings) की बढ़ती घटनाएँ जातिगत एण्डोगेमी और हिंसा के बीच के गहरे सम्पर्क को समझने में हमारी मदद करती हैं। खाप पंचायतें जाति व्यवस्था, समुदाय के मानकों और गोत्र के मानक की कठोर सीमाओं का उल्लंघन करने वाले युवा जोड़ों के विरुद्ध हिंसा को चिरस्थायी बना रही हैं। उमा चक्रवर्ती (1993) का तर्क है कि महिलाओं को विवाह और प्रजनन की संरचना के दायरे में जाति व्यवस्था का प्रवेशद्वार माना जाता है। महिलाओं को जाति की प्रतिष्ठा के एक भण्डार–गृह के रूप में देखा जाता है और इसलिए वे पितृसत्तात्मक संरक्षण, नैतिक निगरानी, नियन्त्रण और हिंसा के अधीन हो जाती हैं। समुदाय की प्रतिष्ठा और जातिगत शुद्धता के इसी स्वरूप के कारण महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का औचित्य स्थापित किया जाता है।

जैसा कि बिन्दु के. सी. (2014) लिखती हैं, "भारतीय समाज को समझने के लिए दलित नारीवाद जिस एक अन्य अति महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक संकल्पना का प्रयोग करता है, वह है ब्राह्मणवादी पितृसत्ता की संकल्पना। अम्बेडकर का अनुसरण करते हुए दलित नारीवादी भारतीय समाज का विश्लेषण ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के इर्द–गिर्द संरचनाबद्ध

PDF Compressor Free Version

एक ऐसे समाज के रूप में करते हैं, जिसमें दक्षिण एशिया में शक्ति का एक जाति–जेण्डर आधार होता है। शक्ति की यह असमानता अपनी ही जाति के परिवारों में किए जाने वाले विवाहों के कारण कायम रहती है। इस अर्थ में, एण्डोगेमी स्वयं जाति व्यवस्था के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधारशिला के रूप में कार्य करती है और यहाँ जाति की शुद्धता और जाति को प्रदूषित करने वाले संस्कारों के नियम उच्च जाति की महिलाओं में सबसे अधिक कठोर होते हैं" (पृ. 204)।

अपनी प्रगति को जाँचिए II

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

2) ब्राह्मणवादी पितृसत्ता क्या है? इसकी व्याख्या करने के लिए एक केस अध्ययन प्रस्तुत कीजिए।

....

....

....

....

3) स्वजातीय (एण्डोगेमी) क्या है?

....

....

....

....

....

इस अनुभाग में पितृसत्ता और सामाजिक संरचना के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाओं के बारे में संक्षिप्त चर्चा की गयी। जाति, वर्ग और परिवार जैसी इन संकल्पनाओं के बारे में भली प्रकार समझ लेने से शिक्षार्थियों को इस चीज का विश्लेषण करने में सहायता मिलेगी कि शिक्षा और स्कूलिंग किस प्रकार इन संरचनाओं के अंग हैं। इसलिए, समाज के सम्बन्ध में विद्यालय को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में समझने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, लड़कियों के नामांकन का कम होना; कुछ निश्चित विषयों/ज्ञानशास्त्रों से लड़कियों का अनुपस्थित होना; और प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच का अभाव जैसे मुद्दे। इन चीजों पर समाज, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, नृजातीयता, परिवार, और समुदाय तथा जेण्डर सम्बन्धों के सन्दर्भ में ही चर्चा हो सकती है। आइए, संक्षेप में यह जानें कि विद्यालय किस प्रकार सामाजिक यथार्थ का एक लघु–रूप होता है।

3.4 सामाजिक यथार्थों के एक लघु–स्वरूप के रूप में विद्यालय

विचारधारा, सामाजिक मानकों, उदार मूल्यों और प्रगतिशील विचारों के बीच संघर्ष का अनुभव करने के लिए विद्यालय प्रणाली एक उपयुक्त जगह है। इसलिए, विद्यालय ऐसे

PDF Compressor Free Version

उत्तम मंच हैं जो महिलाओं के शिक्षा के अधिकार और समाज में महिलाओं की निर्धारित भूमिकाओं के बीच विरोधाभासों को प्रतिबिम्बित करते हैं। इस अर्थ में, विद्यालय भी अपनी प्रकृति में जेण्डरीकृत होते हैं और अध्यापन के अपने कार्यों और संस्कृति में विद्यालय भी जेण्डर रूढ़िवादियों को प्रतिबिम्बित करते हैं। जैसाकि आपने इस इकाई में पहले के अनुभाग में पढ़ा है, भारतीय समाज में सामाजिक संरचनाओं की अनेक परतें मौजूद हैं जो वास्तव में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पितृसत्तात्मक मूल्यों को मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं की शिक्षा पर अब भारत में कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन इसे नियन्त्रित जरूर किया जाता है तथा महिलाओं को अलग–थलग रखने पर शायद ही कभी अमल किया जाता हो लेकिन कार्य, स्वास्थ्य–देखभाल, कानून और शिक्षा तक उनकी पहुँच को हमेशा नियन्त्रित जरूर किया जाता है (रे 1988)।

3.4.1 शिक्षा की पहुँच और निहित जेण्डर अधीनस्थताएँ

भारतीय समाज ऐसे विरोधाभासों से बना है जिसमें महिलाओं को शक्तिशाली के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन तब भी, परिवार में उनका दमन किया जाता है और उन्हें परिवार के अनुकूल बनाया जाता है। सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में विद्यालय भी ऐसे जेण्डर संघर्षों और विरोधाभासों से मुक्त नहीं हैं। ऐतिहासिक रूप से विद्यालयों की रचना बालकों को शिक्षित करने के लिए की गई थी क्योंकि बालिकाओं को समाज में माताओं, पत्नियों और बहुओं के रूप में आदर्शीकृत किया जाता था। अपने लेख 'भारत में स्कूलिंग में वर्ग और जेण्डर' में राका रे ने उन जेण्डर पूर्वाग्रहों का वर्णन किया है जो उन्नीसवीं शताब्दी के कलकत्ता में विद्यालयों में विद्यमान होते थे। उन्होंने 1800 के दशक में लड़कियों के लिए शुरू किए गए विद्यालयों का मामला प्रस्तुत किया है जिसके प्रमुख उद्देश्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया था : "बुद्धिमानी से शिक्षित की गयी माताओं की विद्यमान अनिवार्य है ताकि बुद्धिमान और साहसी पुत्रों और भाइयों और पतियों की एक प्रजाति को प्रशिक्षित किया जा सके" (जैसाकि बोर्थविक, 1984 : 65 में उल्लिखित है)। इन विद्यालयों को समर्थन 1800 के दशक के मध्य में मिलना शुरू हुआ जब पश्चिमी शिक्षा प्राप्त युवा लड़कों ने यह महसूस करना शुरू किया कि उनकी औरतों की अवस्था उन्नीसवीं शताब्दी के नए उदारवादी विचारों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार, शिक्षित पुरुषों ने अपनी औरतों को शिक्षित करने का समर्थन इसलिए किया ताकि ये औरतें तार्किक तरीके से अपना कामकाज कर सकें। हालाँकि यह प्रयास महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में अधिक नहीं था, बल्कि इसके बजाय यह शिक्षित महिलाओं के एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करने के लिए था जो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सन्तुलन स्थापित कर सकें। विद्यालयी शिक्षा ने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि "महिलाओं की शिक्षा का तात्पर्य उन्हें व्यवहार करने की अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करना नहीं है और न ही यह अपने पति के प्रति किसी औरत के प्राथमिक कर्तव्य से ऊपर है (बोर्थविक, 1984 : 39) (रे, 1988 : 389 में उल्लिखित)।" यह उदाहरण बताता है कि संस्था के एक रूप में विद्यालय की रचना समाज की जेण्डरीकृत समझ के आधार पर किस प्रकार की गयी थी। लड़कों को मजदूर और बौद्धिक वर्ग बनाने के लिए शिक्षित किया जाता है तथा लड़कियों के पास शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें शिक्षित इसलिए किया जाता है ताकि वे अच्छी बेटियाँ और परिश्रमी पत्नियाँ बन सकें। इस अर्थ में, विद्यालय भी किसी अन्य सामाजिक संस्था की तरह ही है, जिसका विश्वास पितृसत्तात्मक मूल्यों या जेण्डर रूढ़ियों पर जोर देकर उसकी पुष्टि करने में होता है। आइए, स्वतन्त्रता–प्राप्ति के बाद के दौर में भारत में जेण्डर, वर्ग और स्कूलिंग के अन्तर्सम्बन्ध पर और अधिक विस्तार से अध्ययन करें।

PDF Compressor Free Version

अपने लेख में राका रे स्वतन्त्रता के बाद कलकत्ता के दो ऐसे विद्यालयों की एक केस स्टडी पर चर्चा करती हैं जो लड़कों और लड़कियों दोनों को शिक्षा मुहैया करा रहे थे। यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद औपचारिक समानता की धारणा पर भारत के संविधान के माध्यम से जोर दिया गया था, लड़कों और लड़कियों को जीवन में अलग–अलग भूमिकाएँ ग्रहण करने के लिए विद्यालयों में प्रशिक्षित किया जा रहा था। विद्यालयी शिक्षा का सर्वप्रमुख सिद्धान्त जेण्डर–विभेदकारी भूमिकाओं और सम्बन्धों पर आधारित था। रे ने दावा किया है कि जो विद्यालय उपनिवेशकालीन भारत में स्थापित किए गए थे और जिनकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, वे विद्यालय भी लड़कियों की शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण में श्रेणीतन्त्रीय और पितृसत्तात्मक मूल्यों से ही आवेष्ठित थे। रे ने विद्यालयी प्रणाली में जेण्डर और वर्ग के बीच अन्तर्सम्पर्क खोजने के लिए दो विद्यालयों का अध्ययन किया। पहला था सेण्ट मेरी कॉन्वेण्ट विद्यालय (एस एम सी) जिसकी शैली ब्रिटिश शैली के पब्लिक स्कूल वाले दृष्टिकोण की थी और दूसरा विद्यालय कलकत्ता में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक विद्यालय था जिसका नाम तृप्ति गर्ल्स हाईस्कूल (टी जी एच एस) था। एसएमसी पश्चिमीकृत भारतीय सम्भ्रान्त परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करता था, जिनके पास इसकी बहुत ऊँची फीस देने के लिए वित्तीय स्थिति होती थी। टी जी एच एस सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक विद्यालय था और यह लिपिकों और दफ्तर के बाबुओं के बच्चों तथा निम्नस्तरीय प्रबन्धकीय और कारखाना–श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करता था। इसमें पढ़ने वाली लड़कियाँ मुख्य रूप से कलकत्ता के निम्न–मध्यम वर्गीय परिवारों से आती थीं। एसएमसी के शिक्षकों का उद्देश्य लड़कियों को इस तरह प्रशिक्षित करना रहता था कि किस प्रकार वे लड़कियाँ भारत के पश्चिमी उदार सम्भ्रान्त वर्गों के विचारों और मूल्यों को आगे ले जाने वाली महिलाएँ बन सकती हैं। इसलिए विद्यालय का लक्ष्य सम्भ्रान्त महिलाओं को पैदा करना था न कि कौशलयुक्त महिला श्रमिकों को पैदा करना। इसे दो चरणों में सम्पन्न किया जा सकता है :

एसएमसी को उसी प्रकार की महिलाओं का उत्पादन करना चाहिए जो आगे चलकर सम्भ्रान्त पुरुषों की पत्नियाँ बनेंगी और इन महिलाओं के पास उपयुक्त घरेलू और स्त्रीदृसदृश योग्यताएँ अवश्य होंगी। दूसरे, सम्भ्रान्त पुरुषों की पत्नियों के रूप में और स्वयं भी सम्भ्रान्त औरतों के रूप में उनके पास नेतृत्व की क्षमताएँ अवश्य होनी चाहिए ताकि वे समाज की 'नेतृत्वकारी व्यक्ति' बन सकें (पृ. 391)।

दूसरी तरफ, टीजीएचएस का उद्देश्य ऐसी महिलाओं का उत्पादन करना था जिनके पास घर–परिवार और बाजार दोनों की जिम्मेदारियों का प्रबन्धन करने के लिए आवश्यक घरेलू कौशल हो। प्राथमिक उद्देश्य लड़कियों को इस तरीके से प्रशिक्षित करना था कि वे कम वेतन वाली प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिकों के रूप में अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। एसएमसी और टीजीएचएस विद्यालयों की लड़कियों के बीच आप एक गहरी वर्गीय सीमा देख सकते हैं। यह सीमा इन सन्दर्भों में जेण्डर रूढ़िवादिता के स्पष्ट सिद्धान्त के साथ मौजूद है; जैसे – लड़कियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, लड़कियों को किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है तथा उन लड़कियों के जीवन में इस शिक्षण का क्या उपयोग होगा। उदाहरण के लिए, एस एम सी की लड़कियों को अन्तिम बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था क्योंकि इससे उनके जीवन में प्रस्थिति का सर्वोच्च अन्तर आ जाता था। हालाँकि टीजीडीएस में लड़कियों को घरेलू और बाजार सम्बन्धी कौशलों को सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, जिसका उपयोग वे अपने विवाह के समय कर सकती थीं। उदाहरण के लिए, कोई लड़की अपने विवाह के समय यह कह

PDF Compressor Free Version

सकती थी कि वह दहेज कम मात्रा में देगी क्योंकि उसके पास ऐसे कौशल हैं जो परिवार में आय अर्जित करने की उसकी क्षमता को बढ़ाते हैं। उपरोक्त वर्णन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अलग–अलग वर्गों की पृष्ठभूमि से आने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए विद्यालय अलग–अलग कौशलों के समुच्चयों पर जोर देते थे। इस अर्थ में, विद्यालय सामाजिक यथार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस प्रकार वृहत्तर समाज के लघु–रूप (microcosm) की तरह कार्य करते हैं। पाठ्यक्रम, शिक्षणशास्त्र (Pedagogy), पाठ्यपुस्तकें और मूल्यांकन पद्धतियाँ इस लघु–रूप के अभिन्न अंग हैं, जिसके भीतर ये अभिन्न अंग समाज के ज्ञान का प्रसार करते हैं। इस अर्थ में, विद्यालय और समाज अलग–अलग संस्थाएँ नहीं हैं और ये दोनों अपनी संस्कृति और प्रथाओं में जेण्डर असमानताओं को मजबूत बनाते हैं। सामाजिक मानक और सांस्कृतिक प्रथाएँ भी भारत में विद्यालयी शिक्षा में जेण्डर अन्तरालों पर अपना प्रभाव डालती हैं। भारत में और विश्व के विभिन्न हिस्सों में विभेदकारी सामाजिक प्रथाओं और अभिवृत्तियों (attitudes); जैसे कम उम्र में विवाह, लड़कियों को एकान्त में रखने की प्रथा, परिवार में शिक्षा में निवेश करने के लिए लड़कों को वरीयता देने और श्रम के लैंगिक विभाजन ने विद्यालय और प्राथमिक शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच पर नकारात्मक प्रभाव डाला है (ओईसीडी 2012, सी.एफ. ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2015)। उदाहरण के लिए, यह रिपोर्ट कहती है कि बहुत सारे देशों में महिलाओं और लड़कियों को घरेलू श्रम से जुड़े ढेर सारे कार्य करने पड़ते हैं; जैसे – ईंधन के लिए लकड़ियाँ और पानी एकत्रित करना तथा अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल करना। ये ढेर सारे कार्य विद्यालय जाने में किसी लड़की की योग्यता को सीमित कर सकते हैं। सामाजिक मानकों के कारण और घर–परिवार में महिलाओं के अदृश्य पुनरुत्पादन कार्य के कारण बहुत सारी महिलाओं के लिए विद्यालय तक पहुँच अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हो जाती है। शिक्षा में जेण्डर अन्तरालों को कम करने के लिए अनेक देशों में बहुस्तरीय रणनीतियों से युक्त प्रभावी नीतियाँ स्वीकार की गयीं हैं। उदाहरण के लिए, भारत में सरकार की अनेक रणनीतियों ने शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच में तथा लड़कियों के स्कूलिंग की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता की है। इन अनेक रणनीतियों में शामिल हैं – लड़कियों के लिए पाठ्यपुस्तकें, विद्यालय कैम्प्स में उनकी वापसी और सेतुमूलक (bridging) पाठ्यक्रम, महिला शिक्षकों की नियुक्तियाँ तथा ग्रामीण व लाभवंचित लड़कियों के लिए स्कूलिंग की माँग बढ़ाने हेतु चलाए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम (गोविन्दा, 2008, देखें ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2015)। हमने जेण्डर रूढ़िवादिताओं तथा जेण्डर के आधार पर पृथक् की गई भूमिकाओं और विद्यालयी शिक्षा में बढ़ते जेण्डर अन्तराल के साथ इसके सम्बन्ध पर चर्चा की है। कुछ कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों में जेण्डर रूढ़िवादिताओं को उल्लेखनीय तरीके से देखा जा सकता है; उदाहरण के लिए, कुछ पाठ्यक्रमों, जैसे – कला और शिक्षा, और गृह विज्ञान का अभिकल्पन महिलाओं की उत्पादक भूमिकाओं पर बल देने के बजाय उनकी घरेलू भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जेण्डर के हिसाब से खाँचे बनाने के कारण और जेण्डर रूढ़िवादिताओं की वजह से महिलाएँ उन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों में सहभागिता करने की तरफ अधिक प्रवृत्त होती हैं जो उनकी पुनरुत्पादक जिम्मेदारियों से सम्बन्धित हों। इसी प्रकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और व्यावसायिक प्रशिक्षण के ज्ञानशास्त्र को प्राथमिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाला क्षेत्र माना जाता है (नायर 2010)। तमाम सामाजिक और मानकीय आपत्तियों के कारण परिवार के लिए भी लड़कियों को पढ़ाने–लिखाने की सम्भावना कम ही रहती है। इसके अलावा अन्य सामाजिक कारक; जैसे – वर्ग, क्षेत्र और नृजातीय पहचानें भी शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच को सीमित करने में अपनी मुख्य भूमिका निभाते हैं।

PDF Compressor Free Version

अपनी प्रगति को जाँचिए III

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

4) परिवार के भीतर जेण्डर आधारित भेदभाव क्या है? इसकी व्याख्या करने के लिए एक कहानी या एक केस अध्ययन लिखिए।

....

....

....

प्रतिच्छेदनपरक दृष्टिकोण जेण्डर, शिक्षा और अन्य सामाजिक संरचना के बीच के सम्बन्ध को स्पष्ट कर देगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने अपने स्थिति प्रपत्र (Position Paper) में केस अध्ययनों की एक व्यापक श्रृंखला प्रकाशित की है, जिसके जरिये कोई व्यक्ति जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करने में सक्षम हो सकता है। आइए, अब एक छोटी–सी केस अध्ययन का अध्ययन करते हैं जो इस बात पर केन्द्रित है कि किसी दलित बालिका के लिए शिक्षा तक पहुँच हासिल करना कितना दुष्कर हो जाया करता है। भौतिक निर्धनता, सांस्कृतिक मानक, जेण्डरीकृत व्यवहार, श्रम बाजार में महिला श्रमिकों को प्रदान किया गया मूल्य, और स्त्रीत्व की प्रभुत्वशाली संस्कृति जैसे कारक बालिकाओं के लिए लगातार शिक्षा की सीमाएँ निर्धारित करते हैं। खासकर दलित समुदाय की बालिकाओं और समाज के अलाभान्वित वर्गों हिस्सों के सम्बन्ध में तो यह बात और भी अधिक लागू होती है।

दलित और स्त्री होना

यह कहानी मंगल नामक एक लड़की के बारे में है जो दलित समुदाय से है और बड़ौदा में रहती है। उसके पिता दैनिक मजदूर हैं और उसकी माँ घरेलू सहायक के रूप में कार्य करती है। एक सरकारी विद्यालय में मंगल ने तीसरे दर्जे तक पढ़ाई की और इसके बाद अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने के लिए उससे स्कूल छुड़वा दिया गया। बाद में उसने अपने घर के निकट के एक अंग्रेजी प्री–स्कूल में सहायक के रूप में काम किया। उसे यह काम करने में आनन्द आता था और काम करने के दौरान उसने अंग्रेजी भाषा भी सीखी। कई महीनों बाद उसकी शादी हो गई और अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वह एक छोटे–से गाँव में चली गयी। अब वह गर्भवती है, लेकिन तब भी उसे परिवार में खेती–किसानी के काम करने पड़ते हैं। वह बहुत थकी हुई दिखती है लेकिन वह वापस विद्यालय जाने के बारे में सोचती है। उसका मानना है कि लड़कियों को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है ताकि किसी भी लड़की को वह न झेलना पड़े जो उसने झेला है।

(स्रोत : स्थिति प्रपत्र, एन सी ई आर टी, 2006 : पृ. 6)

उपरोक्त केस अध्ययन भारत में बालिकाओं के कुछ सूक्ष्म–यथार्थों को चित्रित करती है, जहाँ घरेलूपन के विस्तृत क्षेत्र में महिलाओं के श्रम को मूल्य प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जब जाति, वर्ग, नृजातीयता और ग्रामीण व शहरी विभाजन जैसे अन्य सामाजिक कारक जेण्डर के साथ प्रतिच्छेदित करते हैं, तब बालिकाओं की शिक्षा के लिए

PDF Compressor Free Version

सुभेद्यता बढ़ जाती है। उत्तर भारत में मुस्लिम समुदाय के सन्दर्भ में, अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि मुस्लिम घरों की निर्धनता मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के निम्न स्तरों के बारे में महत्वपूर्ण व्याख्या उपलब्ध कराती है (जोया हसन और रितु मेनन, एनसीईआरटी के 2006 के स्थिति प्रपत्र में उल्लिखित)। यह स्थिति प्रपत्र भेदभाव के अन्य रूपों पर भी चर्चा करता है, जिसका सामना शिक्षा तक पहुँच के सन्दर्भ में किसी बालिका को करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, सम्भव है कि लड़कों को अंग्रेजी माध्यम के किसी विद्यालय में पढ़ाया–लिखाया गया हो और लड़कियों को देशी भाषा के किसी विद्यालय में। ऐसे प्रचलन भारत में भेदभाव के नए रूपों की अभिव्यक्तियाँ हैं। आइए, एक बातचीत पर निगाह डालते हैं :

> इस सम्बन्ध में कथन कि लड़कों को अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना क्यों आवश्यक है?
>
> (तुम किसी अंग्रेजी विद्यालय में क्यों नहीं जाती हो?)
>
> इसलिए क्योंकि लड़कियाँ घर का सारा कामकाज कर सकती हैं। इसलिए लड़कों को काम करना पड़ेगा।
>
> (सीमा, 9)
>
> मेरा भाई एक चिकित्सक बनेगा।
>
> (एक चिकित्सक होने के लिए क्या आपके लिए यह जरूरी है कि आपको किसी अंग्रेजी विद्यालय में ही जाना पड़े?)
>
> हाँ।
>
> (और आप क्या सोचती हैं?)
>
> नहीं। मैं एक शिक्षिका बनूँगी। (रितु, 10)
>
> (स्रोत : मांजरेकर, 1999, एनसीईआरटी 2006 : 12 में उल्लिखित)

दैनिक अन्तःक्रिया में आपके सामने तमाम ऐसे मामले और उदाहरण आएँगे जिनका विश्लेषण करके आप जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जेण्डर शिक्षा तक उसकी पहुँच को किस सीमा तक निर्धारित करता है। भारत में आर्थिक रूप से गरीब वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों में लड़कों की शिक्षा की तुलना में लड़कियों की शिक्षा में निवेश करने की सम्भावना बहुत कम रहती है। उदाहरण के लिए, निर्धन कृषक परिवारों में लड़कियों को घरेलू कामकाज और कृषि कार्यों के लिए मूल्यवान संसाधन समझा जाता है; इसलिए परिवार सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने–लिखाने से कोई सार्थक आर्थिक लाभ होने वाला नहीं है। इसी तरह उच्च मध्यमवर्गीय परिवारों में महिलाओं को प्रायः आय अर्जित करने वाले द्वितीयक मजदूरों की तरह देखा जाता है इसलिए महिलाओं को शिक्षित करने का परिवार की आर्थिक स्थिति पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये कुछ ऐसे सामाजिक–सांस्कृतिक कारक हैं जो प्राथमिक शिक्षा और स्कूलिंग तक महिलाओं की पहुँच को रोकते हैं। जेण्डर असमानताओं और जनसांख्यिकीय व्यवहारों पर अपनी पुस्तक में सोनल डे देसाई का तर्क है कि 'बेटियों को स्कूल भेजने में एक अन्य निरुत्साहन उनके कौमार्य की सुरक्षा से सम्बन्धित चिन्ता' और प्रतिष्ठा भी है (नायर 2010, पृ. 104 में उल्लिखित)। जब विद्यालय दूर स्थित होते हैं, तब शिक्षा में लड़कियों की कम सहभागिता के पीछे हिंसा का भय भी अपना योगदान देता है।

PDF Compressor Free Version

अमरीकी वाणिज्य विभाग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम केन्द्र का एक प्रतिवेदन (वेल्कॉफ, 1998) भारत में महिलाओं की शिक्षा के मार्ग में आने वाली कुछ महत्वपूर्ण बाधाओं को सूचीबद्ध करता है। इन बाधाओं में शामिल हैं : स्वच्छता सम्बन्धी अपर्याप्त सुविधाएँ, महिला शिक्षकों का अभाव और पाठ्यक्रम में जेण्डर पूर्वाग्रह। इन आँकड़ों को कौशिक बसु (2004) द्वारा प्रस्तुत की गई बीबीसी की एक समाचार रिपोर्ट से भी समर्थन मिलता है, जो विद्यालय में आधारभूत संरचनाओं के अभाव पर तथा विद्यालयी शिक्षा में लड़कियों की कम सहभागिता के साथ इसके सम्बन्ध पर जोर देती है। उन्होंने कहा कि भारत में सरकार द्वारा चलाए जा रहे 188 प्राथमिक विद्यालयों के अध्ययन में पाया गया कि इनमें से 59 प्रतिशत विद्यालयों के पास पेयजल की सुविधा मौजूद नहीं थी और 89 प्रतिशत विद्यालयों के पास शौचालय नहीं थे। टाइम्स ऑफ इण्डिया (2005) में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान द्वारा दिए गए 2003–04 के आँकड़ों का उल्लेख करती है। इसके अनुसार बिहार और छत्तीसगढ़ में मात्र 3.5 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों के पास लड़कियों के लिए शौचालय उपलब्ध थे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में यह दर 12 से 16 प्रतिशत तक थी। ये अध्ययन बताते हैं कि शौचालयों का अभाव लड़कियों की विद्यालयी शिक्षा के लिए और विद्यालयों में लड़कियों की उपस्थिति के लिए हानिकारक हो सकता है (नायर 2010, में उल्लिखित)। अब तक हमने इस विषय में चर्चा की है कि भारत के विभिन्न भागों में संस्कृति और सामाजिक मानक विद्यालय तक किसी लड़की की पहुँच के सन्दर्भ में किस प्रकार अपना महत्वपूर्ण असर डालते हैं। इसी प्रकार, विद्यालयों में मूलभूत संरचनाओं और सुविधाओं की अनुपस्थिति, निर्धनता और लोगों का रवैया भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की सहभागिता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। आइए, अब पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम में जेण्डर पूर्वाग्रहों जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की तरफ आगे बढ़ते हैं ताकि इस चीज का विश्लेषण किया जा सके कि हमारी शिक्षा प्रणाली में संरचना और विषयवस्तु किस प्रकार अपनी प्रकृति में जेण्डरकीकृत है। आइए, विद्यालयों में पाठ्यपुस्तकों और विषयवस्तु की जेण्डरीकृत प्रकृति का विश्लेषण करने के लिए कुछ केस अध्ययनों पर निगाह डालते हैं।

इस अनुभाग में संक्षेप में इसका विश्लेषण किया गया है कि समाज और सामाजिक संरचना के साथ अपने सम्बन्ध में और अपने कार्यकरण में शिक्षा किस प्रकार सामाजिक रूप से निर्मित होती है। जाति–श्रेणीतन्त्र, आर्थिक असमानताएँ, सांस्कृतिक वैविध्य और जेण्डर सम्बन्ध भारत में शिक्षा तक बच्चों की पहुँच और उनकी सहभागिता को गहराई से प्रभावित करते हैं। सामाजिक और अन्य प्रकार की ये विषमताएँ (ग्रामीण/शहरी) विद्यालयों के नामांकन में और शिक्षा पूर्ण करने के प्रतिमान में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती हैं। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों तथा अन्य नृजातीय समूहों की लड़कियाँ शैक्षिक रूप से अधिक कमजोर होती हैं। विद्यालय प्रणाली अपनी प्रकृति में स्वाभाविक रूप से स्तरीकृत और जेण्डरीकृत होती है। परिणामस्वरूप यह प्रणाली अल्प–सुविधाप्राप्त और हाशियाकृत श्रेणियों के बच्चों के लिए जिस तरीके के शैक्षिक अनुभव मुहैया कराती है, वे अलग होते हैं (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा–2005)। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने जेण्डर, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र आदि से उत्पन्न होने वाली असमानताओं के पहलुओं पर खासा जोर दिया है ताकि सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के तहत प्रत्येक बच्चे को गरिमा और महत्व प्रदान किया जा सके। यह दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि "असमान जेण्डर सम्बन्ध न सिर्फ प्रभुत्व को चिरस्थायी बनाते हैं, बल्कि चिन्ताएँ भी पैदा करते हैं तथा अपनी मानवीय क्षमताओं को पूर्ण रूप में विकसित करने की लड़कों और लड़कियों दोनों की स्वतन्त्रताओं को कम

PDF Compressor Free Version

करते हैं। जेण्डर की विद्यमान असमानताओं से मनुष्यों को मुक्त करना समस्त लोगों के हित में है। (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005, अध्याय 1रू पृ. 9)।"

शिक्षा पुनर्समाजीकरण का एक साधन है इसलिए शिक्षित होने के बाद बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के एक अर्थ में स्वतन्त्रता का अहसास करते हैं। महिलाओं को नियन्त्रित करने के लिए समाज अनेक मानक थोपता है और इसके एक परिणाम के रूप में लड़कियों को मूलभूत शिक्षा हासिल करने से मना कर दिया जाता है। इस अर्थ में शिक्षा को समाजीकरण और सामाजिक नियन्त्रण के लिए एक खतरे के तौर पर देखा जाता है। इस परिचर्चा पर बहुत सारे उदाहरणों के जरिये अकादमिक अध्ययनों में काफी जोर दिया गया है। उदाहरण के लिए, लड़कियों को विद्यालय में भेजा जाता है और वे भी स्वतन्त्रता और अभिकरण के किसी रूप का अहसास करती हैं। जब वे किशोरावस्था को पहुँचने वाली होती हैं, तब उन पर अधिक प्रतिबन्ध और आचरण–संहिता थोप दी जाती है। इसके परिणामस्वरूप 11 से अधिक और 14 से कम उम्र के बीच की अधिकांश लड़कियाँ विद्यालय जाना छोड़ देती हैं। शिक्षा प्रणाली और विद्यालय के लिए एक जेण्डर संवेदी परिप्रेक्ष्य का विकास करना जरूरी है ताकि ये शिक्षा तक पहुँच, नामांकन के प्रतिमान, विद्यालय छोड़ने की दरों, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों जैसे सूचकों के बारे में चर्चा करने के योग्य बन सकें (स्थिति प्रपत्र, एनसीईआरटी, 2006)। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, और विद्यालयों तथा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली में जेण्डर पूर्वाग्रह अनेक रूपों में विद्यमान हैं। आइए, कविताओं, कहानियों और शोध–आलेखों के माध्यम से अभिव्यक्त किए गए ऐसे पूर्वाग्रहों में से कुछ पर निगाह डालें।

पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर रचना के बारे में एक कविता

अपनी पाठ्यपुस्तकों में मैंने सीखा कि केवल पुरुष ही

राजा और सैनिक होते हैं।

जब तक मैंने वह किताब नहीं पढ़ी जिसमें

प्रसिद्ध रानियों ने शासन किया था और शत्रुओं के विरुद्ध लड़ीं थीं।

अपनी पाठ्यपुस्तकों में मैंने सीखा कि केवल पुरुष ही

चिकित्सक होते हैं।

जब मैं एक चिकित्सक के पास गया/गयी तो मैंने देखा

कि वह चिकित्सक तो एक महिला थी।

अपनी पाठ्यपुस्तकों में मैंने सीखा कि केवल पुरुष ही

हमारे देश में खेती करते हैं।

जब तक अपनी एक रेल यात्रा के दौरान

मैंने यह देखा कि महिलाएँ भी खेतों में काम करती हैं।

मैंने सीख लिया है कि मुझे बहुत कुछ तो देखकर ही सीखना है।

पूजा, राम्या, अनुज, उत्कर्ष (कक्षा VII के विद्यार्थी, बड़ौदा, राष्ट्रीय फोकस समूह, एनसीईआरटी के स्थिति प्रपत्र से ग्रहीत)

PDF Compressor Free Version

यह छोटी–सी कविता भारत की विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में चित्रित जेण्डर रचनाओं की विद्यमानता की बारीकी से व्याख्या करती है। जब आप पाठ्यपुस्तकों की जेण्डर के नजरिये से जाँच करते हुए एक छोटा–सा अध्ययन करेंगे तो आप इस तरीके के तमाम चित्रण देख सकते हैं जिन्हें भाषा, चित्रों या कथनों के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया होता है। शिक्षा में जेण्डर मुद्दों पर राष्ट्रीय फोकस समूह, एनसीईआरटी ने इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है ताकि भारत में विद्यालयों की प्रकृति को और अधिक जेण्डर समावेशी बनाया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, एनसीईआरटी के वर्तमान पाठ्यक्रम में जेण्डर को एक महत्वपूर्ण चर/घटक के रूप में स्वीकार किया गया है।

गतिविधि V

जेण्डर के दृष्टिकोण से चीजों को जाँचने का अभ्यास करने के लिए किसी पाठ्यपुस्तक का एक अध्याय लीजिए। पाठ में चित्रों, भाषिक प्रयोगों और चित्रणों की पहचान कीजिए ताकि आप विषयवस्तु का जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण करने योग्य हो सकें।

....

....

....

3.4.2 जेण्डर पूर्वाग्रह और पाठ्यपुस्तकों में उनका चित्रण

पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर पूर्वाग्रह एक सार्वभौमिक परिघटना (phenomenon) है और सभी देशों में इसका प्रतिमान भी एक जैसा ही है। ब्लूमबर्ग (2008) ने विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में शिक्षण सामग्रियों में मौजूद जेण्डर पूर्वाग्रहों के प्रतिमान और कोटि का वर्णन किया है। ब्लूमबर्ग ने सीरिया और भारत जैसे देशों में पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर पूर्वाग्रहों से सम्बन्धित अकादमिक साहित्य का उल्लेख किया है। अलरबा (1985) ने सीरिया की 28 पाठ्यपुस्तकों का जेण्डर के परिप्रेक्ष्य से विश्लेषण किया था। ये पाठ्यपुस्तकें आठवीं से बारहवीं दर्जे तक के विद्यार्थियों को पढ़ायी जातीं थीं। अध्ययन दर्शाता है कि अपनी विषयवस्तु और भाषा में ये पुस्तकें नरों के इर्द–गिर्द ही केन्द्रित थीं। उदाहरण के लिए, पुरुष केन्द्रित भाषा का प्रयोग नर और मादा (मिउंसम) दोनों के लिए किया जाता है, जैसे – 'मानव जाति और 'वह'। इन पुस्तकों ने भूमिकाओं के जेण्डर विभाजन के पारम्परिक प्रतिमान को चित्रित किया है, उदाहरण के लिए पुरुषों को घर के मुखिया के रूप में और महिलाओं को अक्सर घरेलू कामकाज से जोड़कर वर्णित किया गया है। परिवार के भीतर किए जाने वाले कार्य; घर–परिवार का बजट बनाने और बच्चों को नियन्त्रण में रखने जैसे कार्यों को परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा प्रबन्धित किए जाने वाले कार्यों के रूप में देखा जाता है। पाठ्यपुस्तकों में महिलाओं को पीड़ितों, निष्क्रिय व्यक्तियों और मौन कर्ताओं के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके पास निर्णय–निर्माण की शक्ति का अभाव होता है, यहाँ तक कि परिवार के भीतर लिए जाने वाले निर्णयों के सम्बन्ध में भी। ब्लूमबर्ग ने एलिस और अहमद के अध्ययनों का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने भारत में पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर पूर्वाग्रहों के मुद्दे पर विचार किया है। एलिस (2002) द्वारा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों के सम्बन्ध में माध्यमिक विद्यालय के तृतीय और चतुर्थ वर्षों की इतिहास और भूगोल की पुस्तकों के सन्दर्भ में इस विषय पर एक लेख लिखा गया था (भाग 1 और 2, क्रमशः 1992 और 1998 में प्रकाशित)। इस अध्ययन में पाया गया कि जेण्डर रूढ़ियों को चित्रों और

PDF Compressor Free Version

विषयवस्तु की अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्त किया गया था। एक पाठ्यपुस्तक में 52 चित्रों में से 50 (96 प्रतिशत) चित्र नरों के थे। चित्रों में महिलाओं को पारम्परिक जेण्डर भूमिकाओं से जोड़कर दिखाया गया था। प्रमाण के लिए, "कमाने और जीने के मुख्य तरीके नामक अध्याय में किसी महिला को नहीं दर्शाया गया था, न ही एक पुरुष सरकारी अधिकारी द्वारा भूमि दस्तावेजों को ग्रहण करने वाले लोगों के चित्र में किसी महिला को दर्शाया गया था" (एलिस, ब्लूमबर्ग 2008 में उल्लिखित, पृ. 348–349)।

अहमद (2006) का अध्ययन नीति प्रारूपण और प्रवर्तन पर विशेष बल देते हुए शिक्षा में जेण्डर भेदभाव को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मुहैया कराता है। सन् 1982–83 से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) "जेण्डर विषमताओं को समाप्त करने पर विशेष बल देती चलीा आ रहा है; खासतौर से पाठ्यपुस्तकों में लैंगिक रूढ़ी और लैंगिक–पूर्वाग्रह को समाप्त करने पर जोर देते हुए" (ब्लूमबर्ग 2008 में उल्लिखित)। उनका निष्कर्ष है कि महिलाओं को अभी भी रूढ़िवादी भूमिकाओं में ही दर्शाया और वर्णित किया जाता है तथा अपनी प्रकृति में "अध्याय नर–केन्द्रित होते हैं।" फरेण्ड्स ऑफ एजुकेशन द्वारा कराया गया एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि गणित की छह प्राथमिक पाठ्यपुस्तकों में से किसी भी पुस्तक में किसी भी महिला को दुकानदार, व्यापारी, विक्रेता, कार्यकारी या अभियन्ता जैसी भूमिकाओं में नहीं दिखाया गया है (ब्लूमबर्ग, पृ. 348–49)।

आइए कुछ और उदाहरणों को विशेषकर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के सन्दर्भ में लेते हैं। इस सम्बन्ध में पुस्तकों में महिला वैज्ञानिकों के चित्रण पर ढेर सारे अनुसन्धान किए गए हैं। मैकआर्थर (1998) ने जूनियर पाठकों के लिए बनाई गई विज्ञान की पुस्तकों का एक अध्ययन किया, जिन्हें सामान्यतः सात से तेरह साल की उम्र वाले बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है। इस अध्ययन में जिन पुस्तकों का चयन किया गया था, वे सामान्य विज्ञान के क्षेत्र की थीं, जीवनीपरक जानकारियों और रेखाचित्रों को शामिल करने वाली पुस्तकें थीं और कुछ पुस्तकें ऐसी थीं जो विभिन्न जीवनियों के विषय में थीं। यह पाया गया कि वैज्ञानिक प्रयोगों को शामिल करने वाली इन पुस्तकों में ऐसे चित्र समाहित थे, जो प्राथमिक रूप से मनुष्य के हाथों और वैज्ञानिक उपकरणों को प्रदर्शित करते थे। इससे किसी व्यक्ति के जेण्डर के बारे में कोई सूचना नहीं मिलती थी और अनेक पुस्तकें ऐसी थीं जिसमें लड़कियों और लड़कों दोनों को शामिल करते हुए बच्चों को प्रदर्शित किया गया था। हालाँकि, जॉन कैसिडी (1991) द्वारा लिखित **'एक्सप्लोराबुक : ए किड्स साइंस म्यूजियम बुक'** जैसी पुस्तकें बहुत कम ही थीं जिनमें केवल लड़कों के ही चित्र दिखाए गए थे तथा महिलाओं को घरेलू उपयोग के उपकरणों का प्रयोग करते हुए चित्रित किया गया था (पृ. 249)। **'हाऊ साइंस वर्क्स : हण्ड्रेड वेज पैरेण्ट्स एण्ड किड्स कैन शेयर द सीक्रेट्स ऑफ साइंस'** (हान 1991) एक ऐसी किताब का शास्त्रीय उदाहरण है जिसमें विभिन्न प्रजातीय और नृजातीय पृष्ठभूमियों से आने वाली लड़कियों और लड़कों को एक समावेशी तरीके से चित्रित किया गया था। इन चित्रणों में ये लड़कियाँ और लड़के वैज्ञानिक गतिविधियों में संलग्न थे। विज्ञान के लोकप्रिय इतिहासों पर आधारित किताबों में **'दि अस बॉर्न बुक ऑफ साइण्टिस्ट्स – फ्रॉम आर्कमिडीज टू आइन्सटाइन'** जैसी किताबें भी थीं। कुल 47 पृष्ठों की इस किताब में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं पर आधारित हिस्से में केवल दो ही पृष्ठ (पृ. 44 और 45) शामिल थे। मैरी क्यूरी और रोजेलिण्ड फ्रैंकलिन के बारे में पृष्ठ संख्या 37 और 39 पर बहुत संक्षेप में बताया गया था। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो बताते हैं कि हमारी पुस्तकें किस प्रकार विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियान्त्रिकी और गणित विषयों की चर्चा में जेण्डर समावेशी चित्रों को अक्सर प्रदर्शित नहीं करतीं।

PDF Compressor Free Version

भारत में भी विभिन्न पाठ्यपुस्तकों में आप जेण्डर रचनाओं के ऐसे रूपों को देख सकते हैं। कुछ पुस्तकों में जेण्डर रचनाओं को विरोधाभासी तरीके से चित्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, पुणे के एक शैक्षिक कार्यकर्ता ने पाया कि एक पाठ्यपुस्तक में महिलाओं को पुरुषों के समान ही चित्रित किया गया है, तब भी किसी दूसरे अध्याय में जाकर यह चित्रण बदल जाता है। इसलिए, वैकल्पिक ज्ञान रूपरेखा का निर्माण करना आवश्यक है ताकि हमारे विद्यालय हमारी शिक्षा प्रणाली अपनी प्रकृति में जेण्डर समावेशी बनने के योग्य हो सकें। उदाहरण के लिए, ज्ञान–रचना की जेण्डरीकृत रूपरेखा के दायरे में पूरे पाठ्यक्रम को ही पुनः अभिकल्पित करने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी का स्थिति प्रपत्र 3.2 दर्शाता है कि मौजूदा संकल्पनाओं के साथ जेण्डर समावेशी तात्पर्यों को जोड़कर किस प्रकार कोई व्यक्ति एक जेण्डर संवेदी पाठ्यक्रम को विकसित कर सकता है। यह प्रपत्र लिखता है कि, "जेण्डर सम्बन्धों की पाठ्यक्रमों द्वारा की गई प्रस्तुति प्रायः लोकप्रिय मान्यताओं पर या प्रभुत्वशाली समूहों द्वारा मजबूत बनाए गए विचारों पर आधारित होती है। इसके अलावा आमतौर पर यह नर को मानकीय आदर्शात्मक कर्ता के रूप में सामने रखती है" (एनसीईआरटी, 2006 – पृ. 30)। इसलिए संकल्पनाओं का विकास एक जेण्डर परिप्रेक्ष्य के साथ करना महत्वपूर्ण है। कुछ मान्यताओं को संवर्द्धित करने की जरूरत है, जैसे "महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं"। इस मान्यता में 'शारीरिक शक्ति' के अन्दर महिलाओं की सामर्थ्य या उनकी शारीरिक शक्ति को भी शामिल किए जाने की आवश्यकता है। "पुरुष रोते नहीं" जैसे अन्य विचारों में परिवर्तन किये जाने की जरूरत है ताकि यह बता सकें कि लड़के और पुरुष महिलाओं के समान ही कमजोर होते हैं और महिलाओं की तरह ये भी भावुक होते हैं (एनसीईआरटी, 2006 – पृ. 30)। दृश्य और अदृश्य कार्य, भुगतान वाले और बिना भुगतान वाले श्रम, घर–परिवार में श्रम के जेण्डरीकृत विभाजन, यौन उत्पीड़न, जेण्डर आधारित हिंसा जैसी अन्य संकल्पनाओं को भी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के जरिये प्रस्तुत करने और उन्हें व्याख्यायित किए जाने की आवश्यकता है।

अपनी प्रगति को जाँचिए IV

टिप्पणियाँ : क) अपने उत्तरों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखें।

ख) अपने उत्तरों की तुलना इकाई के अन्त में दिए गए उत्तरों के साथ करें।

5) पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर पूर्वाग्रहों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उदाहरणों का प्रयोग कीजिए।

....

....

....

3.5 सारांश

यह इकाई इस बात की विस्तार से व्याख्या करती है कि जेण्डर पूर्वाग्रह किस प्रकार पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम और सामान्य तौर पर विद्यालयों में अभिव्यक्त होते हैं। जाति, वर्ग, परिवार और जेण्डर समेत सामाजिक संरचना के सन्दर्भ में विद्यालय को समाज के एक लघु–रूप (microcosm) में विश्लेषित किया गया है। सामाजिक संरचना और महिलाओं की अधीनस्थता के बीच के अन्तर्सम्पर्कों (inter & linkages) का विश्लेषण करने के लिए यह इकाई जाति, वर्ग और परिवार की मूलभूत संकल्पनाओं से हमारा परिचय कराती है।

PDF Compressor Free Version

जेण्डर सम्बन्ध किस प्रकार विद्यालय और अन्य सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के स्वाभाविक अंग बन चुके हैं, यह दर्शाने के लिए इकाई केस–अध्ययनों, प्रदर्शन और उदाहरणों का प्रयोग करती है। संक्षेप में यह इकाई उन जेण्डरीकृत श्रेणीतन्त्रों को दिखाने का प्रयत्न करती है, जो विद्यालय और पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की संरचना में मौजूद हैं।

3.6 इकाई अंत प्रश्न

1. परिवार की संस्था के भीतर महिलाओं की अधीनस्थता को व्याख्यायित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए केस अध्ययन का प्रयोग कीजिए।

2. जाति और जेण्डर एक–दूसरे से किस प्रकार सम्बन्धित हैं? चर्चा कीजिए।

3. क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विद्यालय जेण्डर–उदासीन होता है? उदाहरणों के साथ अपने उत्तर का औचित्य स्थापित कीजिए।

4. वर्ग क्या है और जेण्डर सम्बन्धों से यह किस प्रकार सम्बन्धित है? व्याख्या कीजिए।

3.7 अपनी प्रगति को जाँचिए अभ्यास के उत्तर

1) परिवार 'रक्त–सम्बन्धों, विवाह या ग्रहण के जरिये एक–दूसरे से सम्बन्धित लोगों का एक ऐसा समूह है, जो एक आर्थिक इकाई की रचना करता है और इस इकाई में बच्चों को पाल–पोसकर बड़ा करने की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है।' भारत में आपको पूर्ण मौलिक परिवार, अपूर्ण मौलिक परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तारित परिवार मिल सकते हैं। मौलिक परिवार को इस तरह परिभाषित किया गया है : "एक पुरुष, उसकी पत्नी और बच्चों से बना हुआ एक समूह" (शाह, 1998 : 15)। भारत में बहुत सारे अध्येता यह मानकर चलते हैं कि किसी मौलिक परिवार के सभी सदस्य एक ही घर में हमेशा एक साथ ही रहते हैं – चाहे वे अपने बनाए घर में रहते हों या वे अपेक्षाकृत एक बड़े पारिवारिक समूहों, जैसे संयुक्त परिवार या विस्तारित परिवार, के अंग के रूप में रहते हों।

2) जाति–श्रेणीतन्त्र और जेण्डर–श्रेणीतन्त्र भारत में ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के संगठनकारी सिद्धान्त हैं। हिन्दू समाज में जाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए ये दोनों सिद्धान्त एक–दूसरे से बहुत निकट तरीके से जुड़े हुए हैं। ये दोनों सिद्धान्त भारत में उच्च जाति की महिलाओं को अधीनस्थ बनाने और उन पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए उपकरण का कार्य करते हैं। यह हिन्दू समाज की एक अनोखी संस्था है, जिसके भीतर पितृरेखीय उत्तराधिकार को आगे बढ़ाते हुए जाति की शुद्धता और रक्त की शुद्धता को महिलाओं पर यौनिक नियन्त्रण के जरिये कायम रखा जाता है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता में महिलाओं की शुद्धता सर्वाधिक केन्द्रीय है क्योंकि जाति की शुद्धता इसी पर निर्भर करती है। अनेक नृजातीय अध्ययनों ने दर्शाया है कि भारत में उच्च जाति के समुदायों की विभिन्न प्रथाओं और अनुष्ठानों में कोई व्यक्ति ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के प्रमाण खोज सकता है। नूर यलमान (1962) का अध्ययन दर्शाता है कि पुरुषों के सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को उनकी औरतों के जरिये सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है। इसलिए समाज के पुरुष–लोक द्वारा महिलाओं की सदैव रखवाली की जाती है और उन पर सदैव नियन्त्रण बनाए रखा जाता है। बहुत सारे समुदायों में महिलाओं के

PDF Compressor Free Version

यौवनागम के अवसर को अनुष्ठानों के साथ हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाता है, जो महिलाओं की शुद्धता और जाति की शुद्धता के बीच के महत्वपूर्ण सम्बन्ध को सूचित करता है (चक्रवर्ती 1993)। भारत के इतिहास और वर्तमान दोनों में आप इस तरीके के अनेक उदाहरण देख सकते हैं।

3) रूढ़िगत प्रथाओं, मानकों, धर्म, वर्ग या नृजातीयता के द्वारा निर्धारित किसी विशिष्ट समूह; जैसे – गोत्र, जाति या जनजाति के भीतर ही विवाह करने की प्रथा ही स्वजातीय विवाह (एण्डोगेमी) है। भारतीय उपमहाद्वीप में एण्डोगेमी का एक शास्त्रीय उदाहरण एक ही जाति के भीतर विवाह करने की प्रथा है। एण्डोगेमी का कार्य विवाह को विनियमित करना है ताकि किसी समूह की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा जा सके और समाज में जातिगत सीमाओं को कायम रखा जा सके। शुद्धता और अशुद्धता की अपनी संकल्पनाओं के साथ एण्डोगेमी जाति या समुदाय की कठोर सीमाओं की धारणा का समर्थन करती है। इन नियमों के उल्लंघन का परिणाम जातिगत हिंसा, प्रतिष्ठा के नाम पर की जाने वाली हत्याओं और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के रूप में सामने आता है।

4) जेण्डर भेदभाव का व्यवहार समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ घरों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, बहुत सारे परिवारों में पुत्रों को वरीयता प्रदान करने की संस्कृति, घर के भीतर कार्यों का जेण्डर–विभाजन तथा स्त्रीत्व और पुरुषत्व की रचनाएँ जेण्डर के लिहाज से भेदभावमूलक प्रथाओं की अभिव्यक्तियाँ हैं। लड़कियों को घरेलू कामकाज पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और लड़कों को उनकी पढ़ाई–लिखाई पर अपना ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

3.8 सन्दर्भ ग्रंथ और उपयोगी अध्ययन सामग्री

1. बिन्दु, के. सी. (2014). दलित फेमिनिज्म, ब्लॉक 4 : कास्ट, विमेन एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, पृ. 202–219।

2. बिन्दुलक्ष्मी. पी. (2014). यूनिट–I : जेण्डरिंग कास्ट, ब्लॉक 4, कास्ट, विमेन एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, पृ. 191–202, इग्नू।

3. ब्लूमबर्ग, आर. एल. (2008). "दि इनविजिबिल ऑब्सटैकिल टू एजुकेशनल क्वालिटी : जेण्डर बायस इन टेक्स्टबुक्स", प्रॉस्पेक्ट्स, स्प्रिंगर, डीओआई 10. 1007/एस11125–008–9086–1. एक्सेस्ड

   j,e http://www-lsc-vu-lt/dokumentai/renginiai/Blumberg The_invisible_obstacle_to_educational_equality_2008-pdf

4. बोर्थविक, एम. (1984). द चेंजिंग रोल ऑफ विमेन इन बंगाल 1849–1905 (प्रिंसटन एन.जे., प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस)।

5. चक्रवर्ती, उमा (1993). 'कन्सेप्चुअलाइजिंग ब्राह्मनिकल पैट्रियार्की इन अर्ली इण्डिया : जेण्डर, कास्ट, क्लास एण्ड स्टेट', इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, 28 (14), 579–585।

6. घाल, एस. (2014). फॉर्मेटिव फेमिनिस्ट डिस्कोर्सेज, ब्लॉक 3 : क्लास, विमेन एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, पृ. 147–159, इग्नू।

PDF Compressor Free Version

7. ईएफए ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट (2015). एजुकेशन फॉर ऑल 2000–2015 : एचीवमेण्ट्स एण्ड चेलेंजेज. यूनेस्को पब्लिशिंग, http://unesdoc-unesco-org/images/0023@002322/232205e-pdf

8. जेण्डर इश्यूज इन एजुकेशन (2006), पोजीशन पेपर 3.2 बाई नेशनल फोकस ग्रुप, एनसीईआरटी : नई दिल्ली।

9. मैकआर्थर, लाइने सी. (1998). रिपोर्ट : द पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन इन साइन्स बुक्स फॉर 5 जूनियर रीडर्स, साइन्स कम्यूनिकेशन, वाल्यूम 20 (2), 247–261।

10. नायर, निशा (2010). विमेन्स एजुकेशन इन इण्डिया : ए सिचुएशनल एनालिसिस. वॉल्यूम 1, इश्यू 4, जनवरी–मार्च 2010, file:///C:/Users/ignou1/Downloads/Womens&Education&in&India&A&Situational&Analysis-pdf

11. नेशनल करीक्युलम फ्रेमवर्क (2005), नेशनल काउंसिल फॉर एजूकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग. एक्सेस्ड ऑन 13.02.2017 http://www-ncert-nic-in/rightside/links/pdf©framework/english/nf2005-pdf

12. रे, राका (1988). द कण्टेस्टेड टेरेन ऑफ रिप्रोडक्शन : क्लास एण्ड जेण्डर इन स्कूलिंग इन इण्डिया, ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशियालोजी ऑफ एजुकेशन, वाल्यूम 9 (4), पृ. 387–401।

13. रे, सौम्या (2014). यूनिट I : फॉर्म्स ऑफ फेमिली एण्ड हाउसहोल्ड इन इण्डिया, फेमिली, विमेन एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, पृ. 67–69, इग्नू।

14. रे, सौम्या (2014). यूनिट II : फेमिनिस्ट डिबेट्स ऑन फेमिली, ब्लॉक, फेमिली, विमेन एण्ड सोशल स्ट्रक्चर, पृ. 69–88, इग्नू।

15. शाह, ए. एम. (1998). द फेमिली इन इण्डिया : क्रिटिकल एसेज. नई दिल्ली : ओरिएण्ट लॉन्गमैन लिमिटेड।

PDF Compressor Free Version

इकाई 4 विद्यालय में जेण्डर सम्बन्ध

संरचना

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 पाठ्यपुस्तकों और कक्षाकक्ष प्रक्रियाओं में पितृसत्तात्मक सम्बन्धों का सांस्कृतिक पुनरुत्पादन तथा विद्यार्थी–अध्यापक अंतःक्रियाएँ

4.4 विद्यालय में जेण्डर संघर्षों का निराकरण

4.5 विद्यालय और समाज में जेण्डर सम्बन्धों के पुनरुत्पादन से सम्बन्धित केस अध्ययन

4.6 अनुसन्धान अध्ययनों के निष्कर्षों, मीडिया और फिल्मों से संसाधनों को साझा करना

4.7 सारांश

4.8 इकाई अंत प्रश्न

4.9 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

4.10 सन्दर्भ और उपयोगी अध्ययन सामग्री

4.1 प्रस्तावना

"दोनों लिंगों के बीच विद्यमान सामाजिक सम्बन्धों को विनियमित करने वाला वह सिद्धान्त जिसके तहत एक लिंग (सेक्स) को दूसरे के अधीन बना दिया जाता है, अपने आप में गलत है और मानव विकास की राह की प्रमुख बाधा है। इस सिद्धान्त को पूर्ण समानता के एक ऐसे सिद्धान्त से प्रतिस्थापित कर देना चाहिए, जहाँ किसी भी लिंग को कोई विशेष शक्ति या विशेषाधिकार प्राप्त न हो और न ही किसी लिंग को अक्षम या निर्योग्य माना जाए" – जॉन स्टुअर्ट मिल, "सब्जेक्शन ऑफ विमेन।"

विद्यमान जेण्डर सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने में समाजीकरण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाजीकरण के कारण समाज में महिलाओं और पुरुषों ने अलग–अलग भूमिकाएँ निभाई हैं। इस भूमिका विभेद ने पुरुषों और महिलाओं की आवश्यकताओं को अलग–अलग रूप में निर्मित किया। लिंगों के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तरों ने भी समाज को यह सोचने का मौका दिया कि महिलाएँ हीनतर (inferior) होती हैं। नारीवादियों ने इन धारणाओं को चुनौती देना प्रारम्भ किया तथा समाज में पुरुषों और महिलाओं से सम्बद्ध विद्यमान धारणाओं को विखण्डित करने के लिए अनुसन्धान के रूप में अपना योगदान दिया। इस सम्बन्ध में शिक्षा ने भी अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इस इकाई में हम समाज में नर और मादा के सम्बन्ध में विद्यमान धारणाओं की रचना (construction) और विखण्डन (deconstruction) पर और विद्यालयों, शिक्षकों की भूमिका पर तथा पाठ्यपुस्तकों के संचालन पर चर्चा करेंगे। पुरुषों और महिलाओं की धारणाओं (notions) को विखण्डित करने या उन्हें सुदृढ़ करने के लिए मीडिया और सिनेमा समाज में महत्वपूर्ण संरचनाएँ रही हैं। अन्तिम अनुभाग में कुछ उदाहरणों को लेते हुए हम मीडिया और सिनेमा पर भी चर्चा करेंगे।

PDF Compressor Free Version

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात, आप :

- जेण्डर सम्बन्धों को परिभाषित कर सकेंगे;
- समाज में, और विशेष तौर पर कक्षा–कक्षों में जेण्डर सम्बन्धों के उत्पादन और पुनरुत्पादन पर चर्चा कर सकेंगे; और
- समाज की विभिन्न संरचनाओं में विद्यमान जेण्डर सम्बन्धों की रूढ़िवादिताओं में और इसके साथ ही इन जेण्डर सम्बन्धों को चुनौती देने में भी मीडिया की भूमिका का विश्लेषण कर सकेंगे।

4.3 पाठ्यपुस्तकों और कक्षाकक्ष प्रक्रियाओं में पितृसत्तात्मक सम्बन्धों का सांस्कृतिक पुनरुत्पादन तथा विद्यार्थी–अध्यापक अन्तःक्रियाएँ

इकाई का आरम्भ हम इस चर्चा से करेंगे कि जेण्डर सम्बन्धों का तात्पर्य क्या है और किसी समयावधि में ये सम्बन्ध किस प्रकार पुनरुत्पादित किए जाते हैं? विद्यालयों को एक ऐसे महत्वपूर्ण स्थल के रूप में सोचा गया था जो जेण्डर सम्बन्धों को आकार प्रदान करतें है। इसके बाद हम समाज में जेण्डर सम्बन्धों के उत्पादन और पुनरुत्पादन से जुड़े सिद्धान्तों और विमर्शों पर अपनी दृष्टि डालेंगे।

शिक्षा, जीवन के प्रारम्भिक चरणों से ही जेण्डर सम्बन्धों को सुदृढ़ करने का एक साधन रही है। समाजीकरण की प्रक्रिया के कारण किसी भी समाज में महिलाओं और पुरुषों से कुछ निश्चित भूमिकाएँ निष्पादित करने की उम्मीद की जाती है। अलग–अलग भूमिकाओं के निष्पादन के कारण और समाज के स्थापित मानकों के कारण समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच जेण्डर सम्बन्ध स्थापित किए गए। पश्चिमी समाज में उन्नीसवीं शताब्दी तक पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएँ स्थैतिक मानी गईं। लिंगों के बीच भूमिकाओं में और उनके प्रवर्तन में अन्तरों के कारण असमान शक्ति सम्बन्ध पैदा हुए और इसका परिणाम यह हुआ कि एक समूह लाभान्वित होता गया और दूसरा समूह वंचित। पुरुषों और महिलाओं के बीच की असमानता आगे बारम्बार अभिव्यक्त होती रही और इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में समस्त सम्बन्धों और सामाजिक विन्यासों (formations) का विनियमन किया जाने लगा। नर (male) और मादा (female) के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तरों ने सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरों को निर्धारित किया। शुरू में इसे चुनौती नहीं दी गई। शिक्षा क्षेत्र का अन्वेषण करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि जेण्डर सम्बन्धों की सृष्टि किस प्रकार की गई और समाज में एक समयावधि के दौरान किस प्रकार इन जेण्डर सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाया गया।

पितृसत्ता ने पुरुषों और महिलाओं के लिए सामाजिक भूमिकाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। पश्चिमी समाजों में, और इसके साथ–साथ अन्य समाजों में भी सामाजिक भूमिकाओं को पितृसत्तात्मक अभिवृत्तियों द्वारा आकार प्रदान किया गया है। ये सामाजिक भूमिकाएँ पितृसत्तात्मक अभिवृत्तियों द्वारा प्रभावित हुई हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी गयीं भूमिकाएँ इतिहास, संस्कृति और समाज से प्रभावित होती रही हैं। इस नजरिये से देखें तो ऐतिहासिक रूप से महिलाओं ने अलग (और आमतौर पर अधीनस्थ) भूमिकाएँ ग्रहण कीं क्योंकि पश्चिमी और अन्य समाज पितृसत्तात्मक थे। दूसरे शब्दों में, महिलाओं पर पुरुषों का नियन्त्रण था और इसलिए जीव–वैज्ञानिक

PDF Compressor Free Version

अन्तरों को रूढ़ कर दिया गया तथा महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रख दिया गया (सिमोन द बोउवार, 1953)। इस परिप्रेक्ष्य का जोर जेण्डर और लिंग के अन्तरों को एक ऐसी सांस्कृतिक परिघटना के रूप में समझने पर था जो किसी दौर या संस्कृति के प्रभुत्वाशाली विचारों से उत्पन्न होती है। यहाँ शिक्षा को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखा गया जो इस सम्बन्ध में जागरूकता उत्पन्न करेगी कि किसी विशिष्ट समय में विशिष्ट लैंगिक अन्तर क्यों महत्वपूर्ण रहे। इसके साथ शिक्षा को लिंगों (sexes) के बीच अधिकाधिक समानता प्रोत्साहित करने वाले एक उपकरण के रूप में तथा दोहरी (dualistic) और रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देने वाले एक उपकरण के रूप में भी देखा गया।

अनेक संस्कृतियों और समाजों में, प्रारम्भ में, पुरुषों और महिलाओं के बीच के अन्तरों को तथा महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को प्राकृतिक माना गया। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं की रचना हीनतर के रूप में हुई। विसिनस (Vicinus) के अनुसार, उन्नीसवीं शताब्दी के ब्रिटेन में महिलाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे निजी क्षेत्र में भूमिकाओं का निष्पादन करें और पुरुषों से उम्मीद की जाती थी कि वे सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिकाओं का निष्पादन करें। उस समय कुछ वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रकाशित हुए थे और इन अध्ययनों ने भी महिलाओं की क्षमताओं को कम करके प्रस्तुत किया था। उदाहरण के लिए, डेलामोंट (Delamont) और डफिन (Duffin) ने 1978 में अपने प्रलेख–पर्चे (paper) में इस मान्यता का उल्लेख किया था कि अगर महिलाएँ विश्वविद्यालयों में प्रवेश करेंगी तो इससे उनकी प्रजननमूलक क्षमताओं को नुकसान पहुँचेगा। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में इस परिप्रेक्ष्य में बदलाव होना शुरू हुआ। तब भी, बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक विमर्शों में लड़कियों और लड़कों के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तर ही प्रभावी रहे। इसके अनुसार, पुरुषों के बारे में यह माना जाता था कि वे शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, कम लचीले होते हैं, उनके पास वैज्ञानिक क्षमताएँ अधिक होती हैं और दुनिया को देखने की उनकी प्रवृत्ति अधिक वस्तुनिष्ठ होती है। पुरुषों के विपरीत महिलाओं के गुणों के बारे में यह माना गया कि महिलाएँ पालन–पोषण करने और देखभाल करने के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं। महिलाएँ अपने जीवन में प्रारम्भिक चरणों में ही शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अधिक परिपक्व हो जाएँगी। हट (Hutt) जैसे लेखकों का विचार है कि पुरुष और महिला मूल रूप से भिन्न थे और इसलिए परिवर्तन के प्रति उनके चरित्र सुग्राही (Susceptible) नहीं थे (हट, 1972)। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक समाज में पुरुषों और महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी परिप्रेक्ष्य को देखने पर ज्ञात होता है कि शिक्षा में भी यही रूढ़िवादी परिप्रेक्ष्य प्रतिबिम्बित होता रहा। शिक्षा को उन्होंने समाजीकरण की प्रक्रिया को बल प्रदान करने वाला एक साधन माना। इसलिए उन्होंने प्रारम्भिक स्तर पर बचपन से ही पाठ्यपुस्तकों और अध्ययन–कक्ष के व्यवहारों के माध्यम से पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं को मजबूत बनाना शुरू किया। उन पाठ्यपुस्तकों में यह उल्लेख किया जाता था कि लड़के कमाई करने वाले और लड़कियाँ घर चलाने वाली होती हैं।

इस परिस्थिति में, नारीवादी आन्दोलन की दूसरी लहर ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता लाने के लिए किए जाने वाले अनुसन्धान के सन्दर्भ में अत्यधिक योगदान दिया। इन अनुसन्धानों ने वैज्ञानिक प्रमाणों के जरिये यह दर्शाया कि पुरुष और महिला समान होते हैं, यद्यपि उनके बीच जीव–वैज्ञानिक अन्तर विद्यमान होते हैं। इन अनुसन्धानों ने लिंग और जेण्डर को परिभाषित करने में भी अपना योगदान दिया। लिंग पुरुषों और महिलाओं के बीच का एक जीव–वैज्ञानिक अन्तर है। जेण्डर लिंगों के बीच का सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तर है तथा विद्यमान धारणाओं के विखण्डन के जरिये इसे उल्टा (reversed) जा सकता है।

PDF Compressor Free Version

हमने जेण्डर अन्तरों और जेण्डर सम्बन्धों को ऐतिहासिक रूप से थोपे जाने को रेखांकित किया है। इस पृष्ठभूमि के साथ हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि कक्षा–कक्ष में पाठ्यपुस्तकों के व्यवहार जेण्डर–असमानताओं को किस प्रकार कम कर सकते हैं और इस तरह जेण्डर समानता और जेण्डर–समता को स्थापित किया जा सकता है। यदि पाठ्यपुस्तकों के व्यवहार जेण्डर समानता को लाने का प्रयास करते हैं, तो हमारे लिए इस पर चर्चा करना आवश्यक है कि लड़कियाँ और लड़के इन व्यवहारों को किस प्रकार ग्रहण करते हैं। विद्यालयों में लड़कियाँ और लड़के अलग–अलग सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। इस कारण यह सम्भव है कि अपने–अपने निजी क्षेत्र में जेण्डर के प्रति उनके अनुभव अलग–अलग हों। दूसरे, यदि पाठ्यपुस्तकें जेण्डर असमानता को मजबूत बनाती हैं तो क्या लड़के और लड़कियाँ इसे उसी रूप में स्वीकार कर लेंगे जिस रूप में यह है या फिर वे जेण्डर समानता लाने का प्रयास करने के लिए कुछ तर्क–वितर्क करेंगे?

विद्यालयों में विद्यार्थी विविध सामाजिक–सांस्कृतिक, भाषायी, आर्थिक, नृ–जातीय और भौगोलिक पृष्ठभूमियों से आते हैं। अगर कक्षा–कक्षों में जेण्डर अन्तरों पर चर्चा की जाएगी तो शिक्षार्थी इन अन्तरों का बोध किस प्रकार करेंगे? उदाहरण के लिए, भारत में कुछ भागों में मातृरेखीय समाज पाया जाता है। अन्य लड़कियों के विपरीत, पितृरेखीय समाज से आने वाली लड़कियों का जेण्डर सम्बन्धों के मामलों में अनुभव अधिक सकारात्मक हो सकता है। हो सकता है कि उनके परिवारों में महिलाओं के पास भूमि और अन्य संसाधनों का स्वत्वाधिकार रहा हो। मातृरेखीय समाज में परिवार की तरफ से निर्णय लेने में महिलाओं की सक्रिय संलग्नता रहती है। जबकि अन्य प्रकार के समाजों में यह बात सत्य नहीं होती।

आइए, अब साहित्य की एक कक्षा पर चर्चा करते हैं। अध्ययन–कक्ष की, जेण्डर–मुद्दों से सम्बन्धित, प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए साहित्य को हम एक उदाहरण के रूप में देखेंगे। समाज में जेण्डर सम्बन्धों को समझने में और सामाजिक संरचना का ज्ञान प्राप्त करने में, समुदाय में व्यक्तियों की भूमिकाओं को समझने में, समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया तथा शक्ति–संरचनाओं के उत्पादन और पुनरुत्पादन को समझने में कक्षा–कक्षों ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। कक्षा–कक्ष में प्राप्त किया गया ज्ञान तथा विद्यार्थी और अध्यापकों के बीच की गई परिचर्चा परिवार और समाज में प्रतिबिम्बित हो सकती है (बाखटिन, 1981; बाउअर एण्ड मैकिन्स्ट्री, 1991; मिलर एण्ड लेगे, 1999; वायगोट्स्की, 1978)। समाज और सामाजिक संरचनाओं से सम्बन्धित चर्चाएँ अधिकांशतः भाषा और साहित्य की कक्षा और इतिहास की कक्षा में सीखी जाती हैं। जेण्डर भूमिकाओं, सम्बन्धों, प्रजाति और वर्ग की रचना में योगदान देने के मामले में कक्षा–कक्ष भी एक महत्त्वपूर्ण स्थल हैं (के. वीलर, 1988)। नारीवादी अध्येताओं द्वारा किए गए अध्ययन ने इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक रचना ने महिलाओं के दमन में योगदान दिया है। इसके साथ नारीवादी और उत्तर–संरचनावादी दृढ़ रूप से यह मानते हैं कि यद्यपि विद्यालय सांस्कृतिक और सामाजिक मानकों के पुनरुत्पादन के स्थल रहे हैं, फिर भी दमनकारी सामाजिक ताकतों को विद्यार्थियों ने निष्क्रिय रूप से कभी भी स्वीकार नहीं किया। इतालवी मार्क्सवादी सिद्धान्तकार एन्तोनिया ग्राम्शी (1971) और आलोचनात्मक उत्तर–संरचनावादियों (एपल, 1990; गिरोक्स, 1981; मैक्लियोड, 1995; विलिस, 1977य) का अध्ययन भी यही दर्शाता है। एपल (1990) के अध्ययन ने स्थापित किया कि विद्यालयों ने निश्चित मानकों, संस्कृति और संस्कारों का पालन किया है और इनके पुनरुत्पादन को सुनिश्चित किया है तथा इसकी हमेशा रक्षा की गई है और हमेशा इसे कायम रखा गया है। विद्यालयों में कुछ निश्चित साहित्य और भाषा की पाठ्यपुस्तकों को

PDF Compressor Free Version

सुझाने से विद्यार्थियों के बीच कुछ चर्चाएँ तो अवश्य उत्पन्न हुईं। उदाहरण के लिए तमिल के शिक्षार्थियों के लिए भरतियार द्वारा लिखी गयी सामग्रियाँ सुझायी गयी थीं। महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में और दमन के सभी प्रकारों से व्यक्तियों की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में उन्होंने अत्यन्त जोरदार तरीके से बातचीत की है। अध्ययन कक्षों में जब इस पर चर्चा की गई होगी तो शिक्षकों ने भरतियार की कविताओं और उनके लेखन के सम्बन्ध में कैसा व्यवहार किया होगा। क्या इस चर्चा में उन्होंने अपने विश्वासों और मानकों को सामने रखा होगा? कक्षा में जब महिला सशक्तीकरण पर चर्चा की गई होगी तो विद्यार्थियों ने इसका बोध किस प्रकार किया होगा? क्या उन्होंने ऐतिहासिक पाठों और साहित्यक पाठों को वस्तुनिष्ठ तरीके से देखा होगा?

पाठों के साथ व्यवहार करने में यहाँ शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। शिक्षकों के लिए यह आवश्यक रहा होगा कि वे पाठों के सम्बन्ध में वस्तुनिष्ठ व्यवहार करें और अपने मूल्यों, पूर्वाग्रहों और अनुभवों को बीच में न आने दें। लिंगों के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तरों की व्याख्या करने के लिए वे जैव–चिकित्सकीय अनुसन्धानों के निष्कर्षों का उपयोग कर सकते थे। कथा या गल्प की व्याख्या करने के दौरान अवस्थिति और समयकाल के आधार पर साहित्य के पाठों को सन्दर्भीकृत किया जा सकता है। कक्षा–कक्ष के प्रतीकात्मक (typical) प्रतिमान में विद्यार्थी स्वयं को अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर पहचानों से सन्दर्भित कर लेंगे। नर विद्यार्थी अपनी पहचान पुरुषवाची तरीके से कर सकते हैं। यह अध्ययन–कक्ष में उनके सीखने में, चीजों को करने और उन्हें जानने में प्रतिबिम्बित हो सकता है (बिलेन्की, क्लिंची, गोल्डबर्गर एण्ड टैर्यूल, 1986)। महिलाओं के घरेलूकरण और उपनिवेशीकरण की जड़ें नर और मादा – दोनों प्रकार के – विद्यार्थियों के मस्तिष्क में गहराई तक जमी हुई थीं। नर और मादा विद्यार्थियों के पास इस चीज के अवसर बहुत कम थे कि वे निजी क्षेत्र में विद्यमान सामाजिक सम्बन्धों को चुनौती दें। यहाँ, शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षक जब कक्षा–कक्ष में साहित्य के पाठों पर चर्चा आदि करते हैं और इस चर्चा में विद्यार्थियों को संलग्न करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए यह एक अवसर होता है कि वे स्वयं को रमाएँ और दमन को चुनौती दें। सन् 2003 में गीना ड्बलास द्वारा किए गए अध्ययन ने इस बात को उभारा कि लड़कियों को ऐसे मौके जरूर मिले जब उन्होंने इन मौकों के दायरे में अध्ययन कक्षों के पाठों और विमर्श में वर्णित सांस्कृतिक नियमों का प्रतिरोध किया। काजडेन (1988) ने अध्ययन कक्ष के विमर्श और बातचीत में विभेद किया है। विमर्श को वे "विद्यालय में बातचीत करने के उपयुक्त तरीकों के मानदण्ड के रूप में, और यहाँ तक कि इस बातचीत के लिए उपयुक्त विषयों के मानदण्ड के रूप में" सन्दर्भित करते हैं (पृ. 16)। ऐसा इसलिए था क्योंकि व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता कि वे निष्क्रिय हैं और उनके साथ कोई कार्रवाई की जा रही है, बल्कि वे भी सौदेबाजी और संघर्ष करते हैं तथा साक्षरता के अध्ययन कक्ष में (जे.एल. कोलिन्स, 1995; के. वीलर, 1988) और विश्व में (विलिस, 1977) वे व्यक्ति भी अर्थों या तात्पर्यों का सृजन करते हैं। वास्तविकता यह है कि जिस पाठ को पाठक या लेखक पढ़ते हैं, उसके सन्दर्भ में और उस पाठ का जो अर्थ वे निकालते हैं, उसके भी सन्दर्भ में वे अपने आत्मनिष्ठ अनुभवों से इस मामले में काफी हद तक प्रभावित होते हैं कि इस सम्बन्ध में वे खुद को कहाँ रखें। इस तरह अब तक हमने कक्षा–कक्ष में पाठों के सम्बन्ध में व्यवहार करने के महत्त्व को वस्तुनिष्ठ तरीके से समझ लिया है। जेण्डर पहचान को निर्मित करने में तथा समाज में विद्यमान मानकों को चुनौती देने में अध्ययन कक्ष महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित केस–अध्ययन आपको एक अलग तरीके के चित्र से परिचित कराती है। भारत में अभियान्त्रिकी (इंजीनियरिंग) की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वर्गीय कल्पना चावला ने एक अन्तरिक्ष यात्री/अन्तरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहा था। उनकी जिद के कारण उनके

PDF Compressor Free Version

माता–पिता को इस बात की अनुमति देनी पड़ी कि एक अन्तरिक्ष यात्री बनने के लिए वे संयुक्त राज्य अमेरिका जाएँ। उन्हीं की तरह, सुश्री पवित्रा भी बारहवीं की अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक विमानचालक बनना चाहती थीं। पवित्रा एक निचली सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से आती थीं। उनके पिता राज्य परिवहन निगम में काम करते थे। पवित्रा को दो स्तरों पर संघर्ष करना था। एक विमानचालक के रूप में अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यक वित्तीय संसाधनों की जरूरत थी। दूसरी बात यह कि उन्हें अपने माता–पिता को इस बात के लिए सहमत भी करना था कि पुरुषों की तरह वे भी विमान उड़ा सकती थीं। पवित्रा किसी महिला–केन्द्रित व्यवसाय या नौकरी में नहीं जाना चाहती थीं। वास्तविक जीवन की उपरोक्त केस अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जेण्डर की रचना किस प्रकार की जाती है और महिलाएँ किस प्रकार अपनी उत्पादक भूमिकाओं को उलट सकती हैं। इन दोनों महिलाओं ने अपने सपने को पूरा करने के लिए परिवार और अन्य सामाजिक संरचनाओं को सहमत करने में अनेक स्तरों पर संघर्ष किया। उन्होंने सिद्ध किया कि उत्पादक भूमिकाएँ जेण्डर–उदासीन होती हैं। पुरुष और महिला समस्त प्रकार के कार्य कर सकते हैं। आइए, शिक्षा में अधिकाधिक लड़कियों को समाहित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों को देखते हैं।

शिक्षा में जेण्डर समानता लाने के लिए राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं। जेण्डर सम्बन्धों के सांस्कृतिक उत्पादन पर चर्चा करने से पहले हमें इन प्रयासों को देखना चाहिए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों और डकार (Dakar) लक्ष्यों ने निम्न माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा के विस्तार की महत्ता पर अत्यधिक जोर दिया था। देशों ने विद्यालय स्तर पर शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयास किए – चाहे यह प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या व्यावसायिक शिक्षा हो। सबके लिए शिक्षा (EFA - Education For All) के डकार लक्ष्यों (2000) का लक्ष्य 5 "सन् 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जेण्डर असमानताओं के उन्मूलन का, तथा सन् 2015 तक शिक्षा में जेण्डर समानता को प्राप्त करने का आह्वान करता है।" इसका विशेष लक्ष्य "अच्छी गुणवत्ता की मूलभूत शिक्षा तक लड़कियों की पूर्ण और समान पहुँच तथा उनकी उपलब्धियों" पर है। सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का लक्ष्य 3 "जेण्डर समानता और महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने" के लिए है तथा इसका उद्देश्य 4, "वरीय रूप से सन् 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में और निश्चित रूप से सन् 2015 तक शिक्षा के सभी स्तरों में जेण्डर असमानताओं के उन्मूलन" से सम्बन्धित है। सन् 1990 में थाईलैण्ड में आयोजित ईएफए कॉन्फरेन्स में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने और जेण्डर अन्तरालों को समाप्त करने के लिए दिशा निर्माण किया गया। इसी बीच लड़कियों की शिक्षा के सकारात्मक लाभों के सम्बन्ध में तथा लड़कियों की शिक्षा से उन्हें खुद को, परिवार को, समाज को, देश को और विश्व को मिलने वाले लाभों के सम्बन्ध में अनेक अध्ययन सामने आए। लड़कियों की शिक्षा और उनकी कम प्रजनन दरों के बीच सकारात्मक सहसम्बन्ध से जुड़े अनेक अध्ययन भी सामने आए (हैस 1988)। इसके अतिरिक्त शिशु–मृत्यु दर, बाल–मृत्यु दर और मातृ–मृत्यु दर को कम करने के लिए तथा उनके अपने उचित पोषण के लिए और समाज में बच्चों के समुचित पोषण लिए लड़कियों की शिक्षा को एक शक्तिशाली उपकरण माना गया। लड़कियों को शिक्षित करने से श्रम बाजार में उनकी सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित होती है और श्रमबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने में इससे योगदान मिलता है। लड़कियों को शिक्षित करने से निर्णय निर्माण में सहभागिता करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। अध्ययन सिद्ध करते हैं कि शिक्षित लड़कियाँ सामुदायिक गतिविधियों में सहभागिता करती हैं और समुदाय के निर्णय–निर्माण में वे संलग्न होती हैं। ईएफए और सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को सन् 2000 में अंगीकार किए जाने के बाद और भी अधिक सकारात्मक अध्ययन सामने आए।

PDF Compressor Free Version

उदाहरण के लिए, सन् 1999 में डॉलर और गैटी द्वारा 100 देशों में कराया गया अध्ययन बताता है कि माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी को 1 प्रतिशत बढ़ाने से वार्षिक प्रति व्यक्ति आय की संवृद्धि 0.3 प्रतिशत बढ़ जाती है। उप–सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया, मध्य–पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में जेण्डर समानता की खाई बहुत चौड़ी और विशाल है। जेण्डर समानता की खाई जिस तरह पूर्वी एशिया के देशों में 1960 और 1990 के दशकों में कम हुई थी, उसी तरह यह खाई अगर उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में भी कम हुई होती तो इन क्षेत्रों के देशों का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जीएनपी) 0.5 से 0.9 प्रतिशत तक और अधिक बढ़ी हुई दर से बढ़ा होता (क्लासेन 1999)। हमने लड़कियों की शिक्षा के कारण परिवार, समुदाय और राष्ट्र को मिलने वाले लाभों को देखा है। हमारे लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विद्यालयों का वातावरण जेण्डर संवेदी हो, ताकि लड़कियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जा सके तथा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च–प्राथमिक स्तरों पर विद्यालय छोड़ने की उनकी दरों को घटाया जा सके।

4.4 विद्यालय में जेण्डर संघर्षों का निराकरण

निम्नलिखित केस–अध्ययन विद्यालय में जेण्डर संघर्षों के निराकरण के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। इसे सांस्कृतिक रूप से अनुक्रियात्मक कक्षा–कक्ष प्रबन्धन (CRCM: Culturally Responsive Classroom Management) कहा गया था। हमें कक्षा–कक्षों को सांस्कृतिक रूप से अनुक्रियात्मक तरीके से संचालित करने की जरूरत है, भले ही अध्ययन–कक्ष बहु–सांस्कृतिक हों। सीआरसीएम का मतलब यह नहीं है कि अध्ययन–कक्षों को निश्चित नियमों और प्रथाओं के आधार पर संचालित किया जाए। यह अध्यापन सम्बन्धी एक दृष्टिकोण था। अध्यापन सम्बन्धी दृष्टिकोण वैज्ञानिक और प्रबन्धकीय तरीके से निर्णय लेने में शिक्षकों का मार्गनिर्देशन करते हैं। जब कोई शिक्षक अध्ययन–कक्ष को सीआरसीएम के तरीके से संचालित करने का निर्णय लेता है तो अपने दैनिक अध्यापन कार्य में उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह विद्यार्थियों की पृष्ठभूमियों, उनके अनुभवों, उनेक पूर्व–ज्ञान और सीखने की उनकी क्षमता के बारे में जाने। विद्यार्थियों के बारे में उपरोक्त जानकारियों से अवगत रहने के साथ–साथ, शिक्षक जब अध्यापन करते हैं तो स्वयं वे अपनी भी पृष्ठभूमि और अपने भी पूर्व–ज्ञान को प्रतिबिम्बित करते हैं। सम्भव है कि शिक्षक अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और मूल्यों को प्रतिबिम्बित करते हों और विद्यार्थियों को पढ़ाते समय या उनके साथ अन्तःक्रिया करते समय ये पूर्वाग्रह और मूल्य किस तरह प्रतिबिम्बित होते हैं या किस तरह ये उनके अध्यापन और उनकी अन्तक्रिया को प्रभावित करते हैं, इसका उचित संज्ञान लिया गया है। शिक्षक पाएँगे कि यह विद्यार्थियों को नियन्त्रित करने या उन्हें कुछ रटाने जैसी चीज नहीं है, बल्कि यह आवश्यक जानकारियों और ज्ञान को तथा चर्चा के मुक्त प्रवाह को उपलब्ध कराने से तथा समान और न्यायसंगत अवसरों को मुहैया कराने से सम्बन्धित है। वीन्स्टाइन, टॉमलिंसन–क्लार्क और कुरान (2004) ने सीआरसीएम की पाँच भागों वाली एक संकल्पना विकसित की है जो साहित्य से व्युत्पन्न है। उनके अनुसार, "पाँच बिन्दुओं वाली यह संकल्पना थी – सांस्कृतिक रूप से अनुक्रियात्मक शिक्षणशास्त्र; बहुसांस्कृतिक परामर्श और देखभाल : किसी व्यक्ति के अपने सांस्कृतिक दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों का संज्ञान, विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों की जानकारी; वृहत्तर सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक सन्दर्भ के प्रति जागरूकता; सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त प्रबन्धकीय रणनीतियों का उपयोग करने की योग्यता और इच्छा; तथा अध्ययन–कक्ष के समुदायों की देखभाल करने की प्रतिबद्धता। इसके परिणामस्वरूप अध्ययन–कक्ष के प्रबन्धन का लक्ष्य एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना था जिसमें विद्यार्थीगण व्यक्तिगत जिम्मेदारी के भावबोध के साथ उपयुक्त तरीके से व्यवहार कर सकें, न कि दण्ड के भय या पुरस्कार की आकांक्षा से वे अपना व्यवहार करें।

PDF Compressor Free Version

इस प्रकार वातावरण को यह देखना चाहिए और अनुक्रियात्मक होना चाहिए कि विद्यार्थी कौन हैं (संज्ञान के लिहाज से, सामाजिक रूप से और भावनात्मक रूप से) तथा वातावरण को चाहिए कि वह एक ऐसे सुरक्षा–जाल का निर्माण करे, जो इस बात के प्रति न्यायसंगत तरीके से अनुक्रियात्मक हो कि शिक्षक अपने विद्यार्थियों के बारे में क्या जानते हैं।" सकारात्मक व्यवहार की सम्भावना का सृजन करना और इसे स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध कराना ही सीआरसीएम रणनीति थी। शिक्षक और विद्यालय यदि सांस्कृतिक रूप से अनुक्रियात्मक और जेण्डर संवेदी अध्ययन–कक्ष स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें निम्नलिखित चीजों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा : पाठ्यक्रम; विद्यालय की अध्ययन सामग्री, विषय की वरीयता और चयन; प्रेरणात्मक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे; विद्यालय का वातावरण; शिक्षकों की अभिवृत्तियाँ; मूल्यांकन; पाठ्यक्रम के आदान–प्रदान और व्यवहार की रणनीतियाँ; शिक्षकों के लिए जेण्डर–संवेदी प्रशिक्षण; मनुष्यों के जीवविज्ञान से सम्बन्धित जैवचिकित्सकीय अनुसन्धान को विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय बनाना; महिला वैज्ञानिकों के योगदान का विद्यार्थियों के बीच संज्ञान लेना; विद्यालय परिसरों में लड़कियों और लड़कों के बीच जेण्डर रूढ़ियों को तोड़ने वाले वातावरण का सृजन करना।

4.5 विद्यालय और समाज में जेण्डर सम्बन्धों के पुनरुत्पादन से सम्बन्धित केस अध्ययन

हमारे समाज में जेण्डर भेदभाव और असमानताओं की मौजूदगी जारी है, जो मीडिया में प्रतिबिम्बित होती रही है। इस बात की आशंका है कि समाजीकरण की प्रक्रिया तथा इसके अलावा परिवार और समाज में जेण्डर भेदभाव का पुनरुत्पादन विद्यालयी प्रक्रिया को मजबूत बना सकता है। शिक्षकों के अनुभव तथा जेण्डर भेदभाव के सम्बन्ध में उनके समाजीकरण की प्रक्रिया अध्ययन–कक्ष में विद्यार्थियों तक अनजाने या अचेतन में प्रसारित हो सकती है। विद्यालय में प्रारम्भिक स्तर पर ही जेण्डर–पूर्वाग्रह और जेण्डर–भेदभाव को सीखने से विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क पर इसकी अमिट छाप दर्ज हो सकती है। इसलिए उचित रूप से यह बहुत आवश्यक है कि विद्यालय की पाठ्यपुस्तकें तथा इससे सम्बन्धित अन्य सामग्रियाँ और इसके साथ–साथ पाठ्यक्रम और इसके व्यवहार में की गयी प्रक्रियाएँ सभी क्षेत्रों में जेण्डर–समरसता और समावेशिता के सिद्धान्तों से ओतप्रोत हों।

अब हम, प्रशान्त महासागरीय द्वीपों का उदाहरण लेते हुए, समाज में जेण्डर सम्बन्धों के पुनरुत्पादन पर एक निगाह डालेंगे। सामाजिक सूक्ष्म इकाइयों के रूप में परिवारों और घरों को निजी संस्था माना जाता है। प्रशान्त महासागरीय द्वीपों में, शहरों क्षेत्रों की तुलना में गाँवों के अधिकांश परिवार विस्तारित (extended) परिवार थे। शहरीकरण और भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के दौरान ग्रामीण इलाकों के परिवारों ने छोटी घरेलू इकाइयों के रूप में शहरी क्षेत्रों की तरफ जाना और बसना शुरू किया। किसी व्यक्ति के समाजीकरण के लिए परिवार को प्रमुख संस्था माना गया। परिवार जेण्डर भूमिकाओं और जेण्डर सम्बन्धों पर बल प्रदान करता है। परिवार ही यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएँ उत्पादन, पुनरुत्पादन और समुदाय–आधारित गतिविधियों में अपना कार्य–निष्पादन करेंगी। परिवार ही वह पहली संस्था थी, जिसमें महिलाओं ने जेण्डर भूमिकाओं का निर्वहन करना सीखा और जेण्डर सम्बन्धों को समझा। परिवार के भीतर जेण्डर सम्बन्ध निर्णय निर्माण में किसी महिला की सहभागिता को कमतर करते हैं। हालाँकि शिक्षा और ज्ञान–प्राप्ति ने पितृसत्तात्मक पारिवारिक संस्थाओं को चुनौती दी और पारिवारिक संसाधनों तक पहुँच के मामले में समानता व समता लाने का प्रयास किया। साथ ही,

PDF Compressor Free Version

इससे निर्णय निर्माण में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता के सन्दर्भ में भी बल मिला। शिक्षा और आर्थिक स्वाधीनता ने प्रस्थिति हासिल करने के लिए महिलाओं में आत्मविश्वास भरा। इस चीज को परिवार के पुरुष सदस्यों ने भी महसूस किया और उन्होंने महिलाओं का आदर करना शुरू किया तथा पारिवारिक निर्णयों में महिलाओं की संलग्नता का विरोध करना बन्द कर दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाएँ सामाजिक व्यवस्था को शासित करने वाली ऐसी संस्थाओं के रूप में मानी जा सकती हैं, जो किसी दिए गए समुदाय में व्यक्तियों के व्यवहार को नियन्त्रित करने का प्रयास करती हैं। समय के साथ संस्कृतियाँ बदलती रहती हैं और वे अचल नहीं होतीं। कुछ सांस्कृतिक प्रथाएँ और विश्वास अपरिवर्तित रह जाते हैं और राष्ट्रीय, नृजातीय या सामूहिक पहचान को कायम रखने के लिए ये आवश्यक होते हैं (वसेना ग्रिफेन, 2006)।

प्रशान्त महासागरीय द्वीपों के अधिकांश इलाकों में घर–परिवार और समुदाय में महिलाओं की तुलना में पुरुषों के पास निर्णय–निर्माण की शक्ति अधिक हो सकती है; हालाँकि ऐसे मामले में महिलाएँ समितियों और अन्य समूहों की सदस्य होती हैं और यहाँ पर वे गाँव से सम्बन्धित निर्णयों के बारे में फैसला करती हैं। माताकाली (गोत्र) के स्वामित्व वाली भूमि के माध्यम से महिलाएँ संसाधनों की स्वामी भी थीं। कुछ समुदायों में, जहाँ कुछ मामलों में महिलाओं का विवाह परिवार में ही कर दिया गया था, वहाँ महिलाओं के पास निर्णय–निर्माण की शक्ति गाँवों की महिलाओं की तुलना में कम रहती थी और इसलिए इस समूह की महिलाएँ अधिक निर्बल होती हैं। प्रशान्त महासागरीय देशों में जेण्डर सम्बन्धों का विश्लेषण करने के लिए यह समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि संस्कृति किस प्रकार महिलाओं को निर्णय–निर्माण का एक अंग होने के लिए सकारात्मक रूप से संलग्न कर सकती है। अधिकांश पितृसत्तात्मक समाजों में अपने हितों और अपनी जरूरतों को सामने रखने के लिए महिलाओं को प्रायः अनेक सीमाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि निर्णय निर्माण को प्रभावित करने में भी उन्हें अनेक सीमाओं से जूझना पड़ता है। जबकि मातृरेखीय समाज में वे निर्णय निर्माण को प्रभावित कर सकती हैं।

निम्नलिखित केस अध्ययन पुरुषों के प्रभुत्व वाले कार्य में प्रवेश करते हुए जेण्डर रूढ़ियों को उलट देने का सर्वोत्तम उदाहरण थी। सलोनी मल्होत्रा 'देसार्क्यू' नाम की कम्पनी की संस्थापक हैं। यह सामाजिक रूप से प्रेरित एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कम्पनी थी। यह ग्रामीण इलाकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ प्रदान करती थी। सेवाएँ प्रदान करने वाले कम्पनी के केन्द्र गाँवों में स्थापित किए गए थे। सलोनी मल्होत्रा की कम्पनी वह पहली कम्पनी थी जिसने ग्रामीण इलाकों में कम्प्यूटर संचालन के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया था। इसके पश्चात् प्रशिक्षित युवा कम्पनी में नियुक्त कर दिए जाते थे। सलोनी की समझ थी कि ग्रामीण युवा नौकरियों के लिए शहरों में चले जाएँगे। वे ग्रामीण शहरी प्रवासन को सम्बोधित करना चाहती थीं। सलोनी दिल्ली की रहने वाली हैं। उनके माता–पिता चिकित्सक हैं। अपने माता–पिता के विपरीत सलोनी ने अभियान्त्रिकी की पढ़ाई की। उनके पिता ने उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे एक ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ करें जिससे ग्रामीण इलाकों में नौकरियाँ उपलब्ध हो सकें। उन्होंने सलोनी पर शादी करने के लिए कभी दबाव नहीं डाला। उन्होंने सलोनी को कभी भी यह नहीं कहा कि वे अपना पारिवारिक जीवन शुरू करें। इसके बजाय सलोनी के माता–पिता ने उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि सबसे पहले वे अपने पेशे (करियर) को सुस्थापित कर लें। जब सलोनी का व्यावसायिक जीवन सुस्थापित हो गया, तब उनके माता–पिता ने उनसे पारिवारिक जीवन को शुरू करने के बारे में कहा। सलोनी ने अपनी ऊर्जा अपने सपने को साकार करने वाले प्रोजेक्ट 'देसीक्र्यू' में लगाई। सलोनी कहती हैं,

PDF Compressor Free Version

"ग्रामीण भारत में कार्य करने की मेरी इच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में तब पुनः पुष्ट हो गई, जब ग्रामीण महाराष्ट्र से आने वाली मेरे कॉलेज की एक सहपाठी पल्लवी ने गर्व के साथ एक दिन मुझे बताया कि वह कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई करने जा रही है। बाद में मैंने यह जाना कि उस गरीब लड़की के लिए कम्प्यूटर तक पहुँचने की सम्भावना बहुत ही कम थी। उसने तो बस यह मान लिया था कि कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई करने से उसे अच्छी तनख्वाह वाली एक नौकरी और इस नौकरी के कारण मिलने वाले अनेक लाभों को हासिल करने में मदद मिल जाएगी। पल्लवी ने मुझे इस चीज का अहसास कराया कि उसमें और मुझमें एक समानता है, और वह समानता यह है कि हम एक–दूसरे की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब कभी हम ग्रामीण इलाकों में नौकरियों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में कृषि या हस्तशिल्प जैसी चीजें ही आती हैं और हम उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में अवसरों की उपेक्षा कर दिया करते हैं। कला, अभियान्त्रिकी और वाणिज्य के युवा स्नातक नौकरियों के लिए शहरों में चले जाते हैं। क्या हम नौकरियों को इन लोगों तक ले जा सकते हैं?" देसीक्र्यू की अधिकांश कर्मचारी महिलाएँ ही हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर लड़कियों में आत्मविश्वास भरते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में और भी अधिक माताओं–पिताओं को यह हौसला मिलता है कि वे लड़कियों की शिक्षा में निवेश करें।

4.6 अनुसन्धान अध्ययनों के निष्कर्षों, मीडिया और फिल्मों से लिए गए संसाधनों को साझा करना

पिछले अनुभाग में हमने पढ़ा कि शिक्षा में जेण्डर सम्बन्धी विषयों को किस प्रकार सम्बोधित किया जाना चाहिए। समस्त ज्ञानशास्त्रों में पाठ्यक्रमों को जेण्डर–समावेशी बनाने के महत्व को अकादमिक जगत ने भी प्रतिबिम्बित किया है। इस चीज ने 1970 के दशक के उत्तरार्द्ध में गति पकड़ी और आज तक यह जारी है। भारत में, यूनेस्को ने अकादमिक जगत को संवेदनशील बनाने में योगदान दिया है ताकि पाठ्यक्रम को जेण्डर संवेदी बनाया जा सके। इसने महिला–अध्ययनों पर विशेषज्ञों के सम्मेलन आयोजित किए ताकि समस्त ज्ञानशास्त्रों में जेण्डर मुद्दों के प्रति दृश्यता लायी जा सके। कार्यशाला के निष्कर्षों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में, खासकर समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों में महिलाओं का परिप्रेक्ष्य गायब था। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और शिक्षाशास्त्र जैसे विषयों में भी जेण्डर परिप्रेक्ष्य को एकीकृत किया जाना अभी शेष ही था। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NPE) ने और 1992 में कार्ययोजना ने समस्त प्रकार की असमानताओं और भेदभावों के उन्मूलन पर विशेष बल प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त इन कार्यक्रमों ने उन लोगों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर अपना फोकस किया जिन्हें समानता नहीं मिल सकी है। एनपीई के अनुसार, "महिलाओं की प्रस्थिति में मूलभूत परिवर्तन के लिए शिक्षा का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया जाएगा। अतीत की संचित विकृतियों को समाप्त करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सुविचारित कदम उठाने पड़ेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक सकारात्मक और हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाएगी। पुनः अभिकल्पित किए गए पाठ्यक्रमों; पाठ्यपुस्तकों; शिक्षकों, निर्णय–निर्माणकर्ताओं और प्रशासकों के प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण तथा शैक्षिक संस्थाओं की सक्रिय संलग्नता के माध्यम से यह नवीन मूल्यों के विकास को बल प्रदान करेगी" (शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति – 1986 के अंश, पृ. 6)।

जॉन एलिस द्वारा कराये गये और सन् 2002 में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण किया। उनके अनुसार, इतिहास और भूगोल की मुख्य पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर पूर्वाग्रह बहुत सशक्त तरीके से मौजूद था। भाग 1 में

PDF Compressor Free Version

नरों के 71 चित्र थे, जो कुल चित्रों का 76 प्रतिशत था। इसमें मादाओं के मात्र 22 चित्र थे, जो कुल चित्रों का महज 24 प्रतिशत था। इतना ही नहीं, प्रारम्भिक मानवों के बारे में की गई परिचर्चा में महिलाओं को अधीनस्थ भूमिकाओं का निष्पादन करने वाले रूपों में प्रदर्शित किया गया था। भाग 2 तो भाग 1 से भी अधिक जेण्डर पूर्वाग्रहों को दर्शाता था। इसमें पुरुषों के 50 चित्र थे जो कुल चित्रों का 96 प्रतिशत था और महिलाओं के महज दो ही चित्र थे जो कुल चित्रों का मात्र 4 प्रतिशत था। पाठों में दर्शायी गयी महिलाओं की भूमिकाएँ पितृसत्तात्मक थीं और महिलाओं की पारम्परिक भूमिकाओं को मजबूत बनाती थीं। "कमाई करने के मुख्य तरीके" नामक अध्याय में एक भी महिला का चित्र नहीं था। एक दूसरे अध्याय में भी किसी महिला का कोई चित्र नहीं था, जहाँ एक पुरुष सरकारी अधिकारी से भूमि अधिकार प्रलेखों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को प्रदर्शित किया गया था। एलिस का दावा है कि "यह वास्तविकता का झूठा चित्र है क्योंकि पश्चिम बंगाल में अनेक परिवारों की मुखिया महिलाएँ ही हैं और भूमि के अधिकार के स्वामित्व भी उनके पास उनके अपने नाम से ही मौजूद हैं।" लेखक का निष्कर्ष है कि "इन पुस्तकों में उल्लिखित पाठों और चित्रों में महिलाओं के विरुद्ध व्याप्त जेण्डर पूर्वाग्रह इन पुस्तकों को उपयोग के लिए अस्वीकार्य बना देते हैं।"

पाठ्यपुस्तकों का यह पूर्वाग्रह सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं है। फिरोज बख्त अहमद (2006) द्वारा किया गया अध्ययन अनेक राज्यों में पाठ्यपुस्तकों में जेण्डर पूर्वाग्रहों के कायम रहने पर प्रकाश डालता है। अहमद रेखांकित करते हैं कि "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) सन् 1982–83 से ही जेण्डर असमानताओं को समाप्त करने पर जोर देती चला आ रहा है – खासकर पाठ्यपुस्तकों से लिंग रूढ़ियों और लिंग–पूर्वाग्रह के उन्मूलन पर विशेष बल देते हुए।" उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि "चाहे वह विज्ञान की पुस्तक हो या सामाजिक अध्ययन की या गणित की या अंग्रेजी अथवा हिन्दी की ही पुस्तक क्यों न हो; इन सब में महिलाओं को हम पानी लाने जाते हुए, रसोईघर में काम करते हुए या कमरा साफ करते हुए देख सकते है और यह भी देख सकते हैं कि अध्याय लगातार पुरुष–केन्द्रित हैं,।"

उन्होंने फ्रेण्ड्स ऑफ एजुकेशन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण का उल्लेख किया है। यह सर्वेक्षण रेखांकित करता है कि एक औसत प्राथमिक पाठ्यपुस्तक में आमतौर पर 115 से 130 तक पृष्ठ तथा 80 से 100 तक प्रदर्शन (illustrations) होते हैं। इस अध्ययन ने पाया कि "आधे से अधिक प्रदर्शनों में सिर्फ पुरुषों और लड़कों को ही दिखाया गया थाकृ और केवल छह प्रतिशत प्रदर्शनों में ही महिलाओं और लड़कियों को दिखाया गया था।" प्राथमिक कक्षाओं में प्रयुक्त की जाने वाली गणित की छह पुस्तकों के विश्लेषण ने दर्शाया कि वाणिज्यिक, व्यावसायिक और विपणनमूलक स्थितियों का चित्रण करने वाली गतिविधियों में पुरुषों का प्रभुत्व मौजूद था जबकि किसी भी महिला को दुकानदार, व्यापारी, कार्यकारी, अभियन्ता या विक्रेता के रूप में नहीं दिखाया गया था।

अहमद का समग्र रूप से निष्कर्ष यह था कि "एनसीईआरटी ने पाठ्य–सामग्री में जेण्डर–रूढ़िवादिताओं के उन्मूलन के लिए दिशानिर्देशों का एक समुच्चय विकसित किया है और लेखकों व प्रकाशकों तक इन दिशानिर्देशों को पहुँचा भी दिया है, लेकिन इन सबके बावजूद कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है।"

भारतीय विद्यालयों में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण करने के लिए कालिया (1986) ने मात्रात्मक और गुणात्मक अध्ययन कराए हैं। इस अभ्यास को नाम दिया गया था : "आप इस बारे में कुछ कर सकते हैं"। कालिया ने सर्वाधिक जनसंख्या वाले पाँच उत्तर भारतीय राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और

PDF Compressor Free Version

दिल्ली में सन् 1979 में विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली अंग्रेजी की 21 और हिन्दी की 20 पाठ्यपुस्तकों की विषयवस्तु का विश्लेषण किया था (कालिया 1979)। यह अभ्यास विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच किया गया था। भारत में संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती सूची का एक विषय है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) भारत में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करता है। शिक्षा के राज्य बोर्ड के लिए राज्य पाठ्यपुस्तक सोसायटी पाठ्यपुस्तकों को तैयार करती है।

सन् 1986 की अपनी पुस्तक में उन्होंने एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के विषयवस्तु विश्लेषण पर चर्चा की है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि पुरुषों के चित्रों ने अध्यायों के 75 प्रतिशत हिस्से को घेर रखा है। जीवनियों का 87 प्रतिशत (47/54) भी पुरुषों के ही बारे में था। पाठ्यपुस्तकों की भाषा मुख्य रूप से पुरुष–केन्द्रित ही थी। महिलाएँ 344 व्यवसायों से पूर्णतः बहिष्कृत थीं, जो पाठों में दिए गए 465 व्यवसायों का 74 प्रतिशत था। लेखिका का तर्क था कि पाठ्यपुस्तकों में "छिपा हुआ यह पाठ्यक्रम" बच्चों के जेण्डर–सम्बन्धी मूल्यों को एक साँचे में ढाल देता है, खासकर तब जब शिक्षकों द्वारा इन मूल्यों पर बल दिया जाता हो। पुरुष–केन्द्रित चित्रों के वर्णन के अलावा जेण्डर–उदासीन भाषा का अभाव और महिलाओं की भूमिकाओं की रूढ़ियाँ भी चिन्ता के प्रमुख विषय हैं।

अब हम देखेंगे कि जेण्डर सम्बन्धों को मीडिया और फिल्में किस प्रकार मजबूत बनाती हैं और इन सम्बन्धों को ये किस प्रकार आकार प्रदान करती हैं। इसके लिए हम कुछ फिल्मों, लघु–फिल्मों और मीडिया रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे। फिल्में और मीडिया विद्यमान सामाजिक सम्बन्धों को चुनौती दे सकते हैं या जेण्डर सम्बन्धों को मजबूत भी बना सकते हैं। उनके पास जनमत को प्रभावित करने की क्षमता होती है। उत्पादों का विज्ञापन करते समय कॉमर्शियल मीडिया बच्चों को अपना लक्ष्य बनाता है। यह उन रास्तों के बारे में सोचता है जिसके जरिये वयस्क लोगों को बच्चों के माध्यम से उत्पाद खरीदने पड़ें। इसी के साथ–साथ कॉमर्शियल फिल्में, लघु फिल्में और मीडिया रिपोर्ट्स पितृसत्ता को चुनौती देते हैं और शिक्षाप्रद भी होते हैं। महिला वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक लघु फिल्म का निर्माण किया था और उसे रिलीज किया था। फिल्म के प्रारम्भ में एक बच्चे को एक पुस्तकालय में बैठा दिखाया गया है। वह बच्चा इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछ रहा है कि किस चीज का आविष्कार किसने किया है और वैज्ञानिकों के नाम क्या हैं? बच्चे पुरुष वैज्ञानिकों के नाम तो बहुत आसानी से बता रहे थे लेकिन महिला वैज्ञानिकों के नाम नहीं बता पा रहे थे। यह लघु फिल्म महिला वैज्ञानिकों के योगदान पर एक टिप्पणी के साथ समाप्त होती है।

भारत में फिल्में हिन्दी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और अनेक अन्य भारतीय भाषाओं में बनायी जाती हैं। इन फिल्मों के प्रति जनता में बहुत आकर्षण होता है और रूढ़िवाद से जुड़े निर्णय लेने के सम्बन्ध में ये फिल्में जनता को बहुत प्रभावित करती हैं। भारत में कुछ फिल्में नियमित रूढ़िवाद की लीक से हटकर बनायी गई और इन फिल्मों ने जेण्डर सम्बन्धी मानकों, भूमिकाओं और सम्बन्धों को उलटने का प्रयास किया है। जेण्डर रूढ़िवाद को चुनौती देने वाली एक ऐसी ही फिल्म थी 'पिंक'। इस फिल्म ने निर्णय लेने की महिलाओं की क्षमता को स्वीकार किया था। इसने महिलाओं के बारे में विद्यमान रूढ़िवाद को अनेक सन्दर्भों में चुनौती दी। 'की का' नामक फिल्म जेण्डर भूमिकाओं को बदलने की सम्भावनाओं को सामने लेकर आई थी। निम्नलिखित केस अध्ययन यूएनडीपी, 2008 के प्रतिवेदन "जेण्डर को मुख्यधारा में लाने की अच्छी प्रथाएँ – केस अध्ययन" से ली गई है। बॉलीवुड की फिल्म 'चक दे इण्डिया' एक अन्य सफल कॉमर्शियल फिल्म थी जिसने जेण्डर सम्बन्धों को चुनौती दी थी। यह फिल्म उन पूर्वाग्रहों के बारे में जिनका

PDF Compressor Free Version

सामना खेलकूद में भारतीय लड़कियों को करना पड़ता है। पितृसत्ता और जेण्डर भूमिकाओं व मानकों के सुदृढ़ीकरण के कारण समाज महिलाओं से कुछ निश्चित भूमिकाओं के निर्वहन की ही उम्मीद करता है। समाज यह उम्मीद करता है कि महिलाएँ निजी क्षेत्रों में इन्हीं भूमिकाओं तक सीमित रहें। बॉलीवुड के जाने–माने अभिनेता शाहरुख खान ने इस फिल्म में हॉकी के एक कोच का किरदार निभाया है। शाहरुख खान भारत की महिला हॉकी टीम को प्रशिक्षित करते हैं और देश में महिला हॉकी टीम की खोयी हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने का निर्णय लेते हैं। इण्डियन हॉकी एसोसिएशन के सदस्यों का रवैया बहुत पितृसत्तात्मक है और वे सोचते हैं कि महिलाओं को घर और परिवार की देखभाल के लिए घर पर ही रहना चाहिए। उन्हें लगता है कि महिला हॉकी टीम के सफल होने की कोई सम्भावना नहीं है।

देश में प्रचलित जेण्डर भेदभाव से जुड़े प्रमुख तथ्यों को बारीकी से प्रस्तुत करते हुए 'चक दे इण्डिया' जेण्डर के प्रति प्रचलित व्यवहार को चुनौती देती है। यह फिल्म भारत में लड़कियों के बारे में स्थापित धारणाओं को तोड़ने के लिए अपने पात्रों पर निर्भर है। हरियाणा की एक युवा लड़की कोमल चौटाला पारम्परिक भूमिकाओं के उस दायरे को तोड़ती है जो भारतीय लड़कियों के लिए समाज द्वारा बनाए जाते हैं। अपने पिता के विरोध के बावजूद कोमल इस दायरे को तोड़कर राष्ट्रीय स्तर की हॉकी टीम तक पहुँचती है। टीम की एक अन्य स्ट्राइकर प्रीति सबरवाल के साथ उसकी प्रतिद्वन्द्विता दर्शकों को उस आन्तरिक प्रतिद्वन्द्विता के बारे में बताती है जो किसी टीम के भीतर मौजूद होती है। चण्डीगढ़ की प्रीति एक नितान्त भिन्न पृष्ठभूमि से आती हैं और उसकी बहुत सारी गुप्त महत्वाकांक्षाएँ हैं। वह अपनी टीम के अन्य सदस्यों की तरह विशेष रूप से मुखर नहीं है और न ही वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती है बल्कि उसको तो जुनून इसलिए है क्योंकि उसके मन में अपने क्रिकेटर ब्वॉय–फ्रेण्ड के लिए प्रतिशोध की गुप्त भावना विद्यमान है। उसके क्रिकेटर ब्वॉय–फ्रेण्ड ने उसके करियर को, उसके लक्ष्यों को और खेल के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को हमेशा कम करके देखा और बताया है। वह अपने घर पर स्ट्राइकर का नम्बर एक का तमगा लेकर जाना चाहती थी ताकि वह अपने अभिमानी और दिखावेबाज ब्वॉय–फ्रेण्ड को दिखा सके कि वह एक कामयाब खिलाड़ी है और एक ऐसी खिलाड़ी है जिस पर पूरा देश गर्व कर सकता है। फिल्म के जरिये कोमल और प्रीति को स्कोर किए गए गोल्स के मामले में बराबर ही दिखाया गया है। अंतिम मैच के पहले हालाँकि कोमल को असली कारण मालूम हो जाता है कि प्रीति क्यों सर्वाधिक गोल करने के लिए इतनी उत्सुक थी, और कोमल गोल करने का अपना एक मौका छोड़ देती है और प्रीति को अवसर देती है कि वह उच्चतम स्ट्राइकर बनने का गौरव हासिल कर सके। क्रिटिकल पेनाल्टी शूट–आउट में प्रीति कोमल को वह मौका वापस कर देती है और इस प्रकार वह उस समैक्यता का प्रदर्शन करती है जो लड़कियों के बीच में और 'बहनापे' के बीच में आपस में विद्यमान होती है। अपने ब्वॉय–फ्रेण्ड द्वारा पेश किए गए विवाह के प्रस्ताव के प्रति प्रीति की प्रतिक्रिया भारत में जेण्डर समानता के लिए किए जाने वाले वर्तमान संघर्ष को प्रतिबिम्बित करती है। उस लड़की ने अपने ब्वॉय–फ्रेण्ड के विस्तृत और सार्वजनिक विवाह प्रस्ताव को राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर ठुकरा दिया। इससे एक ऐसी भारतीय लड़की की नई आवाज का आगमन प्रतिबिम्बित होता है, जो पितृसत्तात्मक समाज द्वारा अपने ऊपर लादे गए दायित्वों के बावजूद, अपनी पहचान को खोजने और स्थापित करने के लिए दृढ़–संकल्पित थी। फिल्म में पितृसत्ता पर भी चर्चा की गयी है। यह महिलाओं को बाँटती है। फिल्म में इस पर बिन्दिया नायक के किरदार के जरिये चर्चा की गई है। विद्या शर्मा का चरित्र बहुत उत्साहवर्द्धक और साहसी है। वह एक अनुभवी हॉकी खिलाड़ी है और विवाहित है। अपने सास–ससुर के विरोध के बावजूद वह राष्ट्रीय हॉकी कैम्प में आयी है। उसने स्वयं द्वारा चुने गए करियर को अशर्त महत्व

PDF Compressor Free Version

देने का चित्रण किया है। उसका हौसला हर तरफ से बार–बार तोड़ा जाता है लेकिन इन सबके बावजूद वह विश्व कप में भाग लेने के लिए दृढ़–संकल्पित है। इसके लिए अपने विवाहित जीवन को भी खतरे में डालना उसे मंजूर है। उसके पास ऐसा आत्मविश्वास है, जिसकी जरूरत महिलाओं को अपना संघर्ष जारी रखने के लिए पड़ती है। इस फिल्म ने यह पुनर्स्थापित किया कि सम्पूर्ण भारत में महिलाओं को सिर्फ इसी निगाह से देखा जाता है कि घर के बाहर के दुनियावी मामलों में कार्य करने की क्षमता उनमें नहीं होती। हालाँकि खेलकूद के इस विषय ने इस प्रतीक को स्थापित किया कि उपलब्धियों को एक साथ मिलकर हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसे हम वास्तविक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। ऐसा महिलाओं की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल करके किया जा सकता है और इस प्रकार महिलाएँ नई सम्भावनाओं का अन्वेषण करने में सक्षम हो सकती हैं।

4.7 सारांश

सिद्धान्त के साथ–साथ केस–अध्ययन का प्रयोग करते हुए हमने समाज में विभिन्न स्तरों पर जेण्डर सम्बन्धों का पुनरुत्पादन देखा है। ऐतिहासिक रूप से भी हमने इसका विश्लेषण किया है। समाज में विभिन्न सामाजिक संरचनाओं में जेण्डर सम्बन्धों जेण्डर सम्बन्धों का उत्पादन किया जाता रहा है। पुरुषों और महिलाओं पर भूमिकाएँ थोपने की प्रक्रिया बच्चों के जीवन के प्रारम्भिक चरण से ही शुरू हो जाती है। जेण्डर का सामाजिक–सांस्कृतिक पुनरुत्पादन विद्यालयों में घटित हो सकता है। इस प्रकार, वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकों को जेण्डर संवेदी बनाया जाए और अध्ययन–कक्ष में जेण्डर मुद्दों को सम्बोधित करने के लिए शिक्षकों में संवेदनशीलता का संचार किया जाए। इन्हीं विचारों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

4.8 इकाई अंत पर प्रश्न

1. जेण्डर सम्बन्धों को परिभाषित कीजिए तथा पुरुषों और महिलाओं के लिए जेण्डर भूमिकाओं के उत्पादन और पुनरुत्पादन पर विस्तृत चर्चा कीजिए।

2. "पाठ्यपुस्तकों को जेण्डर–उदासीन (तटस्थ) होना चाहिए" – इस कथन पर टिप्पणी कीजिए।

3. समाज में जेण्डर भेदभाव को सम्बोधित करने में सिनेमा की क्या भूमिका है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ इसकी व्याख्या कीजिए।

4.9 अपनी प्रगति जाँच के उत्तर

1. अलग–अलग भूमिकाओं के निष्पादन के कारण और समाज के स्थापित मानकों के कारण समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच जेण्डर सम्बन्ध स्थापित किए गए। पश्चिमी समाज में उन्नीसवीं शताब्दी तक पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाएँ स्थैतिक (static) मानी गई। लिंगों के बीच भूमिकाओं में और उनके प्रवर्तन में अन्तरों के कारण असमान शक्ति सम्बन्ध पैदा हुए और इसका परिणाम यह हुआ कि एक समूह लाभान्वित होता गया और दूसरा समूह वंचित। पुरुषों और महिलाओं के बीच की असमानता आगे बारम्बार अभिव्यक्त होती रही और इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में समस्त सम्बन्धों और सामाजिक विन्यासों (formations) का विनियमन किया जाने लगा। पुरुष और स्त्री के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तरों ने

PDF Compressor Free Version

सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरों को निर्धारित किया। इसे ही समाजीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है।

2. शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वे पाठों के सम्बन्ध में वस्तुनिष्ठ व्यवहार करें और अपने मूल्यों, पूर्वाग्रहों और अनुभवों को बीच में न आने दें। लिंगों के बीच के जीव–वैज्ञानिक अन्तरों की व्याख्या करने के लिए वे जैव–चिकित्सकीय अनुसन्धानों के निष्कर्षों का उपयोग कर सकते हैं। कथा या गल्प की व्याख्या करने के दौरान अवस्थिति और समयकाल के आधार पर साहित्य के पाठों को सन्दर्भीकृत किया जा सकता है। कक्षा–कक्ष के प्रतीकात्मक (typical) प्रतिमान में विद्यार्थी स्वयं को अपनी सामाजिक–सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर पहचानों से सन्दर्भित कर लेंगे। छात्र अपनी पहचान पुरुषवाची (masculine) तरीके से कर सकते हैं। यह अध्ययन–कक्ष में उनके सीखने में, चीजों को करने और उन्हें जानने में प्रतिबिम्बित हो सकता है।

3. निम्नलिखित केस अध्ययन पुरुषों के प्रभुत्व वाले कार्य में प्रवेश करते हुए जेण्डर रूढ़िता को उलट देने का सर्वोत्तम उदाहरण थी। सलोनी मल्होत्रा 'देसाक्र्यू' नाम की कम्पनी की संस्थापक हैं। यह सामाजिक रूप से प्रेरित एक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) कम्पनी थी। यह ग्रामीण इलाकों को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ (ITes) प्रदान करती थी। सेवाएँ प्रदान करने वाले कम्पनी के केन्द्र गाँवों में स्थापित किए गए थे। सलोनी मल्होत्रा की कम्पनी वह पहली कम्पनी थी जिसने ग्रामीण इलाकों में कम्प्यूटर संचालन के लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया था। इसके पश्चात, प्रशिक्षित युवा कम्पनी में नियुक्त कर दिए जाते थे। सलोनी की समझ थी कि ग्रामीण युवा नौकरियों के लिए शहरों में चले जाएँगे। वे ग्रामीण शहरी प्रवासन को सम्बोधित करना चाहती थीं। सलोनी दिल्ली की रहने वाली हैं। उनके माता–पिता चिकित्सक हैं। अपने माता–पिता के विपरीत सलोनी ने अभियान्त्रिकी की पढ़ाई की। उनके पिता ने उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे एक ऐसा व्यवसाय प्रारम्भ करें जिससे ग्रामीण इलाकों में नौकरियाँ उपलब्ध हो सकें। उन्होंने सलोनी पर शादी करने के लिए कभी दबाव नहीं डाला। उन्होंने सलोनी को कभी भी यह नहीं कहा कि वे अपना पारिवारिक जीवन शुरू करें। इसके बजाय सलोनी के माता–पिता ने उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि सबसे पहले वे अपने पेशे (करियर) को सुस्थापित कर लें। जब सलोनी का व्यावसायिक जीवन सुस्थापित हो गया, तब उनके माता–पिता ने उनसे पारिवारिक जीवन को शुरू करने के बारे में कहा। सलोनी ने अपनी ऊर्जा अपने सपने को साकार करने वाले प्रोजेक्ट 'देसीक्र्यू' में लगाई। सलोनी कहती हैं, "ग्रामीण भारत में कार्य करने की मेरी इच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में तब पुनः पुष्ट हो गई, जब ग्रामीण महाराष्ट्र से आने वाली मेरे कॉलेज की एक सहपाठी पल्लवी ने गर्व के साथ एक दिन मुझे बताया कि वह कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई करने जा रही है। बाद में मैंने यह जाना कि उस गरीब लड़की के लिए कम्प्यूटर तक पहुँचने की सम्भावना बहुत ही कम थी। उसने तो बस यह मान लिया था कि कम्प्यूटर साइंस की पढ़ाई करने से उसे अच्छी तनख्वाह वाली एक नौकरी और इस नौकरी के कारण मिलने वाले अनेक लाभों को हासिल करने में मदद मिल जाएगी। पल्लवी ने मुझे इस चीज का अहसास कराया कि उसमें और मुझमें एक समानता है, और वह समानता यह है कि हम एक–दूसरे की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जब कभी हम ग्रामीण इलाकों में नौकरियों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में कृषि या हस्तशिल्प जैसी चीजें ही आती हैं और हम उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में अवसरों की उपेक्षा कर दिया करते हैं। कला, अभियान्त्रिकी और वाणिज्य के युवा स्नातक नौकरियों के लिए शहरों में चले

PDF Compressor Free Version

जाते हैं। क्या हम नौकरियों को इन लोगों तक ले जा सकते हैं?" देसीक्र्यू की अधिकांश कर्मचारी महिलाएँ ही हैं। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर लड़कियों में आत्मविश्वास भरते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में और भी अधिक माताओं–पिताओं को यह हौसला मिलता है कि वे लड़कियों की शिक्षा में निवेश करें।

4.10 सन्दर्भ ग्रन्थ और उपयोगी अध्ययन सामग्री

1. कॉर्नवाल, एण्ड्रिया. 2016. 'पावर, पावर्टी एण्ड इनिक्वलिटी' टूवार्ड्स ए पेडागोगी फॉर द पावरफुल. आईडीएस बुलेटिन वॉल्यूम 47 नं. 5 नवम्बर.

2. गीना एल. डेब्लास. 2003. मिसिंग स्टोरीज, मिसिंग लाइव्स अर्बन गर्ल्स (री) कॉन्स्ट्रक्टिंग रेस एण्ड जेण्डर इन द लिटरेसी क्लासरूम. अर्बन एजुकेशन, वॉल्यूम 38 नं. 3. 279–329 डीओआई : 10.1177/0042085903253619.

3. मैडलीन एरनॉट, रोजर जेफ्री, लेस्ली केस्ली–हेफोर्ड एण्ड क्लेयर नोरोन्हा. 2012. स्कूलिंग एण्ड डॉमेस्टिक ट्रांजीशंस : शिफ्टिंग जेण्डर रिलेशंस एण्ड फीमेल एजेंसी इन रूरल घाना एण्ड इण्डिया, कम्पेरेटिव एजुकेशन. 48:2, 181–194.

4. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी). जेण्डर एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी प्राइमरी टेक्स्टबुक्स ऑफ क्लासेज अट्ट ओवरआल एनालिसिस. रिपोर्ट 2013–14. नई दिल्ली : डिपार्टमेण्ट ऑफ विमेन स्टडीज. एनसीईआरटी.

5. यूएनडीपी. 2008. गुड प्रैक्टिसेज इन जेण्डर मेनस्ट्रीमिंग – केस स्टडीज फ्रॉम इण्डिया. नई दिल्ली : यूएनडीपी.

6. रे लेसर ब्लूमबर्ग. 2007. बैकग्राउण्ड पेपर प्रीपेयर्ड फॉर दि एजुकेशन फॉर आल ग्लोबल मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2008. एजुकेशन फॉर आल बाई 2015. विल वी मेक इट? जेण्डर बायस इन टेक्स्टबुक्स : ए हिडेन ऑब्सटैकिल ऑन द रोड टू जेण्डर इक्वैलिटी इन एजुकेशन. यूनेस्को. मेट्रोपॉलिटन सेण्टर फॉर अर्बन एजुकेशन. 2008. कल्चरली रेस्पॉन्सिव क्लासरूम मैनेजमेण्ट स्ट्रैटजीज. न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी।

7. रॉय नैश. 1990. बोर्दियो ऑन एजुकेशन एण्ड सोशल एण्ड कल्चरल रिप्रोडक्शन. ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन. वॉल्यूम 11, नं. 4, पृ. 431–447।

8. http://www-ncert-nic-in/departments/nic/dws/activities/current&proj/Gender&Analysis&of&primary&NCERT&TeÛtbook&FINAL&for&printing&24&Oct&2013- Edited&on 24&Dec&2014&FINAL&Copy-pdf